खण्ड-133, अंक-5
शुक्रवार, 12 चैत्र, शक संवत् 1876
(2 अप्रैल, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 133 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २ अप्रैल, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर प्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री

गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्द्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सागर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशशरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर,
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
दत्तदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाभसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री

अभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बन्तवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बालेन्दुशाह महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुइताफ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री

रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजोलाल सहायक, श्री
रामजो सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री

बंशनारायण सिंह, श्री
बंशोदास धनगर, श्री
वंशोधर मिश्र, श्री
वसो नकवो, श्री
वासुदेव प्रसाद, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह,राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री

श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री,श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद , श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प–सूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, १९५१ का लागू किया जाना

*१––श्री देवमूर्ति राम (जिला बनारस)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश चिल्ड्रेन ऐक्ट सन् १९५१ ई० को प्रदेश में लागू नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो उसे लागू करने में क्या कठिनाई है ?

शिक्षा मन्त्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)––१९५१ ई० के उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम को अभी तक उसके अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों के तैयार न होने के कारण प्रचलित नहीं किया जा सका। अब नियम तैयार हैं, यद्यपि अधिनियम के उपबन्धों को प्रचलित करने में आर्थिक कठिनाई हो सकती है। फिर भी प्रयत्न किया जा रहा है कि वह यथा शीघ्र लागू किये जा सकें।

श्री देवमूर्ति राम––क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस व्यवस्था में कौन–कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)––रुपये की ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)––क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ऐक्ट किस आशय से बनाया गया था ?

डाक्टर सीताराम––यह ऐक्ट डेस्टीट्यूट्स और वैगाबान्ड्स आदि जितने हों उनको उचित शिक्षा दी जा सके इसलिए बनाया गया था ।

श्री देवमूर्ति राम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि "यथाशीघ्र" की अवधि कब पूरी हो सकेगी ?

श्री हरगोविंद सिंह—सम्भवतः इसी आर्थिक वर्ष में ।

पी० डब्ल्यू० डी० कार्यालय में, कार्य हिन्दी में न होने की शिकायत

*२—श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पी० डब्लू० डी० में कार्यालय का कार्य हिन्दी में नहीं होता है ? यदि हां, तो क्यों ?

निर्माण उप मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अभी केवल रोजमर्रा का साधारण (Routine) काम ही हिन्दी में किया जाता है परन्तु टेक्निकल विषयों से संबंधित पत्र व्यवहार अंग्रेजी में किया जाता है क्योंकि इन विषयों में अंग्रेजी के हिन्दी पर्यायवाची शब्द तथा फार्म आदि अभी सब नहीं बने हैं। हिसाब सम्बन्धी काम भी हिन्दी में उस समय तक नहीं हो सकता जब तक (Accountant General) के दफ्तर का सार्वजनिक निर्माण विभाग संबंधित काम भी हिन्दी में न हो। एक अन्य कठिनाई हिन्दी टाइप राइटरों की कमी है।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि नक्शे में हिन्दी लिखने में क्या कठिनाई होती है, क्या उनके लिये भी पर्यायवाची शब्द नहीं हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नक्शे की तो बात है नहीं, यह तो जो टेक्निकल शब्द हैं उनके लिये है कि उनके ट्रांसलेशन हो रहे हैं और जब उनके ट्रांसलेशन हो जायेंगे तो वे सब हिन्दी में छपवा दिये जायेंगे।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि दो वर्षों में मील के पत्थरों पर जो दूरी लिखी गयी है वह हिन्दी में लिखी गयी है या अंग्रेजी में लिखी जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो सड़कें नेशनल हाईवेज की हैं उनके मीलों पर नम्बर अंग्रेजी में दिये जाते हैं और जो सड़कें हमारी स्टेट की हैं उनमें जो बहुत इम्पार्टेन्ट होती हैं उन पर एक मील हिन्दी में लिखा जाता है और एक मील अंग्रेजी में लिखा जाता है और इनके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं जो कम इम्पार्टेन्स की हैं उन पर हिन्दी में लिखे जाते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि नेशल हाईवेज की सड़कों पर नम्बर हिन्दी में न होने के कारण ९० प्रतिशत भारतवासियों को कठिनाई हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह मैं सही तो नहीं कह सकता लेकिन हम हिन्दी में कर नहीं सकते हैं क्योंकि कांस्टीट्यूशन में दिया हुआ है कि इंटरनेशनल न्यूमरल्स में नम्बर डाले जायं क्योंकि बाहर से टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको दिक्कत होती है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शहरों के नाम भी क्यों नहीं हिन्दी में लिखे जाते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसका भी चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से ताल्लुक है इसलिए जैसा वह आदेश देते हैं उसी के अनुसार किया जा रहा है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि हिन्दी में पत्र-व्यवहार इसलिये नहीं किया जाता है क्योंकि हिन्दी के टाइपराइटरों की कमी है तो क्या सरकार को मालूम है कि अभी डेढ़ सौ हिन्दी के टाइपराइटर लिये गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, हिन्दी टाइपराइटर्स खरीदे जा रहे हैं और कोशिश यह की जा रही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हिन्दी टाइपराइटरों की जरूरत हो वह खरीदे जायं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि एकाउन्टेन्ट जनरल साहब के यहां से पी० डब्लू० डी० को हिन्दी में ही हिसाब रखने के लिये हिदायत मिली है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अगर उनके यहां से अंग्रेजी में लिखकर आता है तो अंग्रेजी में जवाब देना पड़ता है और अगर हिन्दी में लिखकर आता है तो हिन्दी में जवाब देना पड़ता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सन् १९५३-५४ में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने सभी डिपार्टमेंटों को हिदायत दी कि वह एकाउन्टेंट जेनरल के यहां सारा हिसाब हिन्दी में भेजें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसा हो सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या प्रांतीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की है कि वह एकाउन्टेन्ट जेनरल को सारा हिसाब किताब हिन्दी में करने की सिफारिश करें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---एक तो इसका ताल्लुक सारे डिपार्टमेंट से है, यह आम बात है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या टेक्निकल शब्दों को हिन्दी लिपि में लिखने का आदेश सरकार भेज रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसका ट्रांसलेशन हो रहा था लेकिन रोमन लिपि में ही अभी टेक्निकल शब्द लिखे जा रहे हैं।

श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो हमारे प्रान्त की सड़कें हैं उनपर भी क्यों अंग्रेजी में लिखा जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मैंने अभी बतलाया था कि जो बहुत इम्पार्टेन्ट सड़कें हैं जहां टूरिस्ट या बाहर के लोग आते हैं उनको दिक्कत पड़ती है इसलिए एक मील अंग्रेजी में लिखा होता है और एक मील हिन्दी में लिखा होता है।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)---क्या यह सही है कि अब भी सड़कों पर जो पेड़ होते हैं उनपर अंग्रेजी में नम्बर लिखा जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---नहीं, अब तो हिन्दी में उन पर लिखा जाता है। बहुत मुमकिन है कि किसी पुराने पेड़ पर नम्बर रह गया हो।

हाजिरी कम होने वाले विद्यार्थियों को हाई स्कूल तथा इण्टर कालेज की परीक्षाओं में बैठने की आज्ञा न मिलना

*३---**श्री राधा मोहन सिंह** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि इस साल थोड़ी प्रतिशत हाजिरी कम होने के कारण बहुत से छात्रों को हाई स्कूल तथा इन्टर कालेज की परीक्षाओं में बैठने से वंचित होना पड़ा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां।

*४---**श्री राधा मोहन सिंह** (अनुपस्थित)---क्या गत वर्ष सरकार ने सभी विद्यार्थियों को जिनकी हाजिरी कम थी उक्त परीक्षाओं में बैठने की आज्ञा प्रदान कर दी थी ?

श्री हरगोविंद सिंह--नहीं। केवल कुछ विद्यार्थियों को ऐसी आज्ञा दी गयी थी।

*५--श्री राधा मोहन सिंह (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि सरकार ने इस साल किसी भी ऐसे प्रार्थना-पत्रों को स्वीकार नहीं किया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविंद सिंह--जी हां। क्योंकि शासन ने यह निर्णय किया कि उपस्थिति संबंधी बोर्ड के विनियम ४, अध्याय १७ को कड़ाई के साथ प्रवृत्त किया जाय। इस निर्णय की सूचना सब संबंधित संस्थाओं को बहुत पहले ही दे दी गयी थी।

ज़मींदारी उन्मूलन के बाद दाखिल किये गये इस्तकरारिया दावे

*६--श्री अब्दुल मुईज खां (ज़िला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ज़मींदारी उन्मूलन के बाद दाखिल किये गये कुल इस्तकरारिया दावे अदालत दीवानी से कलेक्टरी को मुन्तकिल किये जाने का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)--जी नहीं।

श्री अब्दुल मुईज खा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी खास किस्म के मुकदमों को दीवानी से कलेक्ट्रेट में भेजे जाने का आदेश गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी नहीं, कोई आदेश नहीं गया है।

श्री अब्दुल मुईज खा--क्या सरकार कोई ऐसा उपाय सोच रही है कि जिन किसानों के नाम खातों पर लिखे गये हैं उनको अदालत दीवानी के मुकदमे की नौबत न आये ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मौके पर जा करके हाकिम लोगों ने जिन का कब्जा पाया उनका नाम इन्दराज कर दिया और उनको हक है कि वह दीवानी में जा करके अपने हक का फैसला करा सकें। इसको कानून के जरिये रोका नहीं जा सकता।

मकान मालिक के स्वयं निवास वाले मकान पर पानी तथा गृह-कर निर्धारण संबन्धी आदेश

*७--श्री बद्री नारायण मिश्र--क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि जिसके अन्तर्गत म्युनिसिपैलिटीज को यह अधिकार दिया है कि वह मकानों पर टैक्स लगाते समय उन मकानों पर जिनमें कि मकान मालिक स्वयं रहते हैं किराये पर उठे हुए मकानों की अपेक्षा २५ प्रतिशत कम टैक्स लगायें ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--जी हां, सरकार ने नगरपालिकाओं को एक आदेश द्वारा यह सलाह दी है कि वे ऐसे मकानों को जिनमें मकान मालिक स्वयं निवास करते हैं उनके वास्तविक वार्षिक मूल्यांकन (annual value) में २५ प्रतिशत कमी करके पानी तथा गृह कर लगायें।

*८--श्री बद्री नारायण मिश्र--यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश की एक प्रति मेंज पर रक्खेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम--उक्त आदेश की एक प्रति सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०३ पर)

श्री इस्तफ़ा हुसैन (ज़िला गोरखपुर)---क्या सरकार बतायेगी कि अगर म्युनिसिपैलिटी किसी क्षेत्र में पानी की या और किसी प्रकार की सुविधा नहीं दे पाती है तो क्या उस क्षेत्र में कम टैक्स लगने का भी कोई कायदा है ?

श्री मोहन लाल गौतम---कायदे के अनुसार जहां पानी पहुंच जाता है उसी क्षेत्र में यह कर लग सकता है और जब तक किसी हद तक पानी नहीं पहुंचता तब तक कर नहीं लगता ।

श्री इस्तफ़ा हुसैन---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह १९४९ ई० का जो आदेश है उसका असर कैन्टूनमेन्ट पर क्या पड़ता है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जहां तक मुझे मालूम है यह कैन्टूनमेंट पर लागू नहीं होता लेकिन इसक लिए सूचना चाहिए ।

श्री इस्तफ़ा हुसैन---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् ४९ के बाद किसी म्युनिसिपैलिटी ने जिस आदेश का जिक्र है, उसके खिलाफ रिप्रेजेन्टेशन किया है कि उसको टैक्स लगाने में दिक्कत हुई है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसकी सूचना चाहिए ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा आदेश क्यों जारी किया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम---यह इसलिए जारी किया गया है कि जिन मकानों में मालिक मकान खुद रहते हैं, उनको कम टैक्स देना पड़े और वह २५ प्रतिशत कम दें ।

श्री रामदास आर्य---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह आदेश कब जारी किया गया ?

श्री मोहन लाल गौतम---यह आदेश ३ सितम्बर, सन् १९४९ को जारी किया गया ।

श्री सूर्य्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड ने बराबर इसकी उपेक्षा की है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसकी सूचना चाहिए ।

कानपुर शहर में दफा १४४

*९---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले कितने समय से कानपुर शहर में दफा १४४ लगी है और क्यों ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---२४ मार्च, १९५४ से ।

इसका उद्देश्य नगर में शांति कायम रखना है ।

*१०---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार को मालूम है कि १४४ दफा लगे रहने के कारण संसद के उपचुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनकी पार्टियों को काफी दिक्कत प्रचार कार्य में पड़ रही है ? अगर हां, तो सरकार इस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---किसी को कोई खास दिक्कत नहीं है ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दफा १४४ जब कानपुर में खत्म होने को होती है, तो उसको खत्म होने के पहले ही बढ़ा दिया जाता है और इस तरह से वहां छै साल से मुतवातिर दफा १४४ लगी हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह बात गलत है। कम से कम कानपुर में ऐसा नहीं है, मुतवातिर नहीं है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मन्त्री महोदय के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के जो उम्मीदवार वहां खड़े हैं, उनको मीटिंग करने के लिए दफा १४४ के रहते हुए आज्ञा लेने में बड़ी दिक्कतें पड़ रही हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---२४ तारीख से जो दफा १४४ लगी हुई है, उसके मुताबिक कोई भी शख्स जहां भी चाहे, किसी पार्क में, किसी बाग में मीटिंग कर सकता है। वहां सिर्फ सड़कों के लिए इजाजत लेने की बात है। पहले जो दफा १४४ का आर्डर था, उसमें पार्क वगैरा के लिए भी बन्धेज था, लेकिन अब एलेक्शन के लिए कोई बन्धेज नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार कोई ऐसा निश्चय करने का विचार रखती है कि चुनाव के मौके तक यानी २५ अप्रैल तक दफा १४४ वापस ले ली जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं इस बात से सहमत होंगे कि चुनाव के जमाने में अब जिस रूप में दफा १४४ है, उसका रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि भिन्न भिन्न पार्टियां काम करती हैं और अगर एक ही वक्त में दो पार्टियों के जलूस सड़क पर आ गये तो झगड़ा हो सकता है। इसलिए यह रखा गया है कि सड़कों पर मीटिंग वगैरह करने वाले को इजाजत लेनी होगी और पार्क वगैरा के लिए कोई इजाजत की जरूरत नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उनके पास कोई सूचना आयी है कि समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्पीचेज होती हैं, वह इतनी गरमा-गर्म और गाली गलौज से भरी होती हैं जिनसे शान्ति भंग होने का अन्देशा है, इसलिए दफा १४४ लागू की गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---दफा १४४ जिस कारण से लगायी गयी उसका जिक्र कर दिया गया है कि नगर में शान्ति कायम रखने के लिए लगायी गयी है। अब नगर में क्या क्या स्पीचें होती हैं, उसकी क्या जरूरत है ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय गृह मन्त्री को इसकी सूचना है कि दफा १४४ के होते हुए भी कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग हो रही थी और श्री राजा-राम शास्त्री के नोटिस में लाने पर भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस किस्म की जितनी बातें होंगी, वह दफा १४४ जो पुरानी थी, उसकी बाबत होंगी, जिसको खत्म हुए दो महीने हो गये। अब जो २४ तारीख से लागू है, उसके मुताल्लिक कोई ऐसी शिकायत नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिलों के गेट के सामने जो सड़क होती है, उस पर भी मीटिंग करने के सम्बन्ध में क्या कोई प्रतिबन्ध है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर मिलों के गेट के सामने जो सड़क है वह भी थारोफेयर है तो जरूर प्रतिबन्ध है। बगैर इजाजत वहां मीटिंग नहीं हो सकती।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या यह बात सही है कि इन मिलों के फाटक के सामने जो मीटिंग कांग्रेस दल वालों ने की तो उनको इजाजत दे दी गयी और दूसरे दल वालों को इजाजत नहीं दी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी तक तो इस सम्बन्ध में किसी पार्टी ने मेरे पास कोई शिकायत भेजी नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मीटिंगों के करने के पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से इजाजत लेने के बारे में कोई घोषणा की गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, दफा १४४ के आर्डर में ही लिखा रहता है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास ऐसी कितनी शिकायतें आयी हैं जिससे दफा १४४ अब भी लगाना जस्टिफाई किया जा सकता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार से इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। जो जिले की अथारिटीज हैं, वे जिम्मेदार हैं। शान्ति कायम रखने के लिए अगर वह जरूरत समझते हैं तो लगाते हैं।

सलोन तहसील, जिला रायबरेली के रोहनियां, उमरन, गंगसरी आदि ग्रामों में लगान वसूली में सख्ती तथा मारपीट

*११---**श्री दलबहादुर सिंह** (जिला रायबरेली)---क्या यह सही है कि रायबरेली जिले के सलोन तहसील के रोहनियां, उमरन, गंगसरी आदि ग्रामों में लगान वसूली के सिलसिले में किसानों पर सख्ती तथा मारपीट आदि करने की शिकायतें सरकार के पास आयी हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जी हां। शिकायतें जिलाधीश के पास तहकीकात के लिए भेज दी गयी हैं। वे जल्द ही अपनी तहकीकात पूरी कर लेंगे।

श्री दलबहादुर सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह शिकायतें किस प्रकार की हैं और किस तारीख में किसके द्वारा सरकार को मिलीं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---यह तो माननीय प्रश्नकर्त्ता ने स्वयं शिकायतें भेजी हैं जिसमें यह कहा गया कि वसूली में सख्ती की गयी है उसकी जांच, जैसा जवाब दिया गया करायी जा रही है।

श्री दलबहादुर सिंह---क्या यह सही है कि उन शिकायतों में जिलाधीश की भी शिकायत है ?

श्री चरण सिंह---उन शिकायतों में जिलाधीश का जिक्र है कि उनसे यह बातें हुईं और जिलाधीश ने स्वयं सख्ती की हो, ऐसा नहीं है।

श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह शिकायत किस तारीख को सरकार के पास आयी है ?

श्री चरण सिंह---१६ तारीख के साढ़े नौ बजे सुबह के।

श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उस दरख्वास्त की शिकायत की जांच किसी बाहर के अधिकारी द्वारा कराने जा रही है ?

श्री चरण सिंह---वहां के डिप्टी कमिश्नर तहकीकात कर रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या यह सही है कि इस शिकायत के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मन्त्री ने दो डिवीजनल कमिश्नर्स को वहां जाने के लिए आदेश दिया था और दोनों ने इन्कार कर दिया ?

श्री चरण सिंह---न डिवीजनल कमिश्नर्स को हुक्म दिया था और न आज तक ऐसी कोई मिसाल है कि किसी राज्य कर्मचारी को कोई हुक्म दिया हो और उन्होंने उसका पालन करने से इन्कार किया हो।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से कोई ऐसे आदेश जारी किये गये थे कर्मचारियों को कि लगान इन किसानों से सख्ती से वसूल किया जाय ?

श्री चरण सिंह---हरगिज नहीं। ऐसे कोई आदेश नहीं थे। आपकी जानकारी के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी परसों हमने डिप्टी कमिश्नर को बुलाया था और उनसे तफसील से बातें हुई थीं, और तहकीकात भी मुकम्मिल हो गयी है और वह जल्दी ही रिपोर्ट भेजने वाले हैं। १७ मार्च की यह बात है और होली की छुट्टियों की वजह से तहकीकात नहीं हो सकी। लेकिन फोन से बात कर ली गयी थी, २२ तारीख को दूसरी शिकायत आयी, तो परसों हमने उनको बुलाकर बातें की हैं। बहुत जल्दी कार्यवाही हुई है। कोई सवाल ही नहीं है कि सख्ती से लगान वसूल किया जाय। ऐसे कोई आदेश नहीं हो सकते हैं।

तारांकित प्रश्न

*१---३---**श्री भगवान सहाय**---[२५ फरवरी, १९५४ को प्रश्न संख्या १८---२० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

सन् १९४७ ई० के अस्पृश्यता निवारक ऐक्ट के संबंध में प्रचार

*४---**श्री बाबू नन्दन** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४७ ई० के अस्पृश्यता निवारक ऐक्ट के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से जिलाधीशों के पास कोई सरक्युलर विज्ञापन कराने के सम्बन्ध में भेजा गया है ?

डाक्टर सीताराम---जी हां।

*५---**श्री बाबू नन्दन**---यदि हां, तो कब ?

डाक्टर सीताराम---सन् १९४७ ई० के अस्पृश्यता निवारण ऐक्ट के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से जिलाधीशों के पास कई परिभ्रध्यादेश प्रचार के सम्बन्ध में भेजे गये, जिनकी संख्या और दिनांक निम्नलिखित हैं :---

(१) परिभ्रध्यादेश संख्या २४३६/२६-९०२-१९४८, दिनांक ३० दिसम्बर, १९४८ ई०।

(२) परिभ्रध्यादेश संख्या ८४६/२६-१५९-१९४८, दिनांक २६ अप्रैल, सन् १९४९ ई०।

(३) परिभ्रध्यादेश संख्या ८९/२६-६६-१९५०, दिनांक १० मई, सन् १९५० ई०।

(४) परिभ्रध्यादेश संख्या ११९/२६-१५९-१९४८, दिनांक २९ मई, सन् १९५२ ई०।

(५) परिभ्रध्यादेश संख्या ३८१७/२६-४४७-१९५३, दिनांक २१ सितम्बर, सन् १९५३ ई०।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सरक्युलर्स जिलों को विभिन्न तारीखों को भेजे गये हैं, उसका विज्ञापन जिलों में किस भांति कराया गया है ?

डाक्टर सीताराम---इसके नोटिस छपवाकर सुपरवाइजर्स के द्वारा बंटवाये गये हैं ?

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---सरकार द्वारा जो आध्यादेश जारी किया गया हैं उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---बहुत अच्छा ।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)---नोटिस किस तारीख में छपवाकर बांटे गये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इतनी छोटी छोटी बातों का तो यहां रिकार्ड नहीं है कि हर जिले में किस तारीख में छपवाये गये और बांटे गये हैं ।

श्री रामदास आर्य---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने उत्तर दिया है कि बहुत अच्छा परिणाम निकला तो इसकी किस तरह से जांच की गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसकी तो समय-समय पर रिपोर्ट्स आती रहती हैं ।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट को कागनिजिबुल आफेंस बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---इस सम्बन्ध में भारत सरकार कोई ऐक्ट बना रही है ।

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार एक ऐसा विज्ञापन प्रकाशित कराने की कृपा करेगी कि छुआछूत मानने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---नहीं, ऐसा करने का तो विचार नहीं है और यह शायद ठीक भी नहीं होगा ।

श्री शिव कुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अस्पृश्यता निवारक ऐक्ट को ही जिलों में प्रचारित कराने का सरकार प्रयत्न कर रही है या अन्य ऐक्टों को भी, जैसे चकबन्दी का ऐक्ट है और दूसरे ऐक्ट हैं, उनको भी जिलों में विज्ञापित कराने की कोशिश कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---अब इस ऐक्ट को तो विज्ञापित कराया गया । अन्य ऐक्टों का सम्बन्ध तो मुझ से नहीं है ।

श्री पुत्तू लाल (जिला आगरा)---क्या सरकार को ज्ञात है कि अस्पृश्यता निवारक कानून होते हुए भी तथा सरकार के अनेकों सरक्युलर निकालने पर भी, उस अस्पृश्यता निवारक कानून के अन्तर्गत की गयी शिकायतों पर अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं ?

डाक्टर सीताराम---ध्यान देते हैं और उन पर कार्यवाहियां भी की जाती हैं ।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर शहर में मेहतरों के बाल काटने के लिए नाइयों की शिकायतें जो की गयी हैं और काकोरी, जिला लखनऊ की जो शिकायत है, उन पर वहां के जिलाधीशों ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम---जहां तक शाहजहांपुर का सम्बन्ध है, उसके लिए तो सूचना की जरूरत है, लेकिन काकोरी के सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करूंगा कि दोनों पार्टियों के बीच में समझौता करा दिया गया है।

संसदीय प्रक्रिया पर हिन्दी में सर्वोत्तम पुस्तक के लेखक को पुरस्कार देने की घोषणा

*६---श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या प्रदेशीय सरकार ने संसदीय प्रक्रिया (पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस) पर हिन्दी में सर्वोत्तम पुस्तक लिखने वाले को २,००० रु० पुरस्कार देने की घोषणा की थी और यह शर्त लगायी गयी कि पुस्तक ३० नवम्बर, १९५२ तक सरकार के पास दाखिल कर दी जाय?

डाक्टर सीताराम---जी हां।

*७---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि पुस्तक जमा करने की तारीख कई बार बढ़ायी गयी, यदि हां, तो कितनी बार?

डाक्टर सीताराम---जी हां, दो बार।

पहली बार ३१ दिसम्बर सन् १९५२ ई० तक और दूसरी बार ३१ जनवरी सन् १९५३ ई० तक।

*८---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बतायेगी कि कितनी पुस्तकें जमा हुईं और उनके लेखकों के नाम क्या हैं, और पुरस्कार देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

डाक्टर सीताराम---सात पुस्तकें, लेखकों के नाम गोपनीय हैं।

पुरस्कार घोषित हो गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि इस पुरस्कार के देने के सम्बन्ध में कोई कमेटी सरकार ने बनायी थी?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी इस कमेटी के सदस्यों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या माननीय मन्त्री महोदय, यह बतलायेंगे कि जब पुरस्कार दे दिया गया है तो गोपनीय उनके नाम किस कारण रखे गये हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह---सबको चूंकि अभी पुरस्कार नहीं दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि ये सब पुस्तकें किन किन लेखकों ने लिखी हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह---वही तो गोपनीय है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या ये पुस्तकें पब्लिक सर्कुलेशन के लिए नहीं हैं, जो गोपनीय रखी गयी हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह उन लेखकों के ऊपर निर्भर है।

महाराजकुमार बालेंन्दुशाह---क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि जिन जिन व्यक्तियों को पुरस्कार मिले, उनके नाम क्या हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह---उनके नाम बताये जा सकते हैं। तीन नाम हैं। (१) श्री गिरिजा भूषण जोशी, (२) श्री परमात्मा शरण पचौरी, और (३) श्री परिपूर्णानन्द पेनौली।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो सात पुस्तकें आयी हैं, उनके नाम क्या हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---वही तो गोपनीय हैं। बारबार तो कह चुका।

चीनी मिलों के मजदूरों के लिए क्वार्टर

*९---श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रदेश के चीनी मिलों में शीरे की आमदनी से मजदूरों के घर बनाने का नक्शा या कोई नमूना सरकार ने मिलों को भेजा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।*

*१०---श्री गेंदा सिंह---क्या यह सही है कि प्रदेश के प्रत्येक भाग के चीनी मिलों को एक ही प्रकार के क्वार्टर बनाने का आदेश दिया गया है जब कि तराई और पूर्वीय जिलों में अधिक ऊंची दीवाल की आवश्यकता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। परन्तु परिस्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन टाउन प्लानर व हाउसिंग बोर्ड की अनुमति से किया जा सकता है।

*११---श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार बतायेगी कि सेवरही (देवरिया) के क्वार्टर बनाने में सरकार ने कितना रुपया स्वीकार किया है ? वहां कितने क्वार्टर कितनी कीमत के बन रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस मिल के लिए सरकार ने ५८,३७३ रुपया स्वीकार किया है। मिल को १४ दो-कमरे वाले क्वार्टर बनाने हैं, जिनका बनना प्रारम्भ हो गया है। प्रत्येक दो-कमरे वाले मकान की लागत ४,०१५ रुपया है।

श्री गेंदा सिंह---क्या नमूने ऐसे बनाये गये हैं जिसमें जो लोहे की खिड़कियां बनायी गयी हैं, उनमें थोड़ी सी मेहनत करने से चोर भी घुस सकते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं जानता नहीं। यह तो चोरों की लियाकत पर है। लेकिन ऐसी खिड़की नहीं बनायी गयी होंगी जिसमें चोर घुस सकें।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय श्रममन्त्री जी ने कभी ऐसे नमूने को खुद भी देखा है ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। आप जरा साफ प्रश्न पूछ लें। उसमें ताना न हो।

श्री गेंदा सिंह---जहां कहीं भी लेबर क्वार्टर बने हैं, किसी क्वार्टर को माननीय श्रम मन्त्री जी ने भी देखा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। मैंने देखा है। तराई और पूर्वी जिले, जिनका खास तौर से जिक्र है, वहां नहीं देखा है।

श्री गेंदा सिंह---तराई के जिले में क्या यह सच है कि इतनी नीची दीवार बनायी गयी है जिस से साल भर सीलन उसमें बनी रहे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आज से कुछ दिन पहले तक इस बात की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिलाया।

न तो हाउसिंग बोर्ड ने न लेबर स्टैन्डिग कमेटी ने और ऐसा प्रतीत होता है कि न इन्जीनियर की समझ में आया कि कोई खास जरूरत इस बात की ह। न प्लानर की। थोड़े दिन हुए एक माननीय सदस्य ने इस तरफ ध्यान दिलाया और अब उस सम्बन्ध में जो कुछ कार्यवाही की जा सकती है, वह करने की कोशिश हो रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह एक ही प्रकार के क्वार्टर अब तक चीनी मिलों में कितने बन चुके हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ठीक नम्बर के लिए सूचना की जरूरत है। लेकिन मेरे ख्याल में ५०० के ऊपर क्वार्टर बन चुके हैं।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आम तौर से नक्शे में दीवारों की ऊंचाई कितनी रखी गयी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिए सूचना की जरूरत होगी।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन क्वार्टर्स का किराया मजदूरों से लिया जायगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो हाउसिंग बोर्ड के तै करने की चीज है, हाउसिंग बोर्ड क्या फैसला करेगा, इसकी बाबत मैं यहां कुछ नहीं कह सकता।

श्री गेंदा सिंह—जो रुपया सरकार मिलों को क्वार्टर्स बनाने के लिए देती है, उसके व्यय और हिसाब किताब को देखने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, एक इन्जीनियर हैं। वह देखते रहते हैं।

आजमगढ़ जिले के गौहर पुर ग्राम में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित सत्याग्रह

*१२—श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के गौहरपुर ग्राम में जिला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित सत्याग्रह में कितने व्यक्ति किन-किन अभियोगों में गिरफ्तार किये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुल ४९ व्यक्ति इन्डियन पेनल कोड के विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किये गये। धाराएं इस प्रकार हैं—१४३, १४७, ४२६, ४४०, ४४३ तथा ४४७।

*१३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गौहरपुर के सत्याग्रहियों के अतिरिक्त जिलों के और कितने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता एवं किसान ९ अगस्त, १९५३ से गिरफ्तार किये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—४३, परन्तु यह ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं कि इनमें कौन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कार्यकर्ता था और कौन किसान।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ये ४३ व्यक्ति जो गिरफ्तार किये गये हैं वे किन दफाओं में गिरफ्तार किये गये हैं और विशेष कर किस थाने के?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दफायें तो मैं बतला सकता हूं लेकिन उन सब लोगों के पते मेरे पास इस वक्त हैं नहीं। कई लोगों पर १०७ और ११७, कुछ पर ४४० और १४३, कुछ लोगों पर १०७ और ४५१ और कुछ लोगों पर १४७ और १४३ दफायें लगीं।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ये ४३ व्यक्ति ऐसे हैं जिनपर कि पहले से झगड़े की शिकायत थी और उसी शिकायत पर वे गिरफ्तार किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पुलिस ने झगड़े में किसी को गिरफ्तार किया है इसकी तो कोई शिकायत मेरे पास है नहीं ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गौहरपुर ग्राम में सत्याग्रह के सिलसिले में पहला जत्था किस तारीख को गिरफ्तार किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सोशलिस्ट पार्टी द्वारा सत्याग्रह में हिंसहात्मक तरीकों का भी प्रयोग किया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मेरी सूचना है ऐसा नहीं हुआ ।

स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को लिखने के लिए बनाई गई प्रादेशिक कमेटी

*१४—**श्री बद्री नारायण मिश्र**—स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को लिखने के लिए बनायी गयी प्रादेशिक कमेटी के सम्बन्ध में जिस सरकारी पत्र द्वारा तत्सम्बन्धी प्रसंग (terms of reference) बताये गये हैं ? क्या सरकार उसकी एक प्रति मेज पर रखेगी ?

डाक्टर सीताराम—कार्यादेश (Terms of reference) से संबंधित राजाज्ञा का उद्धरण मेज पर रखा जाता है । इस सम्बन्ध की अन्य सूचना ता० २८-८-५३ को अल्पसूचित प्रश्न सं० १ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में दी जा चुकी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४०४ पर)

*१५—**श्री बद्री नारायण मिश्र**—क्या सरकार बतायेगी कि प्रादेशिक कमेटी की कोई बैठक अभी तक हुयी है ? यदि हां, तो कितनी बैठकें हुयीं ?

डाक्टर सीताराम—जी हां । एक ।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी का दफ्तर कहां है और उसमें कितने कर्मचारी रक्खे गये हैं और क्या क्या सामग्री इकट्ठी की गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—दफ्तर बनारस में है । बाकी इत्तिला के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

मधुबन, जिला आजमगढ़ के जमींदार-किसान संघर्ष में एक किसान की मृत्यु

*१६—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार को मालूम है कि मधुबन (जिला आजमगढ़) में जमींदार-किसान संघर्ष हो गया है, जहां पुलिस की गोली से एक किसान मारा गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२३ फरवरी सन् १९५३ को एक मारपीट की घटना हुयी थी जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो गयी । पुलिस ने गोली नहीं चलायी ।

*१७—**श्री झारखंडे राय**—यदि हां, तो क्या सरकार उस गोलीकांड की जांच करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आदमी घायल हुए थे वह किस हथियार से घायल हुये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किस हथियार से घायल हुये थे इसकी सूचना तो इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्पताल में उस मरने वाले आदमी ने अपना कोई आखिरी बयान दिया था और बयान दिया था तो क्या था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका ब्योरा तो मेरे पास नहीं है। मगर मैं इतना बतला दूं कि इस मामले में जितने आदमियों पर मुकदमा चलाया गया था २७ जनवरी को अदालत ने उन सब लोगों को बेक़सूर करके छोड़ दिया।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस घटना के होने के कितनी देर बाद पुलिस वहां पर पहुंची ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

आजमगढ़ जिला किसान सभा के प्रतिनिधियों की जिलाधीश से भेंट तथा मांगें

*१८—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायगी कि गत ११ अगस्त को जिला किसान सभा, आजमगढ़ का एक ७ व्यक्तियों का डेपुटेशन जिलाधीश आजमगढ़ से मिला था ? अगर हां तो, उसने क्या मांगें प्रस्तुत की थीं ? क्या सरकार उन मांगों की एक प्रति सदन की मेज पर रक्खेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किसान सभा का एक डपुटेशन जिलाधीश, आजमगढ़ से गत ११ अगस्त को मिला था । मांगों की एक प्रति मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४०५–४०६ पर)

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जैसा इस स्मृतिपत्र से प्रकट होता था कि सत्याग्रह की तिथि, उसका स्थान और उसका विस्तार जिला धीश को सूचित कर दिया गया था तो फिर गिरफ्तारी पहले कब हुयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो सही है कि यह उस में लिखा हुआ है। तारीख, इसकी जगह और उसका स्थान, लेकिन गिरफ्तारी पहले कब हुयी यह इस स्थान प्रश्न में पूछा नहीं गया था इस कारण उसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को मालूम है कि जब १५ अगस्त को सत्याग्रह शुरू करने की सूचना दी गयी थी तो फिर गिरफ्तारी उसके पहले क्यों शुरू की गयी थी १२ तारीख को ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं कह सकता कि १२ तारीख को गिरफ्तारी हुयी थी या नहीं। इस प्रश्न में यह पूछा नहीं गया था तो उसकी इत्तिला मेरे पास नहीं है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उस डपुटेशन की जितनी शिकायतें थीं उन शिकायतों को दूर करने के लिय सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डेपुटेशन की शिकायत यह थी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जायगा तो वह १५ तारीख से सत्याग्रह करेंगे। यह धमकी उन्होंने दी और यह शिकायत किसी की समझ में नहीं आ सकती। उनकी जो मांग थी वह ऐसी थीं जिनको मांग पेश करने वाले खुद जानते होंगे कि जिलाअधिकारियों के वश की बात नहीं थी। मसलन यह कि खेतिहर मजदूरों के लिये मजदूरी तय करना। यह उनको अच्छी तरह से मालूम होगा कि जिलाधीश के अधिकार के बाहर की यह बात है। जितने उस क्षेत्र के लड़के हों उन सब की फीस माफ कर दी जाय यह भी जिलाधीश के हाथ में नहीं था। बेदखली के सिलसिले में जो झगड़े हैं उनको तय कराना तो इसके लिये भी सरकार के कायदे बने हुये हैं उससे तय हो सकते हैं? पुलिस की पी०ए०सी० को वहां से उठा लेना तो यह सब ऐसी चीजें थीं जिनको मंजूर नहीं किया जा सकता था। कुछ ऐसी मांगें थीं जिनके ऊपर अमल करना शुरू हो गया था। इन्दराज वगैरह थे तो उनकी बाबत कार्यवाही हो रही थी और वह कार्यवाही कर दी भी गयी।

हरिजन आश्रम प्रयाग में ग़बन

*१९—श्री राम लखन (जिला बनारस)—क्या सरकार को मालूम है कि हरिजन आश्रम प्रयाग, जिला इलाहाबाद के आय-व्ययक में जिसे वह सरकारी सहायता देती है ५० हजार रुपये से अधिक का गबन हुआ है?

डाक्टर सीताराम—हरिजन आश्रम प्रयाग में अब तक लगभग ४२००० रुपये का गबन मालूम हुआ है।

*२०—श्री राम लखन—क्या सरकार हरिजन आश्रम प्रयाग को मिलने वाली सरकारी सहायता बन्द करने का विचार रखती है?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री राम लखन—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस गबन में कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं और उनके साथ कौन सी कार्यवाही की जा रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसका इन्वेस्टीगेशन पुलिस के द्वारा हो रहा है और जिन व्यक्तियों पर पुलिस को सन्देह है उन पर पुलिस मुकदमा चला रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस हरिजन आश्रम की आडिट का क्या प्रबन्ध है?

श्री हरगोविन्द सिंह—हरिजन आश्रम एक स्वतंत्र संस्था है। सरकार उसको अनुदान देती है विभिन्न कार्यों के लिये।

श्री राम लखन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी जांच जारी है या खत्म हो गयी?

डाक्टर सीताराम—जांच जारी है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी यह बतावेंगे कि सरकार इस आश्रम को वार्षिक क्या सहायता देती है?

डाक्टर सीताराम—लगभग ४०—५० हजार रुपया।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन सज्जनों पर संदेह प्रकट किया जा रहा है क्या वही व्यक्ति वहां का प्रबंध कर रहे हैं या दूसरे व्यक्ति ?

श्री हरगोविन्द सिंह---चूंकि यह मुकदमा इस समय अदालत में है इसलिए ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर देने में मुझे दिक्कत होगी ।

श्री राम लखन---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह इस आश्रम की गड़बड़ी को ध्यान में रखकर उसको अपने प्रबन्ध में लेने पर विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इस पर विचार हो रहा है ।

श्रीमती लक्ष्मी देवी, सदस्य विधान सभा के कुसुमी फार्म में चोरी

*२१---श्रीमती विद्यावती राठौर (जिला एटा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि ६ जून, १९५३ को रात्रि में श्रीमती लक्ष्मीदेवी, सदस्य, विधान सभा की चोरी, जिला लखीमपुर गोला गोकरननाथ थाना के अन्तर्गत कुसुमी फार्म में हुयी थी जिसमें रिवाल्वर, ३६ कारतूस, और नकद रुपया सहित सब वस्तुयें चोरी गयी थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां ।

*२२---श्रीमती विद्यावती राठौर (अनुपस्थित)---क्या श्रीमती लक्ष्मी देवी, सदस्य, विधान सभा ने थाना गोलागोकरन नाथ, जिला लखीमपुर-खीरी में स्वयं थाना जाकर नामजद रिपोर्ट की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। गोला के थानेदार ने सर्किल इन्सपेक्टर की निगरानी में मामले की पूरी जांच की परन्तु ठीक सबूत न मिलने के कारण अंतिम रिपोर्ट लगा दी गयी ।

टेहरी-गढ़वाल की पट्टी पंचगाई फते पर्वत के लिवाड़ी गांव के लोगों पर हिमांचल प्रदेश के महसू तहसील के लोगों द्वारा आक्रमण

*२३---श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या यह सच है कि ३ जुलाई सन् १९५३ को हिमांचल प्रदेश के महसू तहसील में स्थित क्वार के लोगों ने इस प्रदेश के टिहरी-गढ़वाल जिले में स्थित पट्टी पंचगाई फतेपर्वत के लिवाड़ी गांव के लोगों पर शस्त्रों से आक्रमण कर लूट -पाट किया और गोलियां चलायीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां । टेहरी-गढ़वाल जिले के लिवाड़ी गांव तथा हिमांचल प्रदेश के डोडरा क्वार के निवासियों में मांझीबन चरागाह के बारे में ३ जुलाई, सन् १९५३ को आपस में झगड़ा हुआ ।

*२४---श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उसने इसमें अब तक क्या कार्यवाहियां की हैं और भविष्य में उनकी जानमाल की सुरक्षा का क्या प्रबन्ध किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---दोनों ओर से डकैती की रिपोर्टें दिलायी गयी हैं जो पुलिस द्वारा जांच की जा रही है । भविष्य में इस क्षेत्र में शांति भंग न हो तथा दोनों गांवों के निवासियों को अपने दैनिक जीवन एवं जीविकोपार्जन के कामों में कोई अड़चन न हो इसके लिए उचित प्रबन्ध करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को आदेश जारी किये जा चुके हैं। इस झगड़े का स्थायी निबटारा करने के उद्देश्य से हिमांचल प्रदेश तथा इस सरकार ने दोनों ओर के अधिकारियों की एक कानफ्रेंस करने का निश्चय किया है ।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस झगड़े में इस प्रदेश के लिवाड़ी गांव के कितने व्यक्ति जख्मी हुए ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लिवाड़ी गांव के १२ व्यक्ति घायल हुए तथा १४४५ रु० का जेवर गायब हुआ तथा क्वार के लोगों की ३ बंदूकें गायब हुयीं।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस झगड़े की जांच कब शुरू हुयी और कब पूरी होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जांच झगड़े के ७–८ दिन बाद शुरू हुयी थी क्योंकि दोनों तरफ से दोनों थानों की दूरी बहुत है। वहां तक इत्तला पहुंचने में कई दिन लग गये। जिस कांफ्रेंस की चर्चा की गयी है वह मई में बैठकर अपना कार्य समाप्त कर देगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकार के बीच में होने वाली कांफ्रेंस कब होगी और उसमें कौन-कौन अधिकारी होंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कब होगी, इसके बारे में तो बता दिया गया है कि मई में होगी। उस कांफ्रेंस में दोनों ओर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तथा दोनों ओर के फारेस्ट आफिसर्स होंगे।

*२५—**श्री राम कृष्ण जैसवार** (जिला मिर्जापुर)—[१ अप्रैल, १९५४ को प्रश्न संख्या ६८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बुलन्दशहर के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन

*२६—**श्री धर्म सिंह**—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बुलन्दशहर के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन पिछले कई महीनों से दिया नहीं गया है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

डाक्टर सीताराम—अध्यापकों का जनवरी मास का वेतन दिया जा चुका है और फरवरी मास के वेतन का वितरण किया जा रहा है।

श्री धर्म सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अध्यापकों को बढ़ोत्तरी का वेतन दे दिया गया है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह बता दिया गया है कि दी जा रही है।

बस्ती जिले के टेक्निकल तथा कृषि शिक्षा देने वाले हायर सेकेन्डरी स्कूल

*२७—**श्री धनुषधारी पांडेय** (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कितने हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं, जिनमें टेक्निकल तथा कृषि शिक्षा दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम—टेक्निकल शिक्षा किसी में भी नहीं दी जाती है परन्तु कृषि शिक्षा दो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में दी जाती है।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह कौन से विद्यालय हैं जिनमें कृषि की शिक्षा दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम—किसान हायर सेकेण्डरी स्कूल, बस्ती है। और एक है कृषक सहायक स्कूल, शाहरतगढ़।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि क्या वह बस्ती जिले में टेक्निकल स्कूल खोलने का विचार कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---कुछ नहीं।

गवर्नमेंट माडेल स्कूलों के सहायक अध्यापकों का वेतन

*२८---**श्री राम प्रसाद** (जिला रायबरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट माडल स्कूलों के सहायक अध्यापकों का वेतन वेतन-समिति की रिपोर्ट के पूर्व क्या था और अब क्या है ?

डाक्टर सीताराम---वेतन-समिति की रिपोर्ट के पूर्व ४५ रु० मासिक वेतन निर्धारित था और अब ४५-२-६५ द० रो० ३-८० रु० मासिक नियत किया गया है।

श्री राम प्रसाद---क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि जब हर वर्ग के मुलाजिमों का प्रारम्भिक वेतन बढ़ाया गया है तो इन मास्टरों का वेतन क्यों नहीं बढ़ाया गया ?

डाक्टर सीताराम---यह तो बतला दिया गया है कि पे कमेटी रिपोर्ट के अनुसार उनका वेतन ४५ से ८० कर दिया गया है। इस रिपोर्ट से पहले उनको प्रतिमास ४५ रु० मिलता था।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार को पता है कि पे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पडरौना जूनियर हाई स्कूल के मास्टरों को वेतन नहीं मिल रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसकी सूचना हमारे पास इस समय नहीं है।

*२९-३०---**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)---[स्थगित किये गये।]

*३१-३२---**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)---[स्थगित किये गये।]

*३३---**श्री रामेश्वर लाल** (जिला देवरिया)---[स्थगित किया गया।]

पुलिस कप्तान, जिला रायबरेली का सलोन थाने के समसपुर ग्राम में दरबार

*३४---**श्री रामबली मिश्र** (जिला सुल्तानपुर)---क्या गृह मंत्री कृपा कर के यह बतायेंगे कि रायबरेली जिला के पुलिस कप्तान ने जो दरबार २५ दिसम्बर, १९५३ को सलोन थाने के समसपुर ग्राम में किया उसमें कुल कितना रुपया व्यय हुआ और वह रुपया कहां से आया ? क्या यह दरबार सरकार की अनुमति से हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसा कोई दरबार नहीं हुआ। अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

*३५-३६---**श्री दलबहादुर सिंह**---[स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिला जेल में कैदियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था

*३७---**श्री रमेश चन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)---क्या गृह मंत्री कृपा कर के बतायेंगे कि जौनपुर जेल में क़ैदियों को पीने के लिये पानी किस जगह से दिया जाता है नल द्वारा या कुयें द्वारा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जौनपुर जिला जेल में कैदियों को नल और कुयें दोनों ही से पानी दिया जाता है।

श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब जौनपुर जेल में कुएं मौजूद हैं तो नल की क्या आवश्यकता पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुवें से वहां पानी कम पड़ता था और शायद नल जो लगाये गये हैं उनसे भी पानी कम पड़ रहा है क्योंकि वहां म्युनिसिपैलिटी से पानी बढ़ाने की अभी कोशिश हो रही है।

जौनपुर जिले में जरायम पेशा जातियां

*३८—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में कौन-कौन सी जातियां अब भी जरायम पेशा के अन्दर हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जरायम पेशा कानून के रद्द हो जाने से अब यह प्रश्न नहीं उठता है।

१९५३ का हाई स्कूल व इन्टर का परीक्षा-फल

*३९—श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष हाई स्कूल तथा इन्टर का परीक्षाफल सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अलग-अलग कितने प्रतिशत रहा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

परीक्षा	सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय।
हाईस्कूल ..	६५.६ प्र० श०	.. ५७.४ प्र० श०
इंटरमीडियेट ..	६९.३ प्र० श०	.. ६३.२ प्र० श०

*४०-४१—श्री धर्म सिंह—[स्थगित किये गये।]

कुन्दनपुर शुगर मिल अमरोहा में मुकामी मुलाजमीन रखनेके सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*४२—श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि कुन्दनपुर शुगर मिल अमरोहा और सरकार के दरमियान कोई ऐसा वादा हुआ है जिससे मिल को कुछ मुक़ामी मुलाजिमीन रखने जरूरी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*४३—श्री मुहम्मद तक़ी हादी—अगर ऊपर के सवाल का जवाब हां में है, तो क्या सरकार उसकी एक नकल मेज पर रक्खेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता।

झांसी में महारानी लक्ष्मी बाई के महल को स्मारक स्वरूप बनाने का प्रयत्न

*४४—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी में महारानी लक्ष्मी बाई के महल तथा उसके सामने वाले हाते से पुलिस

कोतवाली आदि हटा करके उसे महारानी साहिबा के स्मारक स्वरूप कायम रखने के सम्बन्ध में वहां के प्रमुख कांग्रेसमैनों का कोई शिष्ट मण्डल मुख्य मंत्री जी से मिला था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*४५—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोतवाली की नई इमारत आदि बनाने के लिये वह छावनी वालों से किले के इर्द गिर्द कुछ जमीन प्राप्त करने के वास्ते जो लिखा पढ़ी कर रही थी वह उसे प्राप्त हो गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*४६—श्री रामनारायण त्रिपाठी—[स्थगित किया गया।]

जिला अल्मोड़ा के पट्टी तालो रौ गन्जूडा में पानी का कष्ट

*४७— श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला अल्मोडा के पट्टी तालो रौ गन्जूडा में पानी का महान् कष्ट है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं ?

*४८—श्री खुशी राम—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस जल कष्ट निवारण हेतु सरकार क्या कार्रवाई अमल में ला रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद में शाप ऐक्ट लागू करने की प्रार्थना

*४९—श्री पाती राम (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार के पास फर्रुखाबाद फतेहगढ़ दूकानें कर्मचारिवर्ग की ओर से कभी कोई मांग दूकान तथा व्यापार संबंधी छट्टियों इत्यादि के कानून पर पूरा अमल होने के लिये निरीक्षकों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में सरकार से की गयी है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। जुलाई, सन् १९५२ में फ़र्रुखाबाद में शाप ऐक्ट लागू करने की प्रार्थना की गयी थी। सरकार ने एक शाप निरीक्षक की नियुक्ति फ़र्रुखाबाद, फतेहगढ़, फ़र्रुखाबाद और कायमगंज के लिये १ दिसम्बर, सन् १९५३ से कर दी है।

अपर गेंजेज शुगर मिल सिवहारा, जिला बिजनौर में मजदूरों की संख्या तथा फैक्टरी को पेरने की क्षमता

*५०—श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगर गेंजेज शुगर मिल सिवहारा जिला बिजनौर में फैक्टरी के अन्दर मशीनों पर कितनी संख्या में मजदूर (लेबर) काम करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—८१६।

*५१—श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि इस फैक्टरी की क्रसिंग कैपेसिटी करने की क्षमता कितनी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२५७५ टन प्रति दिन।

गाजीपुर जिलें के कासिमाबाद थानें के अन्तर्गत ग्राम सरजू पट्टी में डकैती

*५२--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले के कासिमा बाद थाने के अन्तर्गत हाल ही में कोई डकैती हुई ? यदि हां, तो कौन से गांव में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। ग्राम सरजू पट्टी में ता० ११/१२ फरवरी, १९५४ को एक डाका पड़ा था।

*५३--श्री यमुनासिंह--इस डकैती में कितने का नुक्सान हुआ तथा कितने आदमी गिरफ्तार हुये हैं ?

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द--५३० रु० का नुक्सान हुआ। ११ आदमी गिरफ्तार किये गये थे।

*५४--श्री यमुनासिंह--क्या थाना विरनो के भी कुछ आदमी गिरफ्तार किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सात आदमी गिरफ्तार हुये थे।

उन्नाव शहर म नया हरिजन छात्रावास

*५५--श्री कन्हैयालाल (जिला सीतापुर)--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि उन्नाव शहर में नया हरिजन छात्रावास कब से खोला गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--उन्नाव शहर में नया हरिजन छात्रावास १ फरवरी, १९५४ से खोला गया है।

बस्ती जिले के बांसी पुलिस स्टेशन द्वारा १९५३ में दफा १०७/११७ के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमें

*५६--श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बांसी पुलिस स्टेशन से १९५३ के अन्तर्गत कितने मुकदमें १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के चलाये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--२२।

*५७--श्री प्रभुदयाल--क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९५३ में १०७/११७ के कितने बन्दी जिला जेल बस्ती में बन्द किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--९१।

*५८--श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--[स्थगित किया गया।]

जिला देवरिया, में थाना गौरी बाजार की पुलिस तथा जनता में अनबन

*५९--श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)--क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत थाना गौरी बाजार में वहां की पुलिस तथा जनता में कुछ दिनों से काफी अनबन चल रही है जिसकी लिखित सूचना वहां के लोगों की तरफ से एस० पी० को दी जा चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--थाना गौरी बाजार की पुलिस और जनता में कोई अनबन नहीं च ; रही है । गत जनवरी में महाबीर नामक एक व्यक्ति के खिलाफ दफा ३५४ आई० पी० सी० के अन्तर्गत एक रिपोर्ट थाने में की गयी । जांच करने पर मामले को अदालत में भेजने का निश्चय किया गया । ऐसी खबर पाकर अभियुक्त के पिता सेठ मन्ना लाल ने तथा कुछ अन्य व्यक्तियों ने थाने के इन्चार्ज तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध सुपरिन्टेन्डेट पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया ।

*६०---श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी---क्या यह सही है कि गौरी बाजार के एक प्रतिष्ठित नागरिक श्री मन्ना लाल जो तारीख १६ फरवरी, १९५४ की शाम को गिरफ्तार किये गये तथा हथकड़ी लगाकर थाने पर ले जाये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां ।

*६१--श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी--क्या यह सही है कि उनकी जमानत तब हुई जब कि वहां के लोगों ने देवरिया जा कर प्रदर्शन किया और पुलिस के विरुद्ध नारे लगाये तथा एस० पी० से मिले ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रदर्शन और पुलिस के विरुद्ध नारे लगाये जाने की कोई सूचना नहीं है । कुछ लोग सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से मिले और प्रार्थना की कि श्री मन्ना लाल की वृद्धावस्था तथा शारीरिक दुर्बलता पर विचार करके उन्हें जमानत पर छोड़ दिया जाय और सुपरिन्टेडेंन्ट पुलिस ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली ।

*६२-६३--श्री जोरावर वर्मा--[स्थगित किये गये ।]

बुलन्दशहर जिले में डकैतियों से आर्थिक हानि

*६४---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि दिसम्बर, सन् १९५३ और जनवरी, सन् १९५४ में कितनी डकैतियां बुलन्दशहर जिले के किस-किस थाने में हुई हैं ?

*६५---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उनमें से किस-किस में और कितनी-कितनी आर्थिक हानि लोगों की हुई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मांगी गयी सूचना संलग्न नक्शे में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४०७ पर)

बस्ती जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने की योजना

*६६---श्री धनुषधारी पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई ऐसी योजना है कि बस्ती जिले के पिछड़े हुये क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक स्कूल सरकारी स्तर पर खोले जायं ? यदि हां, तो कहां-कहां और कब यह योजना कार्य रूप में आयेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई ऐसी योजना नहीं है। प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता ।

सन् १९५२ व १९५३ में बनारस जिल म घूसखोरी के अभियोग में मुअत्तल थानदार

*६७--श्री लालबहादुर सिंह कश्यप (जिला बनारस)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सन् १९५२ व १९५३ में बनारस जिले में कितने थानेदार घूसखोरी व सरकार के विरुद्ध आचरण करने पर मुअत्तल किये गए और कितने पर मुक़दमा चला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सन् १९५२ में केवल एक सब-इंस्पेक्टर घूसखोरी के अभियोग में मुअत्तल किया गया। सन् १९५२ या १९५३ में कोई थानेदार सरकार के विरुद्ध आचरण करने पर मुअत्तल नहीं किया गया और न किसी पर मुक़दमा चला।

*६८--श्री लालबहादुर सिंह कश्यप--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बनारस जिले में १९५२ व १९५३ में कितने पुलिस के अधिकारी अच्छा काम करने के लिये पुरस्कृत किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सन् १९५२ में ५६८ तथा १९५३ में ६८५।

तहसील सिंधौली में दिये गये असलाह लाइसेंस

*६९--श्री हनुमान प्रसाद मिश्र (जिला सीतापुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील सिंधौली में सन् १९५१ १९५२ और १९५३ में क्रमशः कितने असलाह लाइसेंस दिये गए ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- १९५१ में ५८,
१९५२ में ४३,
१९५३ में १८।

बस्ती जिले में पुस्तकालयों और वाचनालयों को सहायता

*७०--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला में किन किन पुस्तकालयों और वाचनालयों को कितनी-कितनी सहायता सन् १९५२-५३ के साल में सरकार देती रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--निम्नलिखित तीन पुस्तकालयों को सम्मुखांकित सहायता दी गयी थी :--

	रु०
१--दलित हितकारी पुस्तकालय, पिकौरा	७८१
२--श्री नागेश्वर सिंह पुस्तकालय, पिपरा, डाकखाना, मनौता ..	३६
३--मंगल प्रसाद पुस्तकालय, तरेवा, डाकखाना मझौवामीर ..	३६

लखनऊ शहर में साइकिल पर एक से अधिक व्यक्ति और रात्रि में बिला रोशनी के चलने की मनाही

*७१--श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब लखनऊ शहर में साइकिल पर एक से अधिक व्यक्ति के चलने की और रात्रि में बिला रोशनी के चलने की मनाही है कि नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, मनाही है।

जिला फैजाबाद की टांडा तहसील में सरकार द्वारा अंगीकृत एवं राजकीय सहायता प्राप्त कन्या पाठशालायें

*७२--श्री राम सुमेर (जिला फ़ैजाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद के टांडा तहसील में लड़कियों की कौन-कौन पाठशालायें सरकार द्वारा अंगीकृत (recognised) हैं तथा राजकीय सहायता पाती हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--निम्नांकित तीन पाठशालायें सरकार द्वारा अंगीकृत हैं तथा राजकीय सहायता पाती हैं :--

१--मिसेज मिल्नर ह्वाइट कन्या पाठशाला, मुबारकपुर।

२--आर्य कन्या पाठशाला, टांडा।

३--मुस्लिम निस्वां स्कूल, टांडा।

*७३--श्री राम सुमेर--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उक्त पाठशालाओं को अलग-अलग कितनी सहायता सरकार देती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--चालू वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त पाठलाशाओं को क्रमानुसार निम्नांकित अनुदान दिये गये हैं :--

	रु०
१--	४६०८
२--	२१४८
३--	१४७६

आजमगढ़ जिले के थानेदारों एवं कान्स्टेबिलों पर दायर इस्तगासे

*७४--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन थानों के थानेदारों एवं कांस्टेबिलों पर अदालतों में इस्तगासा दाखिल हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--निम्नलिखित थाने के थानेदारों और कांस्टेबिलों पर १ जनवरी, १९५३ से ३१ जनवरी, १९५४ तक इस्तगासे दायर हुये हैं :--

१--कोतवाली, २--मधुवन, ३--निजामाबाद, ४--मुबारकपुर, ५--अतरौलिया, ६--कोपागंज, ७--कंधरापुर, ८--अहरौला, ९--सरायमीर, १०--दीदारगंज, ११--जी० आर० पी० मऊ, १२--महाराज गंज, १३--वरदा, १४--गंभीरपुर, १५--जीयनपुर।

*७५--राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--[स्थानान्तरित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

बद्रीनाथ पुरी में टाउन एरिया बनाने का विचार

१--श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बद्रीनाथपुरी में कब टाउन एरिया बनाया जायेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बद्री नाथ पुरी में वर्ष के ६ मास से अधिक समय तक कोई स्थायी आबादी न होने के कारण वहां टाउन एरिया बनाना असम्भव सा है।

२--श्री चन्द्र सिंह रावत--क्या सरकार बद्रीनाथ सेनिटेशन और इम्प्रूवमेंट ऐक्ट सन् १९३९ को खत्म करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह ऐक्ट सन् १९३९ में नहीं, बल्कि १९४५ में बना था और सरकार का इसको खत्म करने का कोई इरादा नहीं है।

प्रश्नों के उत्तर में विलम्ब होने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)--मैं श्रीमन् एक जानकारी चाहता हूं। जो प्रश्नों की सूची संख्या ५६ से ७३ तक है उसमें ९-३-५४ लिखा हुआ है और इसमें मेरे प्रश्न हैं। मैंने ये ९-२-५४ को दिये थे। इस हिसाब से ये आज आ जाने चाहिये थे अब वे आ नहीं पायेंगे। इसी के बारे में मैं पूछना चाहता था।

श्री अध्यक्ष--आप मेरे कमरे में आकर शिकायत करें तो इसकी जांच हो जायगी, देख लिया जायगा कि छपाई की गलती है या सदन प्रोरोग हो जाने से ऐसा हुआ है। जो कुछ भी होगा देख लिया जायगा।

बनारस की पुलिस के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास चार कामरोको प्रस्ताव आये हैं। एक तो श्री झारखंडे राय जी का है जिसमें वे कुछ बनारस के पुलिस के मामले के सम्बन्ध में जिक्र करते हैं। यह बिलकुल ही प्रबन्ध के मामले से संबंधित चीज है और निश्चित भी नहीं है क्योंकि जो कुछ उनको सुनकर मालूमात हुई उसके आधार पर उन्होंने एक प्रश्न बना लिया है। कोई भी इसके साथ यह सूचना नहीं है कि निश्चित कैसे है, यह खबर ठीक है या नहीं। मैं इसको अवैध करार देता हूं क्योंकि प्रश्न केवल साधारण इंतजाम से सम्बन्ध रखने वाला है।

कानपुर में उपचुनाव के अवसर पर धारा १४४ के लागू करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरा श्री मदनमोहन उपाध्याय जी का है। कानपुर में धारा १४४ लगी है उसके सम्बन्ध में है। उन्होंने यह आक्षेप किया है कि चुनाव के प्रचार में गड़बड़ी होती है लोगों को और इससे जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उस पर विचार करने के लिये स्थगन चाहा है। अभी थोड़े समय पूर्व इसी सम्बन्ध में इस सदन में बहुत से प्रश्न किये गये थे, पूरक प्रश्न भी किये गये थे और माननीय गृह मंत्री जी ने उनके उत्तर भी दिये। यह इतने महत्व की बात उक्त उत्तरों के बाद नहीं रही जिसके लिए सदन का समय लिया जा सके, क्योंकि जो अब की बार १४४ का प्रयोग हुआ है उसमें कुछ दूसरे तरीके के संशोधन के साथ हुआ है। उसका जिक्र मदन मोहन जी ने अपने प्रस्ताव में किया भी नहीं और शायद उन्हें मालूम भी नहीं था। ऐसी अवस्था में अगर कोई शिकायत रह गयी हो तो उसके लिए दूसरा रास्ता है। प्रश्नों के उत्तरों के बाद आध घंटे की जो बहस नियम ४२ के अनुसार हो सकती है उसको वह चाह सकते हैं। क्योंकि मैं अवश्य कहूंगा कि ऐसे विषय जो चुनाव से संबंधित होते हैं, वे महत्व के जरूर हैं। लेकिन इस समय कामरोको प्रस्ताव का यह विषय नहीं हो सकता जब कि प्रश्नों से बहुत कुछ सफाई हो चुकी है।

एक आक्षेपात्मक विषय के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--तीसरा श्री रामनारायण जी त्रिपाठी का है। यह भी अनिश्चित सा है। मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता, यह केवल आक्षेप सा ही दिखायी देता है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

पुलिस की अन्तरंग व्यवस्था के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---चौथा श्री गेंदासिंह जी का है। यह भी पुलिस के अन्तरंग व्यवस्था से संबंधित है जो विषय कि कामरोको प्रस्ताव का या सदन में विवाद का नहीं हो सकता क्योंकि उसमें केवल पुलिस के डिसिप्लिन का सवाल बहुत कुछ निहित है। इसलिये इसको भी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। पिछली बार भी जब मैंने भूमि के पुनर्वितरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव दिया था तो आपने उसे अवैध करार देते हुए यह आज्ञा प्रदान की थी कि उसमें मुआविजे का मुद्दा नहीं है। इस बार मैंने उसमें मुआविजे का मुद्दा भी रख दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि श्रीमान् ने किस आधार पर इसको अवैध करार दे दिया है।

श्री अध्यक्ष---यही मुआविजे का प्रश्न इसमें भी था और इसके सम्बन्ध में संविधान में धारा ३१ इस प्रकार है। संविधान की धारा ३१ के दूसरे भाग में दिया हुआ है :

"No property, movable or immovable. including any interest in, or in any company owning, any commercial or industrial undertaking, shall be taken possession of or acquired for public purposes under any law authorising the taking of such possession or such aquisition, unless the law provides for compensation for the property taken possession of or acquired and either fixes the amount of the compensation, or specifies the principles on which, and the manner in which, the compensation is to be determined and given."

[कोई स्थावर और जंगम सम्पत्ति जिसके अन्तर्गत किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में या उसकी स्वामिनी किसी कम्पनी में कोई अंश भी है, ऐसी विधि के अधीन जो ऐसा कब्जा या अर्जन करने का प्राधिकार देती है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कब्जाकृत या अर्जित तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि वह विधि कब्जाकृत या अर्जित सम्पत्ति के लिए प्रतिकर का उपबंध न करती हो और या तो प्रतिकर की राशि को नियत न कर दे या उन सिद्धांतों और रीति का उल्लेख न कर दे जिनसे प्रतिकर निर्धारित होना है, और दिया जाना है।]

तो इसमें दोनों चीजें आवश्यक हैं कि मुआविजा भी होना चाहिये और मुआविजा जो दिया जाय उसके सिद्धांत भी होने चाहिये, कोई गोल चीज नहीं हो सकती है। माननीय सदस्य ने जो संशोधन के साथ मेरे सामने विधेयक रक्खा था उसमें मुआविजे का जिक्र इस किस्म का है कि जितनी खाने पीने के लिए आवश्यकता किसी आदमी को लगे उतना ही मुआविजा पाने का उसे हक़ है। यह मुआविजा नहीं हुआ। यह तो जैसे जमींदारी एबालिशन के साथ रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट लगा दी गयी उसी तरह की चीज है। कम्पेन्सेशन एक अलग चीज है और दया करके खाने पीने के लिये कोई चीज देना अलग बात है। इस तरह से वह अवैध हो जाता है क्योंकि कम्पेंसेशन की व्यवस्था में वह नहीं आता बल्कि एक तरह की मेहरबानी उसमें दी हुयी है। उसमें यह भी नहीं दिया हुआ था कि वह मेहरबानी किस सिद्धांत के ऊपर होगी और गवर्नमेंट किस प्रकार तै करेगी कि किसको कितना देना है। क्या कुटुम्ब के खाने पीने वाले आदमी गिने जायेंगे, ऐसी कोई संकेत की बात भी कोई उसमें नहीं थी। इस दृष्टि से मुआविजे के बारे में जो संविधान में दिया हुआ है उसके विरुद्ध यह विधेयक पड़ता है, इसलिये मैंने इजाजत नहीं दी।

विधान-सभा के अधिवेशन के समय जिलों में प्रशासन सम्बन्धी कांफ्रेंस न करने की प्रार्थना

*श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को एक हुक्म निकाला है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिये सारे जिलों में कांफ्रेंसेज होंगी जिसमें कि विधान सभा के सारे सदस्य रहेंगे और गांव के पंच और सरपंच भी होंगे। तो उसकी हमारे पास सूचना आ रही है कि ऐसे मौकों पर यह मीटिंग रखी जा रही है जबकि विधान सभा की कार्यवाही भी यहां पर होगी तो क्या मैं आपके जरिये से सरकार से प्रार्थना कर सकता हूं कि चूंकि इन कांफ्रेंसेज में विधान सभा के सदस्यों का होना आवश्यक है, इसलिये वह कांफ्रेंसेज उस समय न बुला कर जब भी पहले आवश्यक और उचित समझें बुला लें ताकि उनका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है और ऐसा होना उचित भी है।

पांडीचेरी, गोआ तथा पाक-अमरीकी सन्धि संबंधी संकल्पों को उपस्थित करने के विषय में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे गोआ और पांडीचेरी के प्रस्ताव पर विश्वास दिलाया था कि वह आज सदन में इस बारे में अपनी सहमति या किसी प्रकार का विचार प्रकट करेंगे। तो क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या निश्चय किया है?

श्री अध्यक्ष---इसका सरकार से सम्बन्ध नहीं है। लीडर आफ दि हाउस की हैसियत से उन्होंने आपसे जिक्र किया होगा। मैंने यह कहा था कि नोटिस के विषय में जो नियम हैं उनको छोड़कर अगर कोई संकल्प इस सदन में आवे तो उसके लिये मैं इजाजत तभी दूंगा जबकि कोई विवादास्पद बात संकल्प में न आये। ऐसा विषय जिससे परराष्ट्र या अन्तर्राष्ट्रीय नीति से सम्बन्ध हो उसको इस सदन के सामने मतैक्य न होने पर विवाद के लिये नहीं आना चाहिये। यह केवल अधिकार पार्लियामेंट का है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय नीति की बातों पर कोई विवाद छेड़े। यदि उसमें कोई विवाद का प्रश्न न हो बल्कि केन्द्रीय सरकार की नीति से भी मिलती जुलती कोई बाद संकल्प में हो और उस दृष्टि से आप केन्द्रीय सरकार को बधायी देना चाहें या उसकी प्रशंसा करना चाहें और उसके लिये नोटिस के बगैर कोई संकल्प लाना चाहें तो मैंने यह प्रथा रक्खी है कि ऐसे मौके पर सदन की एक राय होनी ही चाहिये यदि एक राय हो तो यह हो सकता है कि यद्यपि संकल्प में अन्तर्राष्ट्रीय नीति से संबंधित कोई बात भी हो तो भी उसे पेश करने की मैं इंजाजत दे दूं। लेकिन चूंकि इस प्रकार एक मत नहीं हुआ इसलिए मैंने इस संकल्प के पेश करने की इजाजत नहीं दी।

इसी प्रकार श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी जी ने भी एक प्रस्ताव रखा था और उसमें भी यही नीति अख्तियार की गयी है। उसमें भी एक मत नहीं हुआ इस लिए मैंने उसकी इजाजत नहीं दी कि वह सदन के सामने उपस्थित हो सके।

श्री नारायणदत्त तिवारी---एक मत की सूचना नहीं मिली।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---मुझे सूचना मिल गयी है कि एक-मत नहीं हो सकता। इस लिये मैंने अपना निर्णय दे दिया कि वह पेश नहीं हो सकता।

दैनिक एवं यात्रा भत्ते के सम्बन्ध में सुझाव

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की एक व्यवस्था चाहता हूं। जैसा अभी माननीय मदन मोहन उपाध्याय जी ने कहा, अगर असेम्बली चलती हो और कोई माननीय सदस्य यहां से अपने क्षेत्र में किसी मीटिंग में जायं, या कोई कांफ्रेंस ऐसी हो जो उनके क्षेत्र से संबंधित हो, तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने के लिए तैयार है कि जो यहां डी०ए० या जो आने जाने का खर्चा मिलता है उन दोनों में से जो कम हो वह दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---यह मेरी व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, क्योंकि नियम बने हुये हैं और नियमों में परिवर्तन करना सरकार और सदन का अधिकार है। जो नियम होंगे वही लागू होंगे, मेरी व्यवस्था से काम नहीं होगा।

†समस्त राज्य में हाई स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क करने का संकल्प (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब माननीय रणंजय सिंह के संकल्प पर विवाद जारी रहेगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आप से यह निवेदन करना है कि इस पर कल काफी बहस हो चुकी है, इस लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर अब बहस खत्म कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---३१

विपक्ष में---९५)

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जब प्रश्न आता है कि फोर नान आफीशियल डे को रिजोल्यूशन ले लिये जाते हैं तो यह प्रिंसिपल फोर के आ जाने के कारण कोई संख्या नहीं होती तो मैं समझता हूं कि अगर हम किसी रिजोल्यूशन को लाना चाहें और मैजारिटी पार्टी उसके खिलाफ हो तो कभी भी वह चीज नहीं लाने देंगे।

श्री अध्यक्ष---यह प्रिंसिपल को समझाने का वक्त नहीं है। सवाल यह है कि नियम बने हुए हैं। जब नियम बनाये जाते हैं तो उस समय प्रिंसिपल को सोच लिया जाता है। इसको एक्सप्लेन करना मेरा काम नहीं है और मैं इसके लिये सदन का समय नहीं लूंगा अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। मैं उस समय संबंधित कागजात निकलवा लूंगा।

*श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)---अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने जो माननीय रणंजय सिंह जी द्वारा संकल्प प्रस्तुत है उसमें पांच संशोधन आये हैं। किसी प्रदेश की

---

†१अप्रैल, १९५४ को कार्यवाही में प्रस्तुत हुआ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभ्यता उस प्रदेश की शिक्षा पर निर्भर करती है और जो बच्चे होते हैं वे उसके भावी स्तम्भ हैं। जहां तक हमारे प्रदेश की शिक्षा का सवाल है, अगर हम देखें तो ८० प्रतिशत हमारे प्रदेश की जनता ऐसी है जो निरक्षर है यानी जिन को शिक्षा देने की जरूरत है। इस तरह से अगर हम लड़के और लड़कियों और स्त्रियों और पुरुषों को जो यहां पर बसते हैं, अगर उनकी संख्या को देखें तो ८० प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो अभी तक शिक्षित नहीं हैं।

हमारे देश की प्राचीन काल में हमारी नारियां अपनी कला, शिक्षा और गुणों के लिये मशहूर थीं। उन नारियों की बदौलत ही हमारे भारतवर्ष में राम और कृष्ण जैसी संतानें पैदा हुयीं, जिन्होंने दुनिया को चकित कर दिया। लेकिन आज हम देखते हैं कि जितनी भारत की नारियां हैं और उनकी शिक्षा का सवाल है और माननीय मंत्री जी ने कल अपने भाषण में बतलाया था उससे तो नारियो की शिक्षा की तरफ पूरी अवहेलना मालूम होती है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जहां तक पुरुषों का सवाल है हम देखते हैं कि . . . .

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य जरा शांति रखें। आपस में बातें न करें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री कमलासिंह—जहां तक पुरुषों की शिक्षा की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं कि गरीब जनता आज पिसी जा रही है। जब फीस की तरफ देखते हैं तो मालूम होता है कि आज फीस दुगुनी तिगुनी और चौगुनी हो गयी है। इस कारण से गरीब लोगों से आशा करना कि वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें या उनको उच्च शिक्षा दे सकें तो यह गैरमुमकिन सी चीज मालूम होती है। हां, हमारी सरकार ने एक चीज जरूर की है कि हरिजन जितने हमारे इस प्रदेश के अन्दर हैं उनके लिए शुरू से आखिर तक शिक्षा निःशुल्क देने की कोशिश की है। लेकिन साथ ही साथ ३ करोड़ जनता जो पिछड़ी कौमों की है या और भी जितने जो उच्च वर्ग के लोग हैं अगर उनकी तरफ ध्यान दें तो हम देखते हैं कि अधिक से अधिक तादाद में ऐसे लोग हैं जो ऊंची शिक्षा या किसी तरह की शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर सकते। संविधान के आर्टिकल ४५ की तरफ ध्यान देते हुए हम यह उम्मीद करते थे कि हमारे माननीय मंत्री जी ऐसी कोई बात हमारे प्रदेश के अन्दर लायेंगे, ऐसी कोई स्कीम लायेंगे जिस से १० साल के अन्दर हमारे प्रदेश में कोई भी ऐसा आदमी न रहे जोकि साक्षर न हो जाय। जब माननीय सम्पूर्णानन्द जी यहां पर शिक्षा मंत्री थे तब प्रौढ़ शिक्षा प्रचार की तरफ हमारा ध्यान जाता था। तब तो हमें बड़ी आशा इस प्रदेश में थी कि वह दिन आयेगा जबकि हमें कोई निरक्षर नहीं मिलेगा, लेकिन जो हालत आज देखते हैं, जो नीति गवर्नमेंट की है, उससे तो निराशा ही मालूम होती है और अन्धकार ही अन्धकार मालूम होता है। कल जो माननीय मंत्री जी का भाषण मैंने सुना उससे और भी निराशा मिली। मैं तो समझता था कि माननीय मंत्री जी जो क्षत्रिय हैं, कम से कम.....

श्री अध्यक्ष—किसी की जाति नहीं निकालनी चाहिये।

श्री कमलासिंह—जाति से मेरा कोई बुरा कटाक्ष नहीं है।

श्री अध्यक्ष—हालांकि आप तारीफ में कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी निन्दा में भी यह चीज आ सकती है।

श्री कमलासिंह—बहुत अच्छा। तो हमेशा वीरों का यह काम होता है कि बड़ी से बड़ी कठिनाई अगर सामने आवे तो उस आये हुए रोड़े को सामने से दूर कर सकते हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि शिक्षा की तरफ जो हमारी दिक्कतें हैं उनको देखते हुए हमारे मंत्री जी का साहस बहुत गिर गया। साथ ही साथ जब हम अपने मंत्रिमंडल की तरफ देखते हैं तो हमें याद आता है कि हमारे मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री जी जैसे महारथी और माननीय चन्द्रभानु गुप्त जैसे महारथी हैं वहां अगर धन के अभाव से हमारे प्रदेश की जो आशायें हैं और

[श्री कमलासिंह]

बापू की जो भावनायें थीं जिससे हमारे देश को आशा मिल रही थी कि हमारे प्रदेश का एक एक बच्चा शिक्षित हो जायगा, हम समझते हैं कि वह आशा भी हमारी खत्म हो रही है । इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत से ऐसे स्थान रिक्त हो गये, जिनकी पूर्ति करने वाला कोई नहीं है । वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जिसका नाम था, जितनी भी असंभव चीजें हमारे प्रदेश के अन्दर थीं उनको उन्होंने सम्भव कर दिया । कोई भी कठिनाई उनके सामने आती थी, उसको वे कुछ नहीं समझते थे । इतना ही नहीं, जबकि हमारे प्रदेश के ऊपर पाकिस्तान के बादल मंडरा रहे थे, हमारे दुश्मन सोच रहे थे कि इस प्रदेश को चकनाचूर कर दें, हमारे लौह पुरुष पटेल जी सिंह की तरह दहाड़ते थे और चिंघाड़ते थे और उस समय जो कुछ उन्होंने किया वह सब को विदित है । हमने अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को देखा था कि जब वे कहीं प्रदेश में जाते थे तो वे उसी लौह-पुरुष की तरह दहाड़ते थे और कहते थे कि पाकिस्तान की ताकत जो है उसका मुकाबिला करने के लिए तो हमारे प्रदेश की ताकत काफी है । मैं समझता हूं कि जब हमारे यहां भी एक लौह-पुरुष ऐसा है जोकि बड़ी से बड़ी ताकत को चकनाचूर कर सकता है, तो मुझे अफसोस होता है कि गरीब तबका, या ऐसी जनता जोकि अधिक से अधिक तादाद में हमारे प्रदेश में है, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । हमारे बापू ने जो आदेश दिया था कि हमारे हिन्दोस्तान की जनता में, हमारे प्रदेश की जनता में कोई भी ऐसा आदमी नहीं रहेगा जोकि निरक्षर हो । हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी यही वादा किया और मैं तो समझता हूं कि उस वादे की तरफ प्रदेश को और सरकार को चलना चाहिये । माननीय सम्पूर्णानन्द जी जिस समय शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने साक्षरता दिवस योजना और जो जो योजनायें बनायीं उनसे हम उम्मीद करते थे कि बहुत जल्द हमारा यह सपना पूरा करेंगे । अभी जब हम इस सदन में आये थे तो मेरी सम्पूर्णानन्द जी से भी बातें हुई थीं । मैंने उनसे पूछा था कि हमारे प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कब शुरू होगी ?

माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने यह बतलाया था कि १९५४ या ५५ तक यह हो जायगी । लेकिन आज इस सदन के अन्दर जब यह संकल्प आया है, तब माननीय शिक्षा मन्त्री जी का भाषण जब हम लोगों ने सुना तो उससे बिलकुल निराशा ही मालूम हो रही है और जो हमारे संविधान के अन्दर १० साल में सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात है, मैं समझता हूं कि वह भी एक सपना ही रहेगा । इन चीजों को देखते हुए हमें अंधकार ही आगे मालूम होता है । हमारी कांग्रेस सरकार ने भी यह सोचा है कि हिन्दुस्तान के अन्दर एक वर्गहीन समाज पैदा किया जाय । मैं समझता हूं कि हर एक आदमी को चाहे वह अमीर हो या गरीब जब तक कि यह मौका न दिया जाय कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, और उसके बच्चे पढ़ लिखकर आगे बढ़ सकें, तब तक यह वर्गहीन समाज की उम्मीद का पूरा होना एक गैरमुमकिन चीज है । आज हरिजनों के लिए भी हम लोगों ने देखा कि हरिजन समाज पिछड़ा हुआ इस लिए था कि उनको शिक्षा नहीं मिलती थी, उनके लिए ऐसा इनवायरनमेंट नहीं था कि वे आगे बढ़ सकें । वही हालत आज गरीबों की भी है । एक तरफ तो हम हरिजन समाज को जो कि गिरा हुआ समाज है, उसको ऊपर उठा रहे हैं और दूसरी तरफ जो एक और समाज उसके साथ साथ है, जो कि हमारा गरीब तबका है, उसको भी अगर साथ साथ ही हम ऊपर उठाने की कोशिश करते तो ज्यादा अच्छा होता । कभी कभी तो यह भी कहा जाता है, कोई अछूत के नाम से कहता है, कोई बैकवर्ड के नाम से कहता है और कोई गरीब तबके के नाम से कहता है, इस तरह के अजीब अजीब नाम हमारे सामने आते हैं मैं तो ऐसा समझता हूं कि अगर हर एक बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा कर दी जाती तो यह दिक्कत हमारे सामने न आती । साथ ही साथ इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, बल्कि हम यह भी देखते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने लोग कम्पटीशन में बैठते हैं, उनमें आज उत्तर प्रदेश की जो संख्या है, वह बहुत ही कम है और ज्यादातर मद्रास वगैरह के कैन्डिडेट्स अधिक से अधिक आ रहे हैं । इस तरह हमारे प्रदेश का

स्टैन्डर्ड भी बहुत गिरा हुआ है। अगर उधर भी हम देखें, तो हमें अफसोस होता ह और कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे प्रदेश का किस प्रकार बेड़ा पार होगा। हम तो यह देखते ह कि अगर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दी जाय तो ज्यादा से ज्यादा गरीब तबके के लोग जो कि हर तरीके पर आगे बढ़ सकते हैं, उन लोगों को भी मौका मिलेगा कि उनके बच्चे भी कम्पटीशन में बैठें, और जब अच्छे अच्छे कैन्डिडेट्स कम्पटीशन में आयेंगे, तो हमारे प्रदेश का भी भला होगा। तो हमारे लिए यह ताजिमी होता है कि हम कोशिश करें कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हमारे प्रदेश में हो। माननीय मन्त्री जी ने अपना भाषण जब सदन के अन्दर दिया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास धन नहीं है और वैसे ही जब हम माननीय रामचन्द्र विकल जी का भाषण सुन रहे थे, तो उन्होंने यह कहा था कि हमारे प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लड़के फैशन की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। मैं तो समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि फैशन की तरफ वही जा सकते हैं जिनके पास पैसा है। कोई अगर सिनेमा वगैरह देखना चाहे तो वही देख सकता है, जिसके पास पैसा है। लेकिन वह गरीब जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, उस से कोई यह उम्मीद करे कि उसके लड़के सिनेमा में जायेंगे यह एक नामुमकिन बात है। हो सकता है माननीय विकल जी ने एक खास तबके की बात कही हो, लेकिन गरीब तबका हमारे सूबे में ज्यादा से ज्यादा बड़ा है, ८० फी सदी उसकी यहां पर पापुलेशन है, उसके मुताल्लिक तो हमें यह प्रबन्ध करना ही होगा। अब जहां तक धन का सवाल है उसके मुताल्लिक मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान माननीय श्रीचन्द जी के एक करेक्शन की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कि हमारे यहां जो बजट बन रहा था, उसी बजट के अन्दर उन्होंने किया था कि अगर ओरिजिनल वर्क जो पी० डब्लू० डी० का है उसकी कान्टिन्जेंसी के ५ परसेंट से घटाकर १ परसेंट कर दें तो १ करोड़ २७ लाख ११ हजार ६ सौ ४० रुपये की बचत हो जाती है और रिपेयर के मुताल्लिक भी २७,३५,४४० रु० की बचत हो सकती है। रिडक्शन भी अगर शिड्यूल रेट से कर दिया जाय तो ३,८५,९५,२०० रु० की बचत हो सकती है, और इसी तरह एक दूसरी मद है जिससे ६,३५,६१,२०० रु० की बचत की जा सकती है।

इस तरह ११ करोड़ ७६ लाख ३ हजार ७ सौ ८० रु० की बचत हो सकती है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी उन्होंने यह चीज दी होगी और अगर इस चीज पर हमारे शिक्षा मन्त्री ध्यान दें, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा भला होगा। साथ ही साथ मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान रामकृष्ण मिशन की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के अन्दर मिशन अपने कार्यों के लिए मशहूर है। इसमें एम० ए०, बी० ए०, पी० एच० डी०, या जितने रिटायर्ड आफिसर्स हैं, वे लोग जाकर कम्पाउन्डर वगैरह का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी अगर इस तरफ भी ध्यान दें, कि हमारे प्रदेश में जितने रिटायर्ड आफिसर्स हैं, अगर उनके हृदय में कोई खास ऐसा परिवर्तन किया जाय तो हमारे प्रदेश का कोई भी रिटायर्ड आफिसर नहीं होगा, जो अपना एक या दो घंटे हमारे स्कूल के बच्चों की शिक्षा के लिए न दे सके। इस तरह से अधिक से अधिक तादाद में लोग मिल सकते हैं। जहां तक स्कूलों की तादाद बढ़ाने का सवाल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में २ सौ प्राइमरी स्कूल, लड़कों के लिए, दो सौ लड़कियों के लिए और ६ सौ और, इस तरह से एक हजार स्कूलों की जरूरत है। मैं समझता हूं कि ४३० माननीय सदस्य हैं इस विधान सभा के अन्दर। अगर उनमें हर एक यह निश्चय कर ले और कोशिश करे कि अपने देहात में तीन तीन स्कूल बनवा देगा तो यह समस्या भी बहुत आसानी से हल हो सकती है। इतनी ही नहीं। एक और चीज है। शिक्षा की समस्या को हम पंचायतघरों से भी हल कर सकते हैं। जितने पंचायतघर बने हैं, हर जिले में या हर तहसील में उनमें भी हम स्कूल का काम लें। इस तरह से भी हमारी समस्या हल हो सकती है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक साक्षरता दिवस का सवाल है, उसमें हमारी गति बहुत मन्द होती जा रही है। आज जितने शिक्षित विद्यार्थी हैं, उनके सामने कोई प्रोग्राम न होने के कारण डिस्ट्रक्टिव पालिसी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। जिस तरह से

[श्री कमलासिंह]

अन्य देशों में समर वैकेशन या विन्टर वैकेशन होती है, अगर हम स्कूलों में एक दो महीने की विन्टर वैकेशन और एक दो महीने की समर वैकेशन कर दी जाय, जितने स्कूल कालेज के लड़के हैं, उनके सामने प्रोग्राम बना दिया जाय। वे अपने पास के स्कूलों में जाकर शिक्षा प्रदान करें। इस तरह से जो वे शिक्षा देंगे, तो लोगों का भला होगा।

● *श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आज जो संकल्प उपस्थित हुआ है, उसको तो आप सभी पसन्द करते हैं कि शिक्षा जितनी बढ़े उतना ही अच्छा है और यह भी चाहा जाता है कि यह शिक्षा निःशुल्क हो। अब हमारे यहां इन पांच वर्षों में शिक्षा दुगुनी हो गयी है। लेकिन आज शिक्षा में सब से बड़ी कमी यह है कि आज हमारे लड़कों में उच्छृंखलता, अनैतिकता और अनुशासनहीनता आ गयी है। इस ओर शिक्षा मन्त्री जी को खास तौर से ध्यान देना चाहिए। मेरा यह अनुमान है कि उन फ्री स्कूलों में जहां अध्यापक अच्छे होते हैं, योग्य होते हैं, वहां के विद्यार्थी जो हैं, उनमें इतनी उच्छृंखलता नहीं आती है। उनका कहना लड़के मानते हैं। अगर हमारे शिक्षक वर्ग में योग्यता, प्रेम और सेवा करने की भावना हो, मिशनरी स्पिरिट (भावना) हो तो उसका असर लड़कों पर पड़ता है। आज यह देखने में आता है कि जो अध्यापक वर्ग हैं, उनमें लड़कों के लिए न प्रेम है, और न वे स्कूल की परवाह करते हैं। वह तो पैसे के मीत हो रहे हैं। उसी के लिए काम करते हैं। उसी का प्रभाव लड़कों पर पड़ता है। लड़कों में जो आज अनुशासनहीनता है, उसका कारण यही है कि हमारे अध्यापक वर्ग में बहुत बड़ी कमी है। इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि अगर वे यह चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों में नैतिकता या अनुशासन आये तो उनको अपने अध्यापक वर्ग को ठीक करना होगा। अगर शिक्षक वर्ग जैसा मैंने अर्ज किया योग्य भी हो और उनके अन्दर बच्चों के सुधारने की भावना हो। जैसे बाप अपने बेटे को शिक्षा देता है। तब तो मैं समझता हूं कि लड़कों में जरूर अनुशासन आयेगा, नैतिकता आयेगी। यह नहीं हो सकता कि उनका प्रभाव उन पर न पड़े। आज हमारे शिक्षक वर्ग की उदासीनता से ही लड़कों में इतनी उच्छृंखलता और इतनी अनुशासनहीनता आ गयी है और नैतिकता की कमी हो गयी है। लिहाजा हमारी पुस्तकों में ऐसी बातें होनी चाहियें, जो नैतिकता की ओर ले जायं। जितने हमारे धर्म प्रचलित हैं, आध्यात्मिक ग्रन्थ हैं, उनकी मुख्य मुख्य बातें जो सब ग्रन्थों में एक हों, उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि उनका प्रभाव लड़कों के मनों पर पड़े।

दूसरी चीज शिक्षा में यह है कि लड़के पढ़ जाते हैं तो उनको कुछ दिखायी नहीं देता कि क्या आगे करें। जिनमें कुछ पढ़ने की गुंजाइश होती है, वे कालिज में चले जाते हैं और आगे पढ़ते हैं लेकिन वहां भी उनको अन्धकार ही मिलता है। पढ़ने के बाद उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती तो उनमें बड़ी भारी उदासीनता आ जाती है और उनमें एक तरह की बुरी भावना पैदा होती है जो उनको बड़ा नुकसान देने वाली होती है। उनका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए बेहतर यह है कि ऐसी शिक्षा दी जाय कि लड़के पढ़ने के बाद अपने कामों में लग सकें। सरकार ने यह बहुत अच्छा किया है कि गांवों में जो सेकेंडरी स्कूल्स होंगे, उनमें कृषि की शिक्षा दी जायगी। यह बड़ा अच्छा कदम है। लेकिन जो नगर हैं, उनमें भी ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध हो कि लड़के शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् अपने कामों में लग सकें। अगर ऐसा होगा, तो फिर लड़के आगे नहीं पढ़ेंगे बल्कि टेक्निकल स्कूल्स में जायेंगे। अगर लड़के आगे पढ़ें और उनको कोई काम न मिले, तो ऐसे एजुकेशन से कोई लाभ नहीं है। इससे उनको उदासीनता का सामना करना होता है, और उसका उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस तरह की शिक्षा गांवों और नगरों के स्कूलों में मिलनी चाहिए जो टैक्निकल या औद्योगिक हो। मैं अर्ज करूंगा कि माननीय मन्त्री इस ओर खास तौर से ध्यान दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य जो विषय है उस से विषयान्तरित न हों। शिक्षा प्रणाली की पद्धति पर बहस नहीं हो रही है बल्कि निःशुल्क शिक्षा पर बहस हो रही है।

श्री रतन लाल जैन—इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि शिक्षा फैले और यह और भी अच्छा होगा कि अगर निःशुल्क हो। अगर सरकार के पास सुविधा हो, पैसे की कमी न हो, तो निःशुल्क शिक्षा कर दे और अगर पूर्णतया निःशुल्क इस वक्त न कर सके तो कुछ फीस कम कर दे और बाद में जब सुविधा हो जाय, उस वक्त निःशुल्क कर दे। ये मैं थोड़े से सुझाव माननीय मन्त्री जी की सेवा में पेश करना चाहता हूं।

श्री काली चरण टन्डन (जिला फर्रुखाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से इस निःशुल्क शिक्षा के संकल्प पर जो विचार हुआ है, उसको मैंने बहुत ध्यान से सुना है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अधिकतर माननीय सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया है कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और इसके साथ साथ यह भी विचार है कि वह अनिवार्य करदी जाय। केवल कुछ महानुभावों का ऐसा विचार है कि अभी इसके लिए समुचित साधन नहीं है और कुछ समय और होना चाहिए। आज वह नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, स्वयं माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय ने कहा कि उनको इस संल्कप का विरोध नहीं करना है, किन्तु उनको आपत्ति अवश्य है। इस सम्बन्ध में, मैं श्रीमान् जी से यह निवेदन करूंगा कि जैसा माननीय नारायण दत्त जी ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि इसको पूर्ण रूप से ही माना जाय, जैसा कि यहां पर अन्य संकल्प सिद्धान्तरूप में ले लिये गये हैं तो मेरा यह संकल्प जो है, उसे ले लिया जाय, उसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार निःशुल्क शिक्षा की ओर अग्रसर हो। यह कौन मान सकता है कि शिक्षा एक ही दिन में निःशुल्क कर दी जायगी, अब तक की जो प्रगति है उससे मुझे पूरा सन्तोष नहीं है। इसलिए इस बात को सोचते हुए जैसा कि म्युनिसिपल बोर्ड में निःशुल्क शिक्षा के तौर पर विचार किया गया है, उससे अधिक आवश्यकता मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा देहाती क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा का प्रसार किया जाय। अनिवार्य शिक्षा भी होनी चाहिए परन्तु यदि अनिवार्य शिक्षा कर दी गयी, और निःशुल्क शिक्षा नहीं की गयी तो इसका गरीबों और दरिद्रों पर बहुत बोझ पड़ेगा और उनके लड़के वहां पर पढ़ने के लिए विवश होंगे। पढ़ना आवश्यक है इसलिए मैंने निःशुल्क शिक्षा को रखने की ही केवल बात यहां पर रखी है कि जिससे हमारी शिक्षा निःशुल्क हो जाय और मेरा विचार यह है कि निःशुल्क शिक्षा की पहले आवश्यकता है तब आप उसको बाद में अनिवार्य कर सकते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि बहुत से बालक वहां पर आजायेंगे और उनको सुविधा भी हो जायगी बल्कि वह वहां पर प्रसन्नता से आजायेंगे। इसलिए निःशुल्क शिक्षा के विषय में यहां पर मतभेद नहीं है, और न होना चाहिए। लेकिन जो कठिनाई प्रतीत होती है वह साधन की कठिनाई प्रतीत होती है। यदि साधन नहीं हैं तो इस प्रगति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय की सेवा में आपके द्वारा यह विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वह सिद्धान्त मानकर कि उसके लिए प्रगति की आवश्यकता है, और उससे आगे बढ़ा जा सकता है। जैसा कि देखा जा रहा है कि संविधान को बने हुए कई वर्ष हो गये हैं और आज तक की जिस प्रकार की प्रगति रही है, उस प्रगति से यह प्रतीत होता है कि समस्त प्रान्त में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध कुछ कठिन प्रतीत हो रहा है। मैंने यह भी देखा है कि बहुत से स्थानों पर जहां पर निःशुल्क शिक्षा है, वहां पर ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। देशी राज्यों में, निःशुल्क शिक्षा थी। रीवां राज्य

[श्री रणंजय सिंह]

में १०वीं कक्षा तक सर्वथा निःशुल्क शिक्षा थी और अन्य प्रान्तों में भी इसके लिए कार्य किया है परन्तु हमारे प्रदेश में इस ओर प्रगति धीमी रही है। जब छोटे छोटे राज्य इसके लिए प्रबन्ध कर सकते हैं तो फिर हमारे प्रान्त में निःशुल्क शिक्षा की घोषणा कोई असम्भव बात नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में समस्त महानुभावों ने अपने विचार प्रकट करते हुए बहुत अच्छी बातें कही हैं। मैं कुछ बातों से असहमत भी हो सकता हूं। किन्तु अधिकतर मैंने यह देखा है कि सदन का यही विचार है कि यह संकल्प ऐसा है कि जिसका विरोध नहीं होना चाहिए और जिन सज्जनों ने इसमें संशोधन किया है, वे महानुभाव अपना विचार प्रकट करते हुए और इसके सिद्धान्त को मानते हुए आगे बढ़े हैं। उनमें से माननीय श्री बलवन्त सिंह ने मेरे विचारों को माना है और वह इस बात को ठीक समझते हैं किन्तु साधन के लिए अभी उन्होंने जोर दिया है। किन्तु यह नहीं हो सकता कि साधन के लिए हम बैठे रहें और साधनों की प्रतीक्षा करते रहें। जब कभी हो, तब हो जाय, इसमें मुझे कुछ आपत्ति दिखायी पड़ती है। यह तो मानी हुई बात है जब सम्भव होगा, जब साधन होंगे तभी यह प्रबन्ध हो सकेगा। मैं चाहता हूं साधनों को जुटा कर निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय। माननीय श्री नागेश्वर द्विवेदी जी ने जो पूर्व माध्यमिक शिक्षा का संशोधन रक्खा था, वह तो मैंने कल ही स्वीकार कर लिया था। यह मैं मानता हूं कि धीरे-धीरे चलना ठीक होगा, एक दिन में सब काम नहीं हो सकता। इसलिए मैंने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था कि जितना भी हो जाय, उतना ही ठीक है। माननीय श्री श्रीचन्द जी ने कहा कि प्राइमरी स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय। अगर कुछ न हो तो मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं है, क्योंकि 'सम थिंग इज बेटर दैन नथिंग' लेकिन मेरा अपना विचार है कि आठवीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क हो ही जानी चाहिए। अगर प्राइमरी भी निःशुल्क हो जाती है, तो कुछ न कुछ तो हो ही जायगा। माननीय श्री रामदास आर्य जी ने जो शब्दों के बारे में कहा कि वे कुछ भ्रमोत्पादक हैं। मैं तो यह समझता हूं कि जिस प्रकार उच्च, उच्चतर और उच्चतम होते हैं, उसी प्रकार से हाई, हायर और हाइऐस्ट होते हैं। अगर इसकी व्याख्या की जाय तो बहुत समय लग जायगा लेकिन मैं तो समझता हूं कि जितना भी हो जाय, उतना अच्छा है, और फिर अधिकस्य से अधिकम फलम्, जितना अधिक हो उतना ही अच्छा है। एक साहब ने कहा कि विश्वविद्यालय की शिक्षा भी निःशुल्क कर दी जाय। मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। मैं तो यही चाहता हूं कि सारी शिक्षा निःशुल्क हो, लेकिन इस समय यह एक कठिन समस्या है, इस लिए मैंने ऐसा प्रस्ताव नहीं रक्खा। विश्वविद्यालय की बातें इस समय कहना मेरे विचार में उचित नहीं है। इसके बारे में देहात में एक कहावत है जिसका अर्थ यह है कि किसी के पास एक पैसा भी न हो और वह लाखों के स्वप्न देखे। इसी प्रकार का यह सवाल है। इस समय प्राइमरी शिक्षा जब निःशुल्क नहीं है, हम कहें कि युनिवर्सिटी तक की शिक्षा निःशुल्क हो जाय, यह स्वप्न देखने की सी बात मालूम होती है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार पहले इस निःशुल्क शिक्षा के सिद्धान्त को मान ले, तो फिर इससे जनता की बड़ी भलाई होगी।

एक बात यह भी कही गयी कि मान लीजिये शिक्षा तो निःशुल्क कर दी गयी लेकिन फिर भी पुस्तकों आदि का मूल्य देना ही होगा। इसके विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुस्तकों के अतिरिक्त जितनी भी टामटाम है, उसको भी कम किया जाना चाहिए। 'प्लेन लिविंग ऐन्ड हाई थिंकिंग' सादा जीवन और उच्च विचार। हमारा तो यही ध्येय होना चाहिए। हमें ऋषियों मुनियों की प्रणाली को अपनाना चाहिए। लेकिन इसके लिए अभी दिन लगेंगे। ये बातें हम बरसों में अपना सकेंगे। लेकिन इसको भी मैं समझता हूं कि ये कठिन बात नहीं है। हमारा जीवन सादा हो सकता है, बालक पेड़ों के नीचे पढ़ सकते हैं, फूस की झोपड़ियों में पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा विचार है सरकार इस समय पूर्व माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध निःशुल्क कर सकती है, और ऐसा करने से जनता का बड़ा कल्याण होगा। फिर जितना भी हमारा सादा जीवन होगा, उतना ही अच्छा है। इसके लिए हम अगर प्राचीन

पठन-पाठन पद्धति को अपनायें, तो अच्छा होगा अन्यथा जितना भी हम आगे बढ़ सकें, उतना ही अच्छा है अब कहां तक निःशुल्क हो, इसके ऊपर बड़ा वाद-विवाद हुआ। इसके बारे में लोगों को भ्रम हो गया और यहां तक कहा गया कि प्रस्तावकर्ता भी इसको नहीं समझ सके। मैंने सरकार से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहा था। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय शिक्षा मंत्री ने हाई स्कूल आदि के बारे में जो उत्तर दिया था वह इस प्रकार है :—

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सुल्तानपुर, दसवीं कक्षा तक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बालिकाओं के लिये, दसवीं कक्षा तक, मधुसूदन विद्यालय इंटर कालेज, सुल्तानपुर, १२वीं कक्षा तक, महात्मा गांधी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छीतापट्टी, सुल्तानपुर, १२ वीं कक्षा तक, श्री रणवीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमेठी, सुल्तानपुर १२ वीं कक्षा तक, ए० एच० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर दसवीं कक्षा तक, नेशनल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कादीपुर, सुल्तानपुर, दसवीं कक्षा तक, एस० सी० राष्ट्रीय हायर सेकण्डरी स्कूल, गोसाईंगंज, शफीउल्लागंज, दसवीं कक्षा तक, व० श० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरखरे, सुल्तानपुर, दसवीं कक्षा तक, पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल, चोकिया, सुल्तानपुर दसवीं कक्षा तक, यह तालिका है जो मेरे उत्तर में मिली थी। मैं फिर भी कहता हूं कि इस समय अगर सरकार हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा न दे सके तो कम से कम जूनियर हाई स्कूल तक ही वह निःशुल्क शिक्षा अपने यहां कर दे और बाद में प्राइमरी एजूकेशन को अनिवार्य रूप देकर और फिर आगे उच्च शिक्षा भी निःशुल्क कर देने का प्रबंध किया जाय।

इतना मैं और निवेदन करूंगा कि मैं समाज का एक तुच्छ सेवक हूं और शिक्षा आदि के क्षेत्र में सदा कुछ सेवा करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं और मेरी दिलचस्पी शिक्षा की उन्नति में रही है और इन्हीं इच्छाओं से प्रेरित होकर मैंने यह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है। मैं चाहता हूं कि जूनियर हाई स्कूल तक तो अभी कर दिया जाय और आगे भी धीरे-धीरे कर दिया जाय। वैसे अगर यह शीघ्र ही कर दिया जाय तो अच्छा है क्योंकि "शुभस्त शीघ्रम्" शुभ काम शीघ्र ही हो जाना चाहिये। कुछ लोगों ने मेरे प्रस्ताव का विरोध किया। माननीय विकल जी ने भी कहा कि वे निःशुल्क शिक्षा के विरोधी हैं लेकिन मैं तो समझता हूं कि निःशुल्क शिक्षा का विरोध करना तो संविधान का विरोध करना है। संविधान में तो स्पष्ट दिया है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय और माननीय श्री कमला सिंह आदि दूसरे सदस्यों ने भी बहुत सी बातें कहीं लेकिन अब मैं अधिक न कह कर अन्त में इतना ही कहूंगा कि हमारे समाज का एक नियम है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये। हम शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने संकल्प को प्रस्तुत करता हूं, आशा है सदन इसे स्वीकार करेगा।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के ऊपर कल से वादविवाद हो रहा है। जहां तक शिक्षा के प्रसार का संबंध है और जहां तक कि इस उद्देश्य का संबंध है कि सब को शिक्षा मिले, इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। सब को शिक्षा मिलनी चाहिये और जो ग़रीब हैं उनको भी शिक्षा पाने का मौक़ा होना चाहिये और उनको भी अपनी ग़रीबी के कारण शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई न होनी चाहिये। इससे भी आगे जा कर यदि समाज इसका प्रबन्ध कर सके कि सभी को निःशुल्क शिक्षा मिल जाय तो यह बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से यदि सब का बग़ैर किसी शुल्क के दिये हुये इलाज हो जाय तो यह भी अच्छी बात है। जहां तक सिद्धांत की बात है हमारे विधान में भी यह रखा गया है, डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स में कि एक अरसे के भीतर शिक्षा निःशुल्क और १४ साल की अवस्था तक अनिवार्य करने का प्रयत्न होना चाहिये। जहां तक सिद्धांत की बात है वह हमारे विधान में माना गया है और इसके बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता। जो प्रश्न सामने आता है वह यह है कि किस तरह से इस आदर्श को, इस मक़सद को पूरा किया जा सकता है। इसमें यह नहीं है कि सब को शिक्षा दी जाय और न यह है कि शिक्षा लाज़िमी दी जाय बल्कि सिर्फ इतना है कि शिक्षा निःशुल्क की जाय। इसके मानी यह हैं कि चाहे स्कूल दस ही हों, लेकिन उनमें फ़ीस

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

न ली जाय चाहे औरों को पढ़ने का मौक़ा न मिले और जो कुछ आमदनी शुल्क से हो रही है वह न ली जाय और छोड़ दी जाय और यह परिणाम निकले कि कुछ स्कूल बन्द कर दिये जायं और जो रह जायं उनमें शुल्क न लिया जाय। यह बात तो शिक्षा के आदर्श को बजाते खुद पूरा नहीं करती। अब जो सोचने की बात है वह यह है कि आखिर हम निःशुल्क एजूकेशन करें तो धन कहां से आयेगा। उसमें खर्च तो होगा ही, अध्यापक होंगे, स्कूल बिल्डिंग्स होंगी ही, उनके लिये इक्विपमेंट और ऐप्लायसेंज के चार्जेज जो हों वह होंगे ही। इस वक्त कुछ थोड़ा सा जो पढ़ते हैं वे देते हैं जो दे सकते हैं। उनसे अगर न लिया जाय तब भी खर्चा तो वह होगा ही, इसके माने यही होते हैं कि किसी दूसरे से वह रुपया वसूल किया जाय। जो कि इस वक्त शुल्क के रूप में आता है सब लोग कहते हैं कि यह चीज बिना किसी शुल्क के की जाय तो उसके अर्थ यही होते हैं कि शुल्क के बदले में जितनी कि आय शासन को शुल्क के द्वारा होती है वह टैक्सों के द्वारा वसूल की जाय यानी जो लोग इससे लाभ उठा नहीं रहे हैं, उनसे भी वह रुपया लिया जाय। बमुकाबले इसके कि जिनको उससे लाभ मिल रहा है वह उसको दें। यानी मान लिया जाय कि अगर मालदार पढ़ते हों और गरीब न पढ़ते हों तो गरीबों पर भी टैक्स लगाया जाय और उस मालदार को बिला फीस के पढ़ाया जाय यह तो बजाते खुद कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्वयंसिद्ध न्यायसंगत बात हो। अगर निःशुल्क पढ़ाई होगी तो कोई अगर यह कहे कि अध्यापकों को वेतन न दिया जाय और बिना वेतन के अध्यापक रखे जायं तब तो यह हो सकता है कि सरकार पर कोई खर्चा नहीं पड़ेगा और लोगों को निःशुल्क पढ़ाई हो जायगी, लेकिन जब तक वेतन देना है तब तक अगर शुल्क न लिया जाय तो दूसरों पर टैक्स इस बात के लिये लगाया जाय और इसमें टैक्स देने वालों में आम तौर पर बोझ उन लोगों पर पड़े जो ग़रीब हैं और हमारे देश में तो बहुत बड़ी संख्या में तो ग़रीब ही लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ते भी न हों और जिनमें पढ़ने की शक्ति भी न हो वह उस पैसे को दें, जिससे जो व्यक्ति पढ़ते हों और जो दे भी सकते हों उनको सुभीता हो यह बजातेखुद लाजिमी बात नहीं है कि ऐसा करने से न्याय होता हो या लाभ होता हो।

इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं। हमें कई क़िस्म के सवाल सोचने हैं। यह कहा जाता है और सोचने की बात भी है कि हमारे अध्यापकों का वेतन कम है या उसमें कोई तरक्की करनी है। अगर करनी है तो हम शुल्क लगाये भी रहें तो भी बहुत से रुपयों का सवाल होता है कि उनका कुछ वेतन बढ़ाया जाय तो फिर उसका क्या प्रबन्ध हो। अगर यही हम करें और अगर हम यह नहीं कर पाते हैं तो इसलिये नहीं कि हम उनको वेतन देना नहीं चाहते बल्कि इसलिये कि खर्चा का बोझ गरीब लोगों पर पड़ता है और बिना उन पर बोझ पड़े हुये जो ग़रीब टीचर्स हैं उनका वेतन नहीं बढ़ सकता है। इसी तरह से और सवाल होते हैं कि हम जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ा दें तो वह शिक्षा कोई ऐसी शिक्षा होनी चाहिये, जिसका कि वे उपयोग कर सकें जिनको शिक्षा दी जाय या कि बरायेनाम कोई ऐसी शिक्षा होनी चाहिये। अगर उपयोगी शिक्षा दी जाय तो उसके लिये कम से कम कितना खर्चा मौजूदा स्कूलों को ठीक करने के लिये चाहिये यह भी सोचने की बात है। आप को मालूम है और बजट में आपने देखा होगा कि सिर्फ जूनियर हाई स्कूलों में ऐग्रीकल्चर की, कुछ उद्योग धंधों की और क्राफ्ट्स की शिक्षा देने के लिये करीब ६० लाख रुपया इस वर्ष बजट में एक नया खर्च बढ़ गया है, क्योंकि हम इस तरीक़े पर चाहते हैं कि प्राइमरी स्कूलों में भी बेसिक तरीक़े पर तालीम हो, जिससे जो शिक्षा पावे उनकी शिक्षा अच्छी हो। तो यह सब चीजें भी जरूरी हैं जिनको देखना है। सबसे बड़ी जरूरी चीज जो हमारे प्रदेश की है वह यह है कि प्रदेश के लोगों की आर्थिक दशा सुधारी जाय और उनकी आर्थिक दशा सुधारने के बाद ही चाहे हम उनसे टैक्स के रूप में या किसी दूसरे रूप में धन लें जिससे शिक्षा का वास्तविक प्रसार हो सके और जिससे लोगों की जो जरूरतें हैं चाहे सड़कों की, चाहे पानी की और चाहे बिजली की वे पूरी हो सकें। इसलिये इस समय ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया है हमारी पंचवर्षीय योजना में कि किसी प्रकार से आर्थिक अवस्था सुधारी जाय। अगर हमारी खेती की पैदावार दस परसेंट भी बढ़ जाय तो कई करोड़ की आमदनी

हमारे प्राविन्स को बढ़ जाती है और उस कई करोड़ की आमदनी बढ़ने से फिर शिक्षा के लिये भी धन मिल सकता है। इसी तरह से उद्योग-धन्धों में तरक्की हो तो उससे भी मिल सकता है। स्रोत हो जिससे जल का प्रवाह बढ़े और सूखी भूमि हरी हो सके। केवल शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रों के लिये विकास योजनाओं को पहले सफल बनाना आवश्यक हो जाता है। इसके माने यह नहीं हैं कि शिक्षा का प्रसार न किया जाय या शिक्षा में इतना शुल्क लगा दिया जाय जिससे कि लोगों को बगैर पढ़े रहना पड़े, यह बात नहीं है। आप चाहे जानते भी हों कि हरिजनों से शुल्क बिलकुल नहीं लिया जाता है और एक बैकवर्ड क्लासेज की जो सूची बनी हुई है उसमें भी काफी रिआयत इस बात की है कि हरिजनों के बच्चों से सिर्फ यही नहीं कि शुल्क न लिया जाय बल्कि उनको किताबें भी निःशुल्क दी जाती हैं और यूनिवर्सिटी और कालेजेज में जा कर तो काफी वजीफा सरकार की तरफ से दिया जाता है ताकि वे पढ़ सकें। जरूरत इस बात की है कि गरीबों के सामने रुकावट इस शुल्क की वजह से उनकी पढ़ाई में न आये और उसके लिये काफी मात्रा में फ्रीशिप, हाफ फ्रीशिप और स्टाइपेंड दिये जाते हैं। जहां कोई जरूरत हो तो उसे देखना चाहिये और हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि फीस देने की वजह से जो बोझा पड़ता है किसी पर अगर उसी वजह से वह पढ़ नहीं सकता तो उसके रास्ते में वह फीस की रुकावट नहीं होनी चाहिये। इस बात को अगर हम मान लें तो फिर हमें शिक्षा को सुन्दर बनाने में और उसका फैलाव करने में किसी तरह की जो भी कोशिशें हो सकें उनके करने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिये।

इसलिये जहां तक इसके सिद्धांत का सवाल है हम उसे मानते हैं, लेकिन जब हम इस योग्य हों और हमारे पास इतना धन हो सके कि हम शिक्षा को निःशुल्क कर दें बल्कि उसको कम्पल्सरी भी कर दें, यह हम सामने रखना चाहते हैं, ताकि हर एक शिक्षित हो सके और शिक्षा भी अच्छी तरह की पा सके और उसको निःशुल्क तरीके पर शिक्षा मिल जाय। इस सिद्धांत को हम अपने सामने रखना चाहते हैं क्योंकि हमारे जितने भी म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं उन सब में हमने प्राइमरी एजूकेशन को फ्री और कम्पल्सरी किया है और उसका क़रीब क़रीब सारा खर्चा स्टेट एक्सचेकर से दिया जाता है। इसी तरह से आज कई म्युनिसिपल बोर्डों में लड़कों और लड़कियों के लिये फ्री एजूकेशन है और बाकी में लड़कों और बच्चों के लिये है। इसलिये इसके सिद्धांत में कोई भेद नहीं है, सिर्फ सवाल यह है कि इस समय हमें किस चीज को प्रायर्टी देना है जिससे कि शिक्षा का भी काम चल सके और किसी को शुल्क की वजह से पढ़ने में रुकावट भी न हो।

इस सिलसिले में कुछ और बातें भी यहां कही गयीं कि यहां जो परसेंटेज एजूकेशन का है वह कम है, और जगहों में ज्यादा है। अब तो बजट का वादविवाद हो चुका। सदन ने देखा होगा कि सब से बड़ी रक़म जो किसी हेड में है वह एजूकेशन की है, और चीजों में सब से कम है, एजूकेशन की रक़म सब से बड़ी है। परन्तु जो एजूकेशन की है उसके अलावा एजूकेशन की और बहुत मदें हैं जो कि उस रक़म में शामिल नहीं हैं, मसलन मेडिकल एजूकेशन उसमें नहीं है, ऐग्रीकल्चरल एजूकेशन उसमें नहीं है, टेकनिकल एजूकेशन उसमें नहीं है। इस तरीके पर और जितने एजूकेशन पर खर्चे होते हैं उनकी बड़ी रक़में हैं। मैं समझता हूं कि उनका जोड़, अगर लगाया जाय तो वह भी काफी बड़ी रक़म निकलेगी, मुमकिन है कि एक करोड़ से ज्यादा हो। मैंने उसको जोड़ा नहीं, लेकिन उन सब रक़मों को अगर मिलाया जाय तो मालूम पड़ेगा कि हमारे यहां जो खर्चा एजूकेशन में होता है वह एक काफी बड़ी रक़म है। इसके अलावा जो एजूकेशनल इंस्टिट्यूशन्स की बिल्डिंग्स पर खर्चा होता है वह भी पी० डब्ल्यू० डी० की मद में आता है, वह एजूकेशन की मद में नहीं जाता है उन सब को जब आप जोड़ेंगे तब उसकी लाइट में मुकाबला हो सकता है। मुकाबिला करने से पहले यह देखने की जरूरत है कि जिस मद से हम मुकाबिला कर रहे हैं उसमें हमारे यहां क्या चीजें हैं और दूसरी जगहों में क्या चीजें हैं, तब मुकाबिला हो सकता है, फिर और कोई नतीजा निकाला जा सकता है। सवाल तो यह नहीं है कि एजूकेशन में हम कितना खर्च कर रहे हैं, बल्कि सवाल यह है कि सारे बजट में क्या कोई ऐसी गुंजायश निकल सकती है कि दूसरी मदों से काट कर के इसमें रुपया लाया जा सकता है या नहीं। सड़कें सब चाहते हैं कि हों और जरूरी बात है कि होनी चाहियें।

[श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

अस्पतालों की भी जरूरत है, ट्यूबवेल्स की भी जरूरत है, नहरों की भी जरूरत है, तो फिर कहां से रुपया लाया जाय। वैसे एजूकेशन के लिये अगर इस स्टेट में एक सौ करोड़ भी रुपया हो तो उसे हम ज्यादा नहीं समझते हैं। इंगलैंड में हमारे मुकाबिले में आबादी दो तिहाई है मगर एजूकेशन में बहुत बड़ी रक़म वहां खर्च होती है। मैं चाहता हूं कि बहुत बड़ी रक़म हो, मगर सवाल आता है कि लावें कहां से। वह प्रश्न हमारे सामने हर वक्त आता है और उसके लिये लोगों की आर्थिक अवस्था को सुधारने की जरूरत है। जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, इसके सिद्धांत से कोई विरोध नहीं है, हम सभी चाहते हैं, सिर्फ इसको सफल बनाने के लिये साधनों की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। वह जितना संभव हो उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिये जो कुछ मैंने कहा है उससे, अगर माननीय रणंजय सिंह जी यह समझते हैं कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले सकते हैं, तो वापस ले लें, और अगर न लें तो जो बलवन्त सिंह जी का संशोधन है वह मैं समझता हूं कि ठीक है और उनके संशोधन के साथ यह प्रस्ताव अगर स्वीकार हो जाय तो मुझे उसमें भी आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—(श्री रणंजय सिंह से) आप को कोई संशोधन स्वीकार है?

श्री रणंजय सिंह—श्रीमन्, माननीय श्री बलवन्त सिंह जी का संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—तो मैं एक एक संशोधन को ले लेता हूं।

श्री रमेशचन्द शर्मा (जिला जौनपुर)—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामदास आर्य (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति १ में शब्द "हाई स्कूल" के स्थान पर "प्राइमरी स्कूल" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है संकल्प की पंक्ति १ में शब्द "हाई स्कूल" के स्थान पर "जूनियर हाई स्कूल" शब्द रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति १ में शब्द "निश्चित मत है कि" और शब्द "समस्त राज्य" के बीच में शब्द "जैसे ही राज्य सरकार के पास धन तथा दूसरे साधन उपलब्ध हों तो" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस विधान सभा का यह निश्चित मत है कि जैसे ही राज्य सरकार के पास धन तथा दूसरे साधन उपलब्ध हों तो समस्त राज्य में जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लोगों का समुचित प्रतिनिधित्व न होने के संबंध में संकल्प

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि संविधान व सरकार की नीति पिछड़े वर्ग के पक्ष में होते हुये भी इस वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में अभी तक न होने के तुल्य है। अतः पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के समुचित प्रतिनिधित्व के हेतु सरकारी नीति वास्तविक रूप में कार्यान्वित करायी जावे ।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव—अध्यक्ष महोदय, बड़े हर्ष की बात थी कि आशा के विपरीत भी यह प्रस्ताव इस भवन में प्रस्तुत हो गया और जिसके लिये मैं मुख्य तौर से इस सदन के माननीय मुख्यमंत्री का आभारी हूं कि वे समय पर आये और उनके आशीर्वाद के कारण यह प्रस्ताव यहां पर आ सका। मेरा ऐसा विचार है। यह ग़लत भी हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो आज भवन के सामने प्रस्तुत है वह कांग्रेस और कांग्रेस सरकारों की नीति पर आधारित है। कांग्रेस की नीति सर्वथा यह रही है कि पिछड़े समाज को उठाया जाय। कांग्रेस के साहित्य के पढ़ने के बाद हम इसी नतीजे पर आते हैं कि कांग्रेस ने जब से स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ा, कांग्रेस की तरफ से तब से यह प्रतिज्ञा होती रही है कि पिछड़े समाज को उठाना है। यदि हम २६ जनवरी के स्वतंत्रता प्रतिज्ञा, इंडिपेंडेंस प्लेज के ऊपर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि वहां भी हमारे नेताओं ने पिछले ३५ सालों से यह प्रतिज्ञा की है कि हमें पिछड़े वर्ग को उठाना है। विशेष रूप से यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि वहाँ पर जो शब्द आये हैं, वह "पिछड़े वर्ग" और "हरिजन" आये हैं। जहां पिछड़े वर्ग भी हैं और हरिजन भी हैं। वैसे तो पिछड़े वर्ग में जो लोग सम्मिलित हैं उनमें हरिजन भी सम्मिलित किये जा सकते हैं।

उसके बाद हम देखते हैं कि जब विधान परिषद् बैठी हुई थी, उसके पहले जो हमारे माननीय पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने जो रेजोल्यूशन पेश किया था, उसमें भी हमने देखा कि उन्होंने कहा था कि हमें भारत के पिछड़े समाज का, जिसमें अधिकांश खेतिहर हैं, उत्थान करना है।

उसके बाद हम देखते हैं कि जब देश स्वतंत्र हुआ १५ अगस्त को प्रधान मंत्री द्वारा संदेश भेजा गया, जिसमें कि हमने देखा कि उस संदेश में भी हमने प्रतिज्ञा की कि हमें इस पिछड़े हुए समाज को, जिसमें खेतिहर और मजदूर हैं, बढ़ाना है।

हम देखते हैं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस सरकारों की नीति सर्वदा ही इस पक्ष में रही है कि पिछड़े वर्ग को बढ़ाया जाय, लेकिन यह सब कुछ होते हुये भी आज बड़े खेद की बात है कि सामाजिक दृष्टि से एक आबादी का बड़ा अंश, बड़ा हिस्सा पिछड़ा हुआ है। इसके बाद यह कह देना भी आवश्यक है कि हमारी कांग्रेस सरकारों की यह भी प्रतिज्ञा है कि देश में वर्ग और जाति-विहीन समाज की स्थापना की जाय, लेकिन आज जो कदम हमारी सरकार द्वारा उठाया जा रहा है वह पर्याप्त है या नहीं जिससे कि इस ध्येय की पूर्ति हो सके ? सरकारों का यह कहना है, इसी सरकार का नहीं, बल्कि देश में जितनी राज्य सरकारें हैं, उन सब राज्य सरकारों का कि हमें समाज में समानता लाना है। हमें एक दिन वह लाना है जब कि हमारे प्रदेश में समानता हो, वहां ऊंच नीच का भाव न हो, सब बराबर के रास्ते पर आयें। लेकिन यह कैसे हो सकता है और कब हो सकता है केवल प्रश्न तो यही है। आज हम देखते हैं कि हमारी इस प्रदेशीय सरकार द्वारा हमारे नियुक्ति विभागों के अध्यक्षों को सर्क्युलर भेजे जाते हैं और उनसे कहा

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

आता है कि नियुक्ति के समय पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों पर खास तौर से ध्यान देना है लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि सरकार की नीति ठीक है, उसकी नियत में कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता है। मगर हमें सरकारी कर्मचारियों की नीति में अवश्य फर्क मालूम पड़ता है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि इस पिछड़े वर्ग को किस तरह से उठाया जा सकता है, किस तरह इसका उत्थान हो सकता है, इसके लिये वैसे तो हमारे संविधान में एक मार्ग खोल दिया गया है, एक रास्ता दिखलाया गया है, हालांकि वह रास्ता बड़ा ही कड़ा रास्ता है मैंने इस प्रस्ताव में वे शब्द नहीं दिखलाये हैं जो कि संविधान के आर्टिकिल १६ की उपधारा ४ में दिये हुए हैं। संविधान यह कहता है कि पिछड़े वर्ग को जो जातियां हैं उन को भी रिजर्वेशन, संरक्षण दिया जा सकता है। कभी कभी हम लोगों के बीच में, हम लोगों के मस्तिष्क में यह भ्रम हो जाता है कि यह नयी आवाज यह पिछड़े वर्ग के लोग किस तरह से उठा रहे हैं। यह बिलकुल न्याय, कानून और संविधान के विपरीत है। लेकिन संविधान ने इसको तय किया है और संविधान ने प्रदेशीय सरकारों को यह अधिकार दिया है कि वे अपने रेस्पेक्टिव प्रदेश में जहां उचित समझें वहां हरिजन्स के अतिरिक्त बैकवर्ड क्लासेज का भी रिजर्वेशन कर सकते हैं। संविधान की धारा १६ में जो रेलीवेंट पोर्शन उपधारा (४) है वह इस तरह से है :—

"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the State."

["इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के संरक्षण के लिये उपलब्ध करने में कोई बाधा न होगी।"]

इस दलील के पक्ष में हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट जो सब से बड़ा न्यायालय है, उसका भी यह निश्चय हो चुका है, हमने हाल ही में देखा, तीन चार साल हुए जब कि मद्रास का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया और वहां उसने यह निश्चय किया कि बैकवर्ड क्लासेज का रिजर्वेशन हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि देहली प्राविन्स में जहां हरिजनों का संरक्षण है वहां पर बैकवर्ड क्लासेज का भी संरक्षण है। तो मैं समझता हूं कि यह धारा स्पष्ट है। इसमें दो इंटरप्रिटेशंस, दो मतों का कोई सवाल हो ही नहीं सकता। अगर प्रदेशीय सरकार यह उचित समझे तो बैकवर्ड क्लासेज का संरक्षण न्याय की दृष्टि से हो सकता है। अब वैसे तो हमारे प्रदेश की सरकार द्वारा समय-समय पर सर्कुलर भेजे गये हैं जिनमें कहा गया है कि बैकवर्ड क्लासेज का खास तौर से ध्यान रखा जाय। एक सर्कुलर हमारी सरकार द्वारा २६ अगस्त, १९५० को भेजा गया, जिसमें कहा गया है "इंटरेस्ट आफ दि बैकवर्ड क्लासेज इन जनरल आर टू बी बोर्न इन माइंड इन मेकिंग अप्वाइंटमेंट्स" लेकिन अगर इस २६ अगस्त, १९५० के सर्कुलर के बाद यह देखें कि कितने पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति की गयी, मैं गलती कर सकता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि मैं ९९ प्रतिशत ठीक ही हूंगा कि जितनी नियुक्तियां हुईं चाहे सैकड़ों हों या हजारों हों उनमें दो प्रतिशत भी बैकवर्ड क्लासेज के उम्मीदवार नहीं होंगे। अभी एक और सर्कुलर २२ सितम्बर, १९५३ को भेजा गया। उसमें भी वही शब्द हैं जो कि १९५० के सर्कुलर में हैं। इस तरह सरकार द्वारा नीति निर्धारित है कि उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाय और उस नीति के सम्बन्ध में आदेश भी भेजे जा चुके हैं। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि सरकार का जो आदर्श है उसका पालन न सरकारी कर्मचारियों की ओर से किया गया है और न किया जा रहा है। सब से बड़ी बात तो यह है और दुःख की बात है कि हमारी सरकार ने अभी तक यह निश्चय नहीं किया कि इस प्रदेश में कितनी पिछड़ी हुई जातियां हैं। वैसे सरकार यह तय कर चुकी है, लेकिन कभी-कभी ऐसे वक्तव्य हमारे मंत्री द्वारा किये जाते हैं जिससे उसके

अन्दर भ्रम पड़ जाता है। आप के शिक्षा विभाग में पिछड़ी जातियों की संख्या ५५ हुई है। जो ५५ जातियां दी हुई हैं वही केन्द्रीय सरकार में भी हैं। और हम लोगों के हित में माननीय मुख्य मंत्री ने भी एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कह दिया था कि जो सूची शिक्षा विभाग में है उसी का प्रयोग अभी कर रहे हैं हम उस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुए और हमने सोचा कि जो सरकार की नीति है वह कार्यरूप में परिणत की जायगी। लेकिन इस उत्तर के मिलने के बाद भी कभी-कभी सरकारी अधिकारियों द्वारा ऐसी-ऐसी घोषणा की जाती है जिसके कारण जो हमारे मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया बिलकुल खटाई में पड़ गया।

अभी हाल ही में १५, २० दिन हुये जब कि शिक्षा विभाग के संबंध में कुछ चर्चा चल रही थी, कोई सज्जन बैकवर्ड क्लासेज का प्रश्न उठा रहे थे। शिक्षा मंत्री ने दो ही जातियों का हवाला देते हुये विशेष रूप से उस जाति का हवाला देते हुये जिसमें वह वक्ता आते थे यह घोषणा की हमें मालूम है कि जिस बिरादरी का आप जिक्र कर रहे हैं वह पिछड़े वर्ग में नहीं आती है। दुख की बात है। शिक्षा मंत्री के विभाग में हरिजन विभाग भी शामिल है। उन्हीं की वह किताबें और वह आंकड़ें हैं। उन्हीं की नीति है। वही मंत्री आज खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि जिस बिरादरी का आप जिक्र कर रहे हैं और उनके मस्तिष्क में उस बिरादरी का नाम था तो मंत्री जी के जब ऐसे विचार हैं तो मैं नहीं समझता कि आप के यहां क्यों जातियों की सूची रक्खी जाती है। अगर आप विश्वास करते हैं कि अमुक जाति पिछड़े वर्ग में नहीं है तो मैं समझता हूं कि उसको सूची से निकाल देना चाहिये। हम आप के सामने प्रस्ताव इस लिये प्रस्तुत करते हैं कि आप की नीति है, जब हम यह समझ जायेंगे कि वास्तव में आप कागज पर कुछ और मानते हैं और करना कुछ चाहते हैं तो हमें प्रस्ताव, प्रश्न या सुझाव देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम लोगों से ऐसा प्रस्ताव लाने के लिये प्रार्थना की जाती है। हम पर जोर डाला जाता है कि साहब कांग्रेस की नीति है। उसका संचालन करने के लिये आप क्या उपाय कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग की आबादी आज तीन करोड़ के करीब है। सन् ३६ की जनगणना के मुताबिक यह आबादी २ करोड़ २२ लाख थी लेकिन अब तीन करोड़ से ज्यादा होगी। तो जब सरकार की ऐसी नीति है, संविधान की ऐसी नीति है, संविधान के स्पष्ट क्लाजेज हैं तो मैं नहीं समझता कि विशेष रूप से जब यह वर्ग पिछड़ा हुआ है उसको सुविधा देने के लिये आप क्यों तैयार नहीं होते। अगर वास्तव में यह स्थिति रही तो मैं यह समझता हूं कि जो आपका ध्येय है देश में वर्गविहीन और वर्णविहीन समाज की स्थापना की जाय वह एक स्वप्न ही रह जायगा। उसको कार्यरूप में परिणत करने के लिए यह जरूरी है कि समाज के जो भिन्न-भिन्न अंग हैं उनको समानता के स्तर पर लाया जाय। आज ही एक मिनिस्टर साहब से हमलोग बातचीत कर रहे थे। उनसे कहा जा रहा था कि हमारी सर्विसेज में जाति भाव है। सर्विसेज में संविधान की दृष्टि से जो भी सभी वर्गों का हाथ होना चाहिये वह आज अभाग्य से नहीं है। सर्विसेज में कुछ ही जातियों का हाथ है। वे यह समझते हैं कि हमको जो चाहे वह करना है, चाहें पक्षपात करें चाहें अन्याय करें। सभी जातियों का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में होता है। वास्तव में वे कर्मचारी जो आज ज्यादा संख्या में हैं, किसी जाति के किसी एक हिस्से में वे समझ सकते हैं कि अगर हम कुछ अन्याय करेंगे तो यह हो सकता है कि दूसरे लोग दूसरे हिस्सों में अन्याय कर सकते हैं। इस तरह से अगर समाज को उठाना है, समाज को जीवित रखना है, संविधान की जो नीति है उसे कार्यरूप में परिणत करना है तो स्पष्ट तौर से समाज में पिछड़े वर्ग को उठाना पड़ेगा। यह प्रस्ताव कोई वर्ग के आधार पर नहीं है बल्कि जैसा मैंने अभी कहा कि संविधान जिसको हमारे नेताओं ने बनाया है उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि पिछड़े हुए वर्ग को या हरिजनों को ठीक रास्ते पर लाना होगा। जब तक उनको इन सुविधाओं से वंचित किया जायगा तब तक मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की जो नीति है उसका पालन नहीं हो सकता है और जो उद्देश्य हैं उनमें हमारी सरकार असफल रहेगी। आज हम जानते हैं कि इस नीति का पालन नहीं हो रहा है। इस कारण जनता में असंतोष है। असंतोष इसलिये है कि जो इस बात

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

की दुहाई दी गई वे बातें पूरी नहीं की जा रही हैं। कभी-कभी हम यह देखते हैं कि हमारे कुछ भाई यह आरोप लगाने लगते हैं कि यह पिछड़ा हुआ वर्ग क्या है यह तो जात के आधार पर है। अभी हाल ही में एक आल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज का फेडरेशन हुआ था जिसका इनआर्गुरेशन (उद्घाटन) देश के उपराष्ट्रपति डाक्टर राधाकृष्णन् ने किया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कुछ हमारे समाचार पत्रों ने सम्पादकीय लिखे और इस बात की आलोचना की गयी और ये आरोप लगाये गये कि यह वर्ग क्या है। यह तो जात को प्रोत्साहन देता है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि इसमें कुछ लोग कांग्रेसी हैं और इस तरह से कांग्रेसी लोग कांग्रेस की पालिसी में विघ्न डालना चाहते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि खासतौर से हमारे राष्ट्रपति ने जो शब्द कहे थे उस सम्मेलन के उद्घाटन करने में वे मुझे अभी तक याद हैं। उन्होंने कहा था कि वास्तव में देश को उठाना चाहते हैं तो हरिजनों के अतिरिक्त एक वर्ग ऐसा भी है, जो पिछड़ा हुआ है उस समाज को भी सरकार को उठाना पड़ेगा। जब पिछड़े वर्ग को आप उठाने का साहस नहीं करते हैं तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि आज दूसरे देशों में हमारे जो भाई पीड़ित हैं उनकी दशा को सुधारा जाय। मैं बड़े अदब के साथ यह निवेदन करूंगा कि उनके प्रति आप अपनी आवाज बुलन्द करते ह। तो अपने देश में पिछड़े भाइयों के लिये भी आपको अपनी आवाज बुलन्द करनी पड़ेगी। तो जहां पिछड़ी जातियों में जिस वर्ग को उठाने के लिये हमारे राष्ट्रपति जैसे व्यक्ति इस तरह की बात कहते हैं और जोर देते हैं वहां आज हमारे कुछ भाई जो तरह-तरह की आवाज उठाते हैं उसमें क्या तत्व हो सकता है।

अभी हाल ही में पिछड़े वर्ग का सम्मेलन हमारे कानपुर में हुआ था, जिसमें हमने देखा कि कुछ समाचार पत्रों ने ऐसे आरोप लगाये जो वास्तविकता से परे थे। लेकिन जहां भी आरोप लगाते हैं चाहे वे कांग्रेसी हों, या सोशलिस्ट हों या कम्युस्निट हों, यदि हम इस प्रकार की आवाज करते हैं तो मैं यह नम्र निवेदन करूंगा कि वे समाचार पत्र चाहे किसी के भी हों वे हमारे संविधान को भूल जाते हैं। जो प्रतिज्ञा वे पिछले ३५ साल से करते रहे हैं उसको भी वे भूल जाते हैं। यह जरूर है कि अगर पिछड़े हुये आदमियों के लिये कुछ काम करने का प्रस्ताव हो तो उनके पास से जरूर कुछ जायगा जिनके पास बहुत ज्यादा है। देश को समानता के आधार पर लाने के लिये जिनके पास ज्यादा है उनसे कुछ लेना पड़ेगा और जिनके पास सुविधा ज्यादा है उनसे कुछ सुविधा लेनी पड़ेगी। तब पिछड़ी जाति को कुछ दिया जा सकता है। इसके बाद मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कभी-कभी जो पिछड़े शब्द हैं उनको ढाकने का प्रयत्न किया जाता है। कभी-कभी अखबारों में लेख भेज देते हैं तो उसमें बैकवर्ड क्लास शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन उसको भी ढांकने का प्रयत्न करके हरिजन शब्द रख दिया जाता है। हम यह मानते हैं कि वे भी पिछड़े हुए है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो पिछड़ा हुआ है उसकी आवाज को खत्म करने के लिए पिछड़ा शब्द नहीं लिखा जाता है और हरिजन शब्द लिख दिया जाता है। इसी भवन के अन्दर हरिजन अनुदान जब यहां पर प्रस्तुत हुआ था तो हमारे साथियों ने बैकवर्ड के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही थीं, लेकिन शर्म की बात है कि जितने समाचार-पत्र यहां पर थे उन्होंने बैकवर्ड शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा। इस तरह से जब हम प्रचार करते हैं तो कांग्रेस की प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये प्रचार करते हैं, लेकिन उस शब्द को भी ढांकने की कोशिश की जाती है। हमने यह भी देखा कि हमारी सरकार द्वारा जो हरिजन कल्याण अंक निकलता है और जो महान् पवित्र उत्सव के अवसर पर निकाला गया २ अक्टूबर को तो उसमें जिस तरह पिछड़ी हुयी जातियों के सम्बन्ध में प्रयत्न किया गया है मैं तो कहूंगा कि आज किसी भी जज के सामने वे आंकड़े रख दिये जायं तो वास्तव में उनका भी यही निर्णय होगा कि जो आंकड़े इस तरह से दिखाये गये हैं वे जानबूझ कर गलत दिखाये गये हैं। जनगणना सन् १९३२ ई० में हुयी थी तो उसके आधार पर पिछड़ी जातियों की संख्या २ करोड़ २२ लाख बतलायी गयी थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि उसमें उनकी संख्या केवल ४१

लाख दिखायी गयी है । इसके साथ ही साथ एक ओर तो पिछड़ी हुयी जातियां ५५ उस अंक में दिखायी गयी हैं तथा उसी के दूसरे सफे पर ९ जातियां दिखायी गयी हैं, जिनको सरकार ने नियुक्तियों के लिये चुना है । यह मेरी समझ में नहीं आया कि ५५ की संख्या नियुक्तियों क लिए कैसे ९ रह गयी । इस प्रकार से हमारे प्रांत में दो-दो तीन-तीन सूचियां इस की बनी हुयी हैं । ऐसा किसी और प्रांत में नहीं है । इसके बारे में केन्द्रीय सरकार की नीति भी बिलकुल स्पष्ट है । उनके यहां केवल एक सूची है । इसके अलावा दूसरे प्राविंसेज में, दूसरे प्रदेशों में जैसे कि बिहार और बाम्बे है, उनकी भी नीति बैकवर्ड क्लासेज के सम्बन्ध में स्पष्ट है । बाम्बे और बिहार में दोनों जगह बैकवर्ड क्लासेज डिपार्टमेंट्स हैं । हमारे यहां केवल हरिजन डिपार्टमेंट है । अवश्य होना चाहिये, लेकिन उस विभाग में बैकवर्ड क्लासेज की व्याख्या स्पष्ट होनी चाहिये । प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय मैंने पूर्णरूप से उस पर प्रकाश डाल दिया है । अब सिर्फ मेरा यही कहना है कि यह प्रस्ताव कांग्रेस की नीति के मुताबिक है और संविधान के दृष्टिकोण से रक्खा गया है ।

*श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत प्रस्ताव में संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं । वह इस प्रकार है—

संकल्प की पंक्ति ३ में शब्द "न होने के तुल्य" के स्थान पर शब्द "पूर्ण नहीं" रख दिये जायं ।

श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, यह जो शब्द मैंने रक्खे हैं इससे यह सिद्ध है कि हम यह मानते हैं कि हमारी सरकार ने पिछड़ी हुयी जातियों के लिये जो कुछ भी बन सका है, किया है । परन्तु साथ ही साथ यह भी मानना पड़ेगा कि जो कुछ भी किया है वह बहुत थोड़ा किया है । बहुत थोड़े का मतलब यह नहीं होता कि "नहीं के तुल्य" । इसका मतलब तो यह होता है कि इस वर्ग की ओर नितांत ध्यान नहीं दिया गया । इतनी बड़ी संख्या इस वर्ग की होते हुए जो पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिये वह सरकार ने नहीं दिया है । हमको तीन बातें ध्यान में रखनी हैं । हमको उनकी सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति और नैतिक उन्नति करनी है । सामाजिक रूप से हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से आपसी व्यवहार देखने में नहीं आता । इसी प्रकार आर्थिक दशा और नैतिक दशा भी संतोषजनक नहीं है । इस वर्ग की संख्या, जैसा कि हमारे मित्र वीरेन्द्र पति यादव ने कहा वह हमारे प्रदेश की कुल संख्या का करीब-करीब आधा है । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा वर्ग होते हुए भी उस पर पूरे तौर से ध्यान नहीं दिया गया । इस वर्ग में अनेक जातियां हैं जिनकी पूर्ण रूप से कोई व्याख्या नहीं कर सका है । पिछड़ी हुयी जातियों में कितनी जातियां हैं वे प्रायः देखने में नहीं आतीं । प्रति वर्ष हमारी सरकार की ओर से ये जातियां घटती-बढ़ती रहती हैं । देहातों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास घर द्वार नहीं हैं बल्कि वे इधर-उधर गांवों में जीवन निर्वाह करते रहते हैं तथा वे चोरी, मारपीट, लूट इत्यादि भी नहीं करते । वे अपना निर्वाह ईमानदारी से करते हैं । इतना सब होते हुए भी उनमें एक भी पढ़ा लिखा मनुष्य नहीं मिलेगा । गवर्नमेंट सर्विसेज में तो कहना ही क्या है ? वहां तो वे पहुंच ही कैसे सकते हैं ? इस प्रकार की जातियों से हमारे राज्य को बड़ी भारी हानि है । केवल यह उनकी ही हानि नहीं है । वह सैकड़ों वर्ष से छोटे छोटे व्यवसाय करते रहे हैं, कोई लोहे का काम करते हैं, कोई कुछ चीज बेचते हैं और वे कोई उन्नति नहीं कर पा रहे हैं । इसलिए इन वर्गों की उन्नति के लिये आवश्यक है कि उनको बसाने का प्रबन्ध किया जाय । अगर वह एक जगह बस जायेंगे तो उनकी शिक्षा भी हो सकेगी, बच्चे पढ़ भी सकेंगे और उनको नौकरी भी पढ़ने के बाद मिल सकेगी । इस तरह से घूमने फिरने से तो उनकी आर्थिक, सामाजिक या नैतिक किसी प्रकार की उन्नति भी न हो सकेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्रीचन्द]

इसी प्रकार पिछड़े वर्ग के लोगों को शहरों और गांवों में शिक्षा कम मिलती है और उनके लिये वहां नौकरी आदि में कोई संरक्षण नहीं मिलता है। अतः यह ध्यान में रखना चाहिये कि इस तरह के वर्गों को संरक्षण दिया जाय और उनके लिये जहां तक हो सके शिक्षा आदि का प्रबन्ध करना चाहिये। उनकी सामाजिक दशा भी मैं समझता हूं कि परिगणित जाति से अच्छी नहीं है, उस परिगणित जाति के लिये तो कुछ संरक्षण है, लेकिन इनका कहीं कोई ध्यान नहीं है कि कैसे उन का उद्धार किया जाय। इस तरह से उनके पढ़ने का प्रबन्ध, मकान का प्रबन्ध, पुस्तकों आदि का प्रबन्ध करना चाहिये। मैं समझता हूं कि इतना किया जाय, तभी इस वर्ग की उन्नति हो सकती है। उनकी दशा बहुत खराब है क्योंकि न तो उनके पास कोई व्यवसाय ऐसा है कि वे जम कर काम कर सकें और न कोई साधन ही उनके पास हैं, जैसा पहले से चला आ रहा है वैसे ही वे चल रहे हैं। न मकान हैं, न रहने का स्थान है और वे एक बंजारे की तरह रहते हैं। हमें आशा हुई थी, जब इस सदन में किसानों, मजदूरों और पिछड़ी जातियों से संबधित सभी लोगों के लिये मकान बनाने का प्रस्ताव आया था और पास किया गया था। अगर यह लोग स्थायीरूप से रहने नहीं लगेंगे तब तक इनकी शिक्षा नहीं हो सकती। जितनी सहूलियतें उनको मिलनी चाहियें वे हमें देनी चाहिये और उन वर्गों को आगे बढ़ाना चाहिय। इनकी इतनी बड़ी संख्या होते हुये भी उनको बहुत हानि उठानी पड़ रही है और एक तरह से वह स्टेट की और देश की भी हानि है। हमारे संविधान में भी दिया हुआ है कि हमें इस वर्ग की ओर ध्यान देना चाहिये। अनुच्छेद १६ जो संविधान का है उसके चौथे भाग में दिया हुआ है कि "इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं ह, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।" मतलब इसका केवल यह है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको राज्य की नौकरी आदि में संरक्षण मिल सकता है। अतः मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के नियम बनाये जायं कि जिस से इस वर्ग की सामाजिक, नैतिक और आर्थिक उन्नति हो और वह आगे बढ़ सकें। आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति उन्नति कर सके। हमारे एक एक व्यक्ति का जीवन अपना नहीं राष्ट्र की सम्पत्ति है। यदि हमारे राष्ट्र के अन्दर एक भी व्यक्ति अनपढ़ रहता है, या सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उन्नति से वंचित रहता है तो यह एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है, क्योंकि एक एक व्यक्ति जो पिछड़ा हुआ रहेगा वह राष्ट्र की अवनति है। इसलिये यह सर्वप्रथम बात है कि यदि राष्ट्र को उन्नति देनी है और संसार भर में उसको आगे बढ़ाना है तो यह सबसे पहला हमारा धर्म है कि हम हर तरफ ध्यान दें और एक-एक व्यक्ति को ऊपर उठावें। यदि हम इस प्रकार का ध्यान न दें तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश की गिरावट की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। कुछ थोड़े से आदमियों के रहते हुए देश की उन्नति कदाचित् नहीं हो सकती, जब तक प्रत्येक प्राणी अपने को न समझे कि वह राष्ट्र की सम्पत्ति है और उसे अपनी उन्नति करते हुए राष्ट्र को उन्नति देनी है। इन विचारों के साथ यह हमारी सरकार का भी कर्त्तव्य हो जाता है कि ऐसे वर्ग को सहायता दे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तीन करोड़ के लगभग व्यक्ति पिछड़े रहे, यह हमारी कितनी बड़ी गिरावट है। इस पर ध्यान देने की शीघ्रातिशीघ्र आवश्यकता है। अधिक समय न ले कर मैं अन्त में प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो मेरा संशोधन है उससे मुझे कुछ संतोष अवश्य है लेकिन जो पूर्ण उन्नति का कारण है वह भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस ओर ध्यान देने की कृपा करें।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत संकल्प जो सदन के सामने है उसे मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा। यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि आज की सामाजिक व्यवस्था में हम किन लोगों को पिछड़े वर्ग का समझें। आर्यसमाज के आन्दोलन से तथा राजनीतिक आंदोलन से जातीय संगठनों में एक उथल-पुथल पैदा हुयी और उसके परिणाम-

स्वरूप आज यह सहज में समझा नहीं जा सकता कि कौन सा वर्ग पिछड़ा हुआ है। ध्यानपूर्वक यदि देखा जाय तो आज जिसको हम पिछड़ा वर्ग समझते हैं वह अपने जातीय संकल्पों के अनुसार जातीय व्यवस्था को जो अनादिकाल से चली आ रही है पिछड़े वर्ग से उठाकर वैश्य वर्ग, क्षत्रिय वर्ग या ब्राह्मण वर्ग में समझने लगा है। जैसे कूर्मवंशीय क्षत्रिय, हैहय क्षत्रिय, नापित ब्राह्मण, लोहार अपने को शर्मा कहते हैं। तो इस प्रकार से जहां तक जातीय संगठन का प्रश्न है जिस वर्ग को हम पिछड़ा समझते थे वहां से वे ऊपर उठ गये हैं। ऐसी स्थिति में एक ही प्रश्न रह जाता है कि आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हों उनकी तरफ शायद ध्यान खींचा जा रहा हो। इस दृष्टि से पिछड़े वर्ग में जाति का प्रश्न नहीं आता क्योंकि ऐसी कोई जाति नहीं है चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हों और चाहे शूद्र हों जिनमें पिछड़े हुये लोग न हों और जिनके पास उन साधनों की स्वल्पता न हो, जिनके कारण उनका विकास रुक सकता है। इस दृष्टि से हमें इस बात का निर्णय करना होगा कि नयी जनगणना करायी जाय कि आज के इस युग में कौन सी जातियां पिछड़ी रह गयी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक जमाना था जब हमने जन्मना वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठायी थी और उस अवस्था को समाज और देश के लिये हानिकारक समझ कर उसके खिलाफ महर्षि दयानन्द से लेकर पूज्य महात्मा गांधी जी तक ने अपनी आवाज बुलन्द की और उसका असर हुआ। आज यदि उसी प्रकार जिसको सनातनधर्म वर्ण व्यवस्था कहते हैं उसका उल्टा स्वरूप लेकर नीचे से वर्ण व्यवस्था आरम्भ की जाय तो यह विचार करने की बात है कि इससे देश का हित कहां तक हो सकता है। यदि उस व्यवस्था ने देश का अहित किया जिसको हम सनातनधर्म वर्ण व्यवस्था कहते हैं। तो आज केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति चूंकि जिसे शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास कहते हैं उसमें पैदा हुआ है; इसलिए इस वर्ण व्यवस्था को हम मान लें और राष्ट्र के जितने भी विकास के साधन हैं वे केवल उनके ऊपर ही खर्च किये जायं तो कालांतर में ऐसा समय आयेगा जबकि आज जिनको हम समुन्नतवर्ग कहते हैं वह कहीं ज्यादा पिछड़ जायेंगे। इस लिये राष्ट्र का धर्म है कि वह इस बात पर विचार करे।

जहां तक कि प्रश्न का सम्बन्ध है, आज यह बात छिपी नहीं है कि जिनको हम पिछड़े हुए वर्ग मानते हैं जैसे कुर्मी, अहीर, यादव ऐसे वर्गों के लोग लक्षाधीश और कोट्याधीश हैं। इस दृष्टि से मैं यह चाहता हूं कि उन वर्गों की ओर जोकि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं और उनके साथ ही साथ जो उनके अतिरिक्त दूसरे वर्ग हैं, उनमें जो पिछड़े हुये लोग हैं उन सबकी ओर समान ध्यान दिया जाना चाहिये। केवल किसी वंश में पैदा होने के कारण ही वह राष्ट्र की सारी सुविधाओं के हकदार हो जायं यह हमारे संविधान की भावना के विपरीत जाता है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी वंश में पैदा हुआ हो और उसके पास साधन न हों या स्वल्प साधन हों, ऐसे व्यक्तियों की उन्नति के लिये कोई मार्ग अवश्य निकाला जाना चाहिये। हमारे माननीय नेता यदि कोई ऐसा मार्ग निकाल सकें जिसमें प्रत्येक वर्ग को संतोष हो तो वह बहुत उत्तम होगा। परन्तु इस प्रकार की जो वर्ण व्यवस्था पैदा की जा रही है, इसका मैं विरोध करता हूं। मेरा बस इतना ही निवेदन है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प की पंक्ति ३ में शब्द "न होने के तुल्य" के स्थान पर शब्द "बहुत कम" रख दिये जायं।

अधिष्ठाता महोदय, जब भी कभी हरिजन या पिछड़े हुये समाज की चर्चा इस सदन में होती है तो मेरी आंखों के सामने पूज्य स्मरणीय बापू जी की जीती जागती तस्वीर आजाती है। उस महान् आत्मा ने हमारे देश को और संसार को ठीक प्रकार से समझा था। उन्होंने देश के रहने वालों की समस्याओं को ठीक प्रकार से समझा था और उसे हल करने का भी पूर्ण प्रयत्न किया। वह सारे संसार के मनुष्यों और देश के मनुष्यों को एक दृष्टि से देखते थे और समझते

[श्री रामदास आर्य]

थे कि यदि हमारे देश का कोई भी अंग कमजोर रह जाता है तो हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती । वे अपने इस उद्देश्य में कामयाब रहे और सबको साथ लेकर आज हमें स्वतंत्रता प्राप्त करायी। आज खुशी की बात है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी उनके विचारों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे समाज का कोई भी अंग कमजोर न रहे, परन्तु उसकी उन्नति हो ।

आज देश में हरिजन, परिगणित जाति वाले और पिछड़े वर्ग के लोग विशेषतया कमजोर समझे गये हैं,क्यों कि हमारे देश में बिरादरियों की भावनाएं कुछ समय से बहुत ज्यादा बढ़ीं और इतनी बढ़ीं कि कुछ ऊंचे लोग अपने से कमजोर भाइयों को दबा करके एक ऐसी जगह ले आये, कि वह सदियों तक उठ नहीं सके । उनके आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में बहुत बड़ी कमी रही और पहले एक ऐसा समय था जब परिगणित लोगों को शिक्षा भी नहीं प्राप्त होती थी और उनको समाज में कोई अधिकार नहीं था । आज वह शनैः शनैः दूर हो रहा है । इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि जहां 'न होने के तुल्य' शब्द आये हैं उनके स्थान पर शब्द 'बहुत कम' रख दिये जायं, यानी जितना भी है उसको हमें मानना चाहिए, मानने से इनकार करने की बात नहीं होनी चाहिए । हां, यह मांग की जा सकती है कि अधिक की आवश्यकता है और वह पूरी होनी चाहिए । आज उन गरीबों का आर्थिक प्रश्न हमारे सामने है, जो बैकवर्ड क्लासेज के हैं, या दूसरे लोग हैं । जब तक उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं की जा सकती उस वक्त तक उनकी आर्थिक समस्या हल होने में बहुत समय लगेगा । इसलिए मैं अपनी सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जितना शीघ्र हो सके उनके लिए उद्योग धन्धों की व्यवस्था की जाय । शिक्षा में उनको सुविधाएं दी जायं, गो दी जा रही हैं लेकिन आवश्यकता यह है कि अधिक सुविधाएं उनको मिलनी चाहिएं । जब उनके पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे कि वे अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा कर सकें, अपनी आर्थिक समस्या को हल कर सकें, तो ऐसी अवस्था में यह आवश्यक होता है कि उनको शिक्षा में हर प्रकार की सुविधाएं दी जायं अर्थात् उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाय, उनको छात्रवृत्तियां दी जायं, उनके खाने पीने का प्रबन्ध किया जाय । लेकिन जैसा कि अभी अहसास किया गया कि हमारे बजट में कमी है, हम शनैः शनैः इसको कर रहे हैं, हमें पूर्ण आशा है कि जब कभी हमारा बजट हमें इस प्रकार की आज्ञा देगा तो हमारी सरकार पीछे नहीं रहेगी । अब प्रश्न यह होता है कि जब यह बैकवर्ड क्लासेज के लोग शिक्षा पा जाते हैं, तो नौकरियों में उनका स्थान ठीक रूप से उनकी संख्या के अनुपात से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है । जब इनके पास और कोई साधन नहीं है, कोई विशेष उद्योग धन्धे नहीं हैं, तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरियों में स्थान पाने का ही एक प्रश्न रह जाता है । इनको नौकरियों में स्थान देने में एक दिक्कत यह जरूर पड़ती है जैसी कि मुझे भी, जब मैं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में एजुकेशन का चेयरमैन था दिक्कत हुई थी कि कुछ लोगों ने अपनी जाति मेढ़ राजपूत लिखा, कुछ लोगों ने कश्यप राजपूत लिखा, कुछ लोगों ने पाल क्षत्रिय लिखा । इस तरह यह दिक्कत हुई कि किसको किस तरह से रखा जाय । जब हमने जांच की तो यह मालूम हुआ कि ये वे लोग हैं जो बैकवर्ड कहलाते हैं और तब हमने उनको सुविधाएं देने की कोशिश की । तो जो लोग बैकवर्ड कम्युनिटी का नारा लगाते हैं, उनको यह चाहिए कि कम से कम जितनी हमारी सूची में बैकवर्ड क्लासेज की जातियां दर्ज हैं, उनमें अपने को रखें तब उनको सुविधाएं मिल सकती हैं । लेकिन जब वह आगे की बात करते हैं, सभाओं में प्रस्ताव करते हैं और बैकवर्ड क्लास से निकलने की बात करते हैं और फिर कोशिश करते हैं और कहते हैं कि संरक्षण नहीं हुआ तो इसपर आज ध्यान देने की जरूरत है । मैं इस हक में हूं कि उन पिछड़े हुए लोगों को अवश्य साधन मिलने चाहिए नौकरियों में ताकि वह अपने आगे आने वाले जीवन और अपनी संतान को ठीक तरह से बना सकें । आज बैकवर्ड जातियों में बहुत सी जातियां हैं जो भिन्न-भिन्न प्रकार के रोजगार और धन्धे करते हैं । गड़रिया लोग हैं, उनके पास जमीन नहीं है और जो अपने को पाल क्षत्रिय कहते हैं जो

भेड़ें चराते हैं। उनकी बड़ी मुश्किल है उनके लिए रोजगार होना चाहिए। वह कहां अपनी भेड़ें चरायें। आगे शायद ऐसा हो रहा है कि कुछ चरागाह छोड़ने की बात है। इससे उनको कुछ आसानी अवश्य मिलेगी।

इसी प्रकार से और लोगों को भी उनके रोजगार वगैरह में सुविधायें मिलनी चाहिए ताकि वह अपनी आर्थिक समस्या को सुलझा सकें और फिर आगे बढ़ सकें। समाज में जो आज दिक्कत है, वह यह है कि श्रम को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। अगर कोई थोड़ा बहुत पढ़ लेता है तो उसकी तो कुछ कद्र हो जाती है। लेकिन जो लोग अपने रोजगार में लगे हुए हैं, उनका समाज में बहुत कम आदर होता है और वह ज्यादातर बैकवर्ड और हरिजन लोग ही हैं जो मेहनत का काम करते हैं। यदि हम श्रम को, यदि हम मेहनत को ऊंचा स्थान देंगे, तो इन लोगों की जाति आगे बढ़ेगी। वह श्रम करते हैं इसलिए समाज में उनका दर्जा कम है, तो हरिजनों का इस कारण से भी सम्मान बहुत कम है। इसलिए हरिजनों को सम्मान दिया जाय। इस लिए हर स्थान पर, हर जगह जहां सुविधा मिलने की गुंजाइश हो जरूर दी जाय। उनकी आर्थिक समस्या, बौद्धिक समस्या और सामाजिक समस्या को सामने रखते हुए उनकी उन्नति होना अत्यन्त आवश्यक है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि बैकवर्ड जातियों का भी ध्यान रखा जाय। जैसा कि अभी मेरे भाई श्री वीरेन्द्रपति यादव जी ने कहा है कि कानून द्वारा उनको ऐसी सुविधा दी गयी है जिससे उनका सरकारी नौकरियों में संरक्षण हो सके। अगर यह सम्भव है तो इसपर विचार किया जाय और दिया जाना चाहिए।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रोजगार की व्यवस्था जैसा कि मैंने पहले कहा है, उनके लिए होना अति आवश्यक है और जरूर की जानी चाहिए ताकि यह अपना आर्थिक स्तर ऊंचा उठाकर उस अंग के बराबर आ सकें और वह भी उच्च बन सकें। हम भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। हम चाहते हैं कि हमारे यहां न कोई हरिजन रहे और न कोई बैकवर्ड रहे अपितु सब समान रहें। इनका आर्थिक स्तर, बौद्धिक स्तर और सामाजिक स्तर ऊंचा हो। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां तक उसकी मनोवृत्ति और भावना का सम्बन्ध है, जिनसे प्रेरित होकर इस संकल्प को हमारे सामने रखा गया है, उनका मैं आदर करता हूं। मेरी सहानुभूति और सहमति उनके साथ है। लेकिन जब मैं उस संकल्प की भाषा को पढ़ता हूं तो मुझे दिक्कत महसूस होती है और मैं समझता हूं कि शायद अनजाने में ही क्यों न हो, लेकिन इसके पीछे जो झलक दिखायी देती है, उससे जिस मंशा को लेकर इसको यहां रखा गया है, वह चीज होने वाली नहीं है, बल्कि इससे देश और राष्ट्र का अहित ही हो सकता है। जैसा कि अभी एक माननीय मित्र ने कहा कि हम किसको पिछड़े वर्ग का आदमी समझें, कौन हमारे देश में पिछड़ा वर्ग है। आज हम यदि आर्थिक ढांचे को देखें, तो मैं देखता हूं कि सारा हिन्दुस्तान पिछड़ा वर्ग है। आज हम अपनी आमदनी को देखें, तो पर कैपिटा इनकम हमारे देहात की २५५ और शहरों की ५०० से कुछ ज्यादा है। अगर हम इसका मुकाबला दूसरे देशों से करें, तो हमको तो ऐसा मालूम होता है कि सारे देश का देश ही पिछड़े हुए वर्ग में शामिल होगा; और हमको उसीके उत्थान के लिए सबसे पहले कदम उठाना चाहिए, ताकि हमारे सारे देश का उत्थान हो सके। हम यह मानते हैं कि हमारे देश का आर्थिक, सामाजिक ढांचा आज भी बहुत कमजोर है। हम यह भी मानते हैं कि हमारे देश के अन्दर आमदनी बहुत कम है। बहुतों के पास आज मकान भी नहीं हैं, बहुतों को झोपड़ी भी नहीं मिलती। तो यदि हम इस तरह से सोचें, तो कुछ लोग ही ऐसे हमारे समाज में हैं जिनकी आय अच्छी है। उनके पास आमदनी के अच्छे साधन हैं, चाहे वह किसी भी जाति के क्यों न हों, और कुछ ऐसे भी हैं। जिनके पास खाना भी ज्यादा नहीं है।

[श्री नवलकिशोर]

तो, यदि आर्थिक आधार पर कोई ऐसा विभाजन किया जाय कि कौन लोग आगे बढ़े हुए हैं, कौन पिछड़े हुए हैं, तब तो श्रीमन्, यह बात समझ में आती है, लेकिन किसी जाति विशेष के आधार में यह कहना, यह मेरी बुद्धि के परे की बात है। मैं जानता हूं कि कोई जाति ऐसी नहीं है, जिसमें अमीर और गरीब न हों। हरिजनों को तो मैं नहीं कहता, बार बार उनकी मिसाल दी गयी, उनकी मिसाल फिट नहीं होती। उनका तो हमारे सामाजिक जीवन में एक नीचा स्थान था और आज भी है। इसलिए उनके लिए हमने जो सीटें वगैरह दीं और थोड़ा सा विधान में रिजर्वेशन किया, वह दूसरी बात है। मगर जहां तक पिछड़े हुए वर्ग और दूसरी जातियों का सवाल है, मैं जानता हूं कि उनमें काफी तादाद में लोग ऐसे हैं, जो अच्छे हैं, मालदार हैं, प्रगतिशील हैं। उनके घर के बड़े बड़े आदमी, रिश्तेदार अच्छी अच्छी जगह पर हैं और उनमें से ऐसे लोग भी हैं, जिनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। अगर आप पहाड़ को देखें तो पहाड़ में अच्छी अच्छी जाति के लोग इतने निर्धन और गरीब हैं कि वह हमारे यहां छोटी मोटी नौकरियों को ढूंढते हैं। तो, जाति के नाम पर यह कह दें कि संवरण जाति के लोग गरीब नहीं हैं तो यह बात मानने वाली नहीं है। तो, मेरा अभिप्राय केवल यह था कि हमको इस दृष्टिकोण से सोचना है कि हमारे देश का जो गिरा हुआ आर्थिक स्तर है, उसको ऊपर उठाना चाहिए। वह स्तर किसी का हो, ब्राह्मण का, राजपूत का, वैश्य का, कुर्मी का, किसीका भी हो, ऊंचा होना चाहिए। वहां तक तो बात समझ में आती है। पर चन्द ही जातियों की उन्नति की जाने की बात समझ में नहीं आयी। यदि यह कहा जाय कि हमको आर्थिक उन्नति करनी चाहिए उन लोगों की तब ठीक है, उनको वह सुविधाएं होनी चाहिए, मगर केवल सरकारी नौकरियां मिलने से सामाजिक और आर्थिक उन्नति हो जाय यह भी श्रीमन्, मेरी बुद्धि के बाहर की बात है। जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है, मुझको ठीक ठीक नहीं मालूम, मेरा अन्दाजा है कि दो-ढाई फीसदी से ज्यादा आदमी सरकारी नौकरियों में नहीं होंगे। तो थोड़ी देर को मान लीजिये कि जो सिफारिश की जा रही है, उसके अनुसार अनुपात से हम नौकरियां देना शुरू कर दें तो दो परसेंट से ज्यादा लोग उन जातियों के भी नौकरी में नहीं आ सकते। फिर भी ९८ फीसदी आदमियों की बात रहती है और अगर हमने नौकरियों के अन्दर जातिवाद पैदा किया, तो मैं समझता हूं कि हमारी सर्विसेज का जो नैतिक स्तर है, जो आज भी काफी डांवाडोल है वह और भी नीचे को जा सकता है। जातिपात समाज का कोढ़ है, इसको आगे नहीं फैलने देना चाहिए।

इसके बाद एक बात कही गयी कांग्रेस की नीति की, सरकार की नीति की। इसमें कोई दो भिन्न राय नहीं हैं। कांग्रेस ने हमेशा कहा, आज भी कहती है और जबतक जिन्दा रहेगी, यही कहेगी कि जो भी हमारे देश के अन्दर पिछड़े हुए लोग हैं, वह किसी भी जाति के क्यों न हों, उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति का करना इस सरकार का और पार्टी का परम कर्त्तव्य है। लेकिन उसके अगर तोड़ मरोड़ करके माने यह निकाले जायं कि कुछ चन्द जातियों की या कुछ चन्द लोगों की उन्नति की बात कांग्रेस करे, तो मैं समझता हूं कि वह बात कांग्रेस के लिए शोभा नहीं देती है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि वर्गहीन समाज की स्थापना की जाय, एक तरफ तो मांग है वर्गहीन समाज की और दूसरी तरफ हम वह बातें करें कि जिनसे वर्ग की कांशसनेस हमारे यहां बढ़े, मैं समझता हूं कि ये दोनों चीजें साथ-साथ चलने वाली नहीं हैं। इसके बाद जहां तक ताल्लुक सरकारी नौकरियों का है, श्रीमन्, मेरा तो अपना बिलकुल निश्चित मत है कि सरकारी नौकरियों का आधार मनुष्य की योग्यता, उसकी मेरिट ही हो सकती है। अगर कोई शिकायत यह हो कि किसी विशेष जाति के लोगों को कम्पटीशन में बैठने का या नौकरियों के मिलने का पूरा अवसर प्राप्त नहीं है, तब तो वह शिकायत जायज हो सकती है। लेकिन अगर अवसर प्राप्त है और कम्पटीशन में अगर कोई नहीं आ पाता है, तो मैं समझता हूं कि उसके बाद यह आशा करना कि इन्सान की क्वालिफिकेशन कम हो, योग्यता कम हो और

केवल जाति के आधार पर उसको विशेष अधिकार दे दिये जायं, तब तो यह जो हमारा विधान है, उसका जो आधार है, उसके भी विपरीत यह जाता है। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन की कुछ रिपोर्ट्स देखीं। उनको यह शिकायत है कि हमारा स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है और उनको तो यह भी शिकायत है कि जिन लोगों को आज हमने सीटें दे रखी हैं, फिक्स कर रखी हैं, उनमें से कुछ जगहें उनको छोड़नी पड़ती हैं क्योंकि उनको उस योग्यता के आदमी नहीं मिलते हैं। उसकी तफसील में तो मैं जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अगर योग्यता को हम आधार मान लें, तो सबको इस बात की बराबर अपार्च्युनिटीज हों कि वह पढ़े, अपने आपको इक्विप करे, कम्पिटीशन्स में बैठे और ऊंची से ऊंची जगह उन सबके लिए खुली होनी चाहिए। अगर इस बात के अन्दर कोई पाबन्दी हो तो मैं समझता हूं कि उसके खिलाफ आवाज उठाना ठीक है। मगर इस तरह की कोई बात हमारे यहां है नहीं। आज हम जहां पर एक तरफ एकता की बात करते हैं कि हमको तमाम समाज को एक सूत में बांधना है, मानव मानव में भेद नहीं करना है, वहां हमारे देश में कुछ ऐसी शक्तियां भी काम कर रही हैं कि जो हमारे समाज को छिन्न भिन्न करना चाहती हैं, और हमारे राष्ट्र को भी छिन्न भिन्न करना चाहती हैं। मेरा स्पष्ट संकेत उस शोषित संघ की तरफ भी है जो कि आज जातिवाद की आड़ में कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट्स को सपोर्ट करना चाहता है और उनके लिए कुछ फायदे की बातें करना चाहता है। इसके बाद यह भी कहा गया कि जहां जहां हरिजन शब्द हो उसके साथ साथ बैकवर्ड शब्द भी लगा देना चाहिए। तो इस दलील से मैं तो इस परिणाम पर पहुंचा कि उनका असली मंशा यह है कि जिस तरह से कि विधान में हरिजन भाइयों के लिए कुछ फीसदी सीटें फिक्स्ड हैं, नौकरियों के अन्दर, उसी तरह से वह चाहते हैं दूसरे शब्दों में कि कुछ और जातियों को भी उसी के अनुपात के हिसाब से उतनी ही सीटें फिक्स्ड हो जायं, क्योंकि बैकवर्ड क्लास तो कोई माने रखता नहीं। एक बार यदि हम इस उसूल को मानते हैं तो बैकवर्ड जातियों में जो अन्य उपजातियां हैं उनको भी मानना पड़ेगा। और मैं तो देखता हूं कि हरिजनों में भी कोई सामंजस्य नहीं बैठता है, वहां भी काफी आपस में जातिवाद है, कुछ जातियों के लोग कहते हैं कि हम पीछे रह गये और कुछ विशेष जातियों का फायदा हो गया। कुछ यह महसूस करते हैं कि हमको कम फायदा हो रहा है, दूसरों को ज्यादा हो रहा है। तो मेरा जो अभिप्राय है वह यह है कि यदि कहा जाय कि हमको पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान करना है, उनकी उन्नति होनी चाहिए, उनकी सामाजिक उन्नति हो, आर्थिक उन्नति हो, शिक्षा का पूरा प्रबन्ध उनके लिए हो, उनके बच्चों के लिए हो, तो वह बात तो ठीक है और सिद्धान्ततः वह बात होनी चाहिए। लेकिन उसके पीछे जो कि इस समय एक जातिवादिता की बात आयी वह मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। इस सम्बन्ध में कुछ खेतिहर मजदूरों की बात भी आ गयी। जहां तक खेतिहर मजदूरों की बात है, मैं तो नहीं जानता कि खेतिहर मजदूर जो हैं उनका किसी जाति विशेष से सम्बन्ध है। किसी भी गांव के अन्दर जिस मनुष्य के पास भूमि नहीं है और खेती करना चाहता है, और वह नहीं कर पाता है, मैं समझता हूं कि वह खेतिहर मजदूर है। तो उसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं कि जो भी गरीब तबका है उसको आगे बढ़ाया जाय। लेकिन इस बात को बार बार कहना कि जातियों के नाम पर नौकरियां दी जायं, मैं समझता हूं कि यह बहुत उचित बात नहीं है। इस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्री जी की भी बात आयी। उन्होंने कहा कि अमुक जाति पिछड़े वर्ग में नहीं है। मैं नहीं जानता कि उसका रेफरेंस और कन्टेक्स्ट क्या था। कौन सी जाति थी। लेकिन मैं समझता हूं कि वह जाति आती है या नहीं आती है, यह महत्व की बात नहीं है। असली बात तो यह होनी चाहिए कि हर पिछड़े व्यक्ति का उत्थान हो। पर यह कहना कि उस जाति का उत्थान या किसी जाति का उत्थान केवल इस लिए हो जायगा कि वह पिछड़े वर्ग में शामिल है मैं नहीं मानता। मैं समझता हूं कि उसके आर्थिक ढांचे पर इससे कोई विशेष असर पड़ने वाला नहीं है। मेरा यह भी मत है कि यह जो सूची है पिछड़े वर्ग की यह कुछ साइन्टिफिक भी नहीं है और इकानोमिक कन्डीशन्स के आधार पर नहीं बनायी गयी है। अंग्रेजी जमाने में यह नीति थी कि आपस में

[श्री नवलकिशोर]

विभाजन किया जाय और उसी के आधार पर यह सूची देश के अन्दर चली आती है। मैं समझता हूं कि इन सब बातों को देखते हुए श्री वीरेन्द्रपति यादव की जो यह भावना है कि पिछड़े हुए लोगों को इस देश में आगे बढ़ाया जाय हम सब उनके साथ हैं। लेकिन यदि वर्गहीन समाज की रचना करनी है, तब जातिवाद को खत्म करना होगा। जातीयता की कांशसनेस को पैदा करने की जो चेष्टाएं की जाती हैं हम उसके बिलकुल विरुद्ध हैं, क्योंकि उससे देश की हानि है। बस मुझे इतना ही कहना है।

*श्री कमलासिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प माननीय वीरेन्द्रपति यादव जो ने प्रस्तुत किया है मैं उसमें निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं ---

संकल्प की पंक्ति ३ का वाक्य "अतः पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के समुचित प्रतिनिधित्व के हेतु सरकारी नीति .....

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---प्वाइन्ट आफ इन्फार्मेशन, सर। क्या यह बतलाने की कृपा कीजिएगा कि जो अमेंडमेंट इसमें आते हैं उनका भी ध्यान रखेंगे या जनरल डिबेट करेंगे ?

अधिष्ठाता---हम दोनों ही बातों का ध्यान रख रहे हैं जिसमें मुख्य प्रस्ताव के साथ, जो अमेंडमेंट आये हैं, वे भी ले लिये जायं।

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)---प्वाइन्ट आफ इन्फार्मेशन, सर। यदि यह जो अमेंडमेंट हैं, वह आज न पेश हो सकें, तो क्या यह समझा जाय कि अगले नानआफिशल डे पर भी यह प्रस्ताव चलेगा ?

अधिष्ठाता---यह तो कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री कमलासिंह---संकल्प की पंक्ति ३ का वाक्य "अतः पिछड़े वर्ग . . . वास्तविक रूप में कार्यान्वित करायी जावे" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित वाक्य रख दिया जाय---

"अतः पिछड़े वर्ग का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व कराने के लिए उनको जन गणनानुसार उनकी सीट सुरक्षित कर दी जाय।"

जहां तक पिछड़ी कौम की समस्या का सवाल है, उसके बारे में इस सदन से कोई बात छिपी नहीं है। हर आदमी जानता है कि पिछड़ी कौम की क्या हालत है। हरिजन वर्ग जो है, उससे थोड़ा ऊपर यह समाज है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। लेकिन जो भाषण यहां पर इस सदन के अन्दर हो रहे हैं मैं यह देख रहा हूं कि उसमें यह चीज लायी जा रही है कि कौन जाति बैकवर्ड क्लास में रखी जाय या नहीं। इसके मुताल्लिक मैं बतला देना चाहता हूं कि हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से एक कमीशन की नियुक्ति हो चुकी है, जो इन जातियों का निबटारा करेगा कि कौन कौन सी जातियां पिछड़े वर्ग में रखी जायं। जहां तक जातियों के रखने का सवाल है, इस सदन के अन्दर यह झगड़ा नहीं उठना चाहिए हालांकि जो लोग अपना विचार प्रगट करना चाहें, वह कर भी सकते हैं।

लेकिन हमारे सामने ही सवाल है कि पिछड़े वर्ग के लोगों का रिप्रेजेन्टेशन सर्विसेज में कैसे हो। यही प्रश्न हमारे सामने है। जब हम पापुलेशन की तरफ जाते हैं, तो हम यह देखते हैं कि जितनी बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनकी संख्या करीब साढ़े चार करोड़ है (४,५१,९९,४१०) है। इसी तरह से सिर्फ हम गजेटेड आफिसर्स की लिस्ट देखें, तो ५,१४४ गजेटेड आफिसर्स

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, जिनमें ब्राह्मण १,५८८, क्षत्रिय ५६९, वैश्य ६५७, कायस्थ १,१००, खत्री ५३३, मुसलमान ४३७, पिछड़ी कौम ३०, हरिजन ३५ और अन्य १९५। इस तरह से इतनी तादाद सिर्फ तीस पिछड़ी कौमों की है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि कितना प्रतिनिधित्व इन जातियों का है। और भी सर्विसेज में जो रिप्रेजेन्टेशन इन पिछड़ी जातियों का है, वह छिपा हुआ नहीं है। ५५ जातियां हरिजन विभाग में पिछड़ी कौमों की दी हुई हैं, लेकिन तीस आदमी उनके हैं। अगर एक-एक भी एक-एक जाति का समझा जाय तो उनको रिप्रेजेन्ट नहीं करते। अभी जब पुलिस का बजट सदन में चल रहा था, उस समय हमने सुना था, चाहे इस पार्टी के लोग हों, चाहे उस पार्टी के, हर एक ने कहा कि इस प्रदेश के कोने कोने में जातीयता और पक्षपात चल रहा है। इस लिए हमें यह देखना है कि कैसे यह सवाल दूर हो। १९११ में जब अंग्रेजी हुकूमत यहां थी, उस वक्त हर जिले में एक सर्कुलर भेजा गया था कि जितनी कौमें हैं कहीं पर एक ही जाति का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व न हो। इसका कारण यही था कि हर जाति का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में हो सके, और कोशिश भी की गयी, लेकिन अंग्रेज हमारी हालत को नहीं जानते थे। आज जब हमारी गवर्नमेंट आयी, तो जितने लोग हैं, वे हमारे भाई हैं, एक ही खानदान के हैं, चाहे अगल में रहते हों या बगल में, हरिजनों को उठाने की कोशिश की गयी। जब हर जाति के लोग नौकरियों में आयेंगे, तो किसी को मौका नहीं रहेगा यह कहने का कि हमारी जाति के साथ पक्षपात किया जा रहा है, या कोई ऐसा तबका है, जो कुचला जा रहा है। यह भावना है इस संशोधन के रखने में जिसको लेकर हम आगे चलना चाहते हैं। यह नहीं कि हम आपस में किसी तरह की कटुता पैदा करना चाहते हों, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है, इस स्वतंत्रता को हर कीमत पर कायम रखना है और देश की उन्नति करना है। हमें और आपको मिल-जुल कर देश को आगे बढ़ाना है। रिजर्वेशन करने से जातीयता बढ़ेगी और ऐसा तो वही आदमी कह सकता है जिसके हक को छीनने का सवाल होता होगा, या ज्यादा जिनका रिप्रेजेन्टेशन सर्विसेज में होगा।

जहां तक संशोधन का सवाल है संशोधन में हम सिर्फ जनमत गणना के अनुसार यह चाहते हैं कि जितनी जातियां हैं उनकी जनमत गणना के अनुसार उनको प्रतिनिधित्व नौकरियों में मिल जाय तो किसी को कोई झगड़ा नहीं रहेगा। हां, जहां तक स्टैन्डर्ड का ताल्लुक है मैं जानता हूं कि जितने योग्य उम्मीदवार हैं, जो कम्पिटीशन में आ सकें, उनको ही लेना मुनासिब होगा, क्योंकि हमारे देश को इन्टेलिजेंट आदमियों की जरूरत है, लेकिन जैसा कि हरिजनों के लिए कहा जा चुका है, उनके साधन ऐसे नहीं हैं, उनका वातावरण ऐसा नहीं है कि वे उच्च शिक्षा पा सकें, अच्छे से अच्छा डिवीजन ले सकें, इस लिए जरूरत है कि उनको प्रोत्साहन दिया जाय। काफी विवाद पिछड़ी कौमों के लिए कांस्टिटचूएंट असेम्बली में हो चुका है, संविधान, जिसकी शपथ हमने ली है, उसमें भी उनके लिए रिप्रेजेन्टेशन दिया हुआ है, जिसको कि हमें मानना ही पड़ेगा संविधान की धारा १६ में यह दिया हुआ है—

"There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State."

[राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी]।

जहां तक इक्वल अपारटुनिटी (अवसर) का सवाल है, वह हर एक के लिए उपस्थित की गयी है। लेकिन जब यह विधान बन रहा था, तो उन लोगों को यह मालूम था कि हमारे देश में इस प्रकार की परिस्थिति है। जितनी जातियां यहां पर हैं उनमें हर एक जाति में बराबरी का स्टेट्स नहीं है, तो फिर इसीलिए यह किया गया कि उनके लिए कुछ एक्सेपशन किया गया—

"The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them."

[श्री कमलासिंह]

अब इसमें इस प्रकार से कहा गया है कि इस बात का कोई ख्याल न किया जाय और इसके लिए उन्होंने तीन एक्सेप्शन किये जो तीन प्रकार से बताये गये हैं। वह इस प्रकार से हैं—

"(a) A residential qualification within a State may be prescribed in the case of any class of appointment.

(b) Special provision may be made for backward classes which are not adequately represented.

(c) religious or denominational institutions may require any office-holder or member of the Government Body thereof to belong to a particular religion or denomination."

अभी जब पिछली बार यहां पर ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहस हो रही थी तो मैंने इस सदन के सामने पिछड़ी जाति के लिए रिजर्वेशन का सवाल रखा था। उस समय माननीय मन्त्री जो ने यह कहा था कि यह पिछड़ी जाति के रिजर्वेशन का सवाल संविधान के अन्दर नहीं आता, लेकिन मैंने संविधान पर जो बसु का नोट है, उसको पढ़ा है। उसमें यह दिया हुआ है कि जहां तक शिडचूल ट्राइब्स और शिडचूल्ड कास्ट का सवाल है, उसके लिए सुविधा धारा ३३५ में दी गयी है जो इस प्रकार है—

"The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled-Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State."

[संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियाँ करने में प्रशासन कार्य पटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जायेगा।]

तो इसमें दोनों के लिए रखा हुआ है कि उनके लिए सर्विसेज में खास रिजर्वेशन रखना चाहिए। इसी प्रकार से धारा १६(४) बैकवर्ड क्लासेज के लिए है। और जो उसमें फर्क दिया हुआ है, वह बसु की जो कमेन्टरी है उसमें आ जाता है :

"*Representation of backward Classes* :

This clause empowers the State (as defined in Art. 12) to reserve in services under it. Appointments or posts in favour of backward classes of citizens.

It may be said that it refers to scheduled caste and tribes which are used in 335 while a different expression is used in the present clause would lead to a different legal interpretation so that the present clause may include persons who do not belong to Scheduled tribes."

बीकर सेक्शन के बारे में इस प्रकार है—

"Provision of section 46 are not enforceable by the courts and had there been no provision like clause 4 of Art. 16 any reservation of posts for the backward classes would have been void on account of inconsisting with cleuse (i) of section 16 but the protection of backward classes may require appointments of members of such classes in state services."

ऐनोमली इसी सेक्शन के अन्डर एक्सप्लेन की गयी है—

"The provisions of Art. 335 should be taken into consideration along with the present clause while that article relates specially to scheduled castes and tribes the present clause refers to backward classes generally."

इस प्रकार से जो भी पिछड़ी हुई कम्युनिटीज हैं उनके सभी वर्गों को हम सेक्शन १६ के क्लाज (४) में ले सकते हैं तथा आर्टिकिल ३३५ शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लिए बना हुआ है।

जहां तक संविधान का सवाल है कोई भी सरकार उनके लिए सीट्स रिजर्व कर सकती है।

अब आता है शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों का सवाल। अक्सर यह देखा गया है कि जो लोग बैकवर्ड क्लासेज की कम्युनिटीज के होते हैं, उनके योग्य उम्मीदवारों को भी नहीं लिया जाता है। प्रमाण के लिए एक रामसेवक यादव जो एम० एस-सी (ए० जी०) था लेकिन उसको नायब तहसीलदारी के लिए नहीं लिया गया। जबकि वह फर्स्ट क्लास फर्स्ट था और उसके मुकाबिले में थर्ड क्लास को रख लिया गया। जबकि उन लोगों से फर्स्ट डिवीजन के लोग भी नहीं रखे जाते तब दूसरी जातियों के थर्ड डिवीजन के लोग भी रख लिये जाते हैं। यदि एक जगह हो तो यह भी हो सकता है कि वह नाक़ाबिल हो, लेकिन जब अक्सर यह देखा जाता है, जब मेजारिटी केसेज में ऐसा होता है तो ख़याल होता है कि बैकवर्ड क्लासेज में होने की वजह से उनके साथ ऐसा बरताव किया जाता है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैं अभी माननीय कमलासिंह जी के भाषण को बड़े आश्चर्य और विस्मय के साथ सुन रहा था। जहां तक मेरा अनुमान है उनका एक पार्टी से सम्बन्ध है और जिस पार्टी का ध्येय राष्ट्रीयता के ऊपर आधारित है। किसी भी ऐसी संस्था के सदस्य के लिए इस प्रकार से ऐसे संशोधन रखने का अर्थ यही होगा कि देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायं, जो सर्वथा अनुचित है। एक तो यह प्रस्ताव ही बुरा है, मगर माननीय कमलासिंह जी ने संशोधन के रूप में जो बात हमारे सामने रक्खी है, अगर वह मान ली जाय तो सरकार एक यतीमखाना हो जायगी और उसमें देश के जितने भी सम्प्रदाय हैं, जातियां तथा उपजातियां हैं उन्हीं की गणना के अनुसार जब तक पूरा रिप्रेजेन्टेशन नहीं होगा, तब तक इसी प्रकार का आन्दोलन चलता रहेगा।

श्रीमन्, जो कर्मचारी हैं, वे किसी काम के लिए वहां रक्खे जाते हैं। उनकी योग्यता को देखना पड़ता है, कि वह जिस काम के लिए रक्खे जाते हैं, वह योग्यता उनमें है या नहीं। सरकारी कर्मचारियों में डाक्टर होते हैं, इन्जीनियर होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं अगर उनकी नियुक्ति में केवल यही सिद्धान्त रक्खा जाय कि वे किस बिरादरी के हैं, किस जाति के हैं और योग्यता हटा दी जाय, तो हमारे देश की सरकार नहीं चल सकती। पहले जब अंग्रेज थे तो इस सदन में यह सवाल अक्सर उठा करता था कि फलां डिपार्टमेंट में इतने आदमी मुसलमान हैं और इतने गैर मुस्लिम हैं और हमारी राष्ट्रीय संस्थाओं के मंच से इसका हमेशा निषेध हुआ करता था और कहा जाता था कि इस प्रकार की बातचीत घोर साम्प्रदायिकता है। लेकिन आज भी ऐसा प्रश्न विरोधीदल के लोग उठा रहे हैं और उस पार्टी के लोग उठा रहे हैं जो अपने को राष्ट्रीय कहते हैं और हमसे आगे बढ़ा हुआ कहते हैं। मैं यह सोच रहा हूं कि माननीय राजनारायण जी की जगह यदि मैं होता तो माननीय कमलासिंह जी जैसे बोल रहे थे, उनको बोलने से मना कर देता। लेकिन जहां तक हमारे सूबे की सरकार का सम्बन्ध है, वह बैकवर्ड क्लासेज के लिए बहुत कुछ कर रही है और इसी तरह से हमारी केन्द्रीय सरकार भी काफी सहायता उनकी करना चाहती है और कर रही है।

सदन को मालूम है कि बैकवर्ड जातियों के लिए एक सेन्टर की इन्क्वायरी कमेटी बैठी हुई है, जो सारे देश में भ्रमण कर रही है और देख रही है कि उनके सुधार के लिए क्या क्या होना चाहिए और किस प्रकार से उन जातियों की शिक्षा आदि के लिए मुनासिब इन्तजाम किया जाय और किस तरह से उन जातियों के लोगों को व्यवसाय और धन्धों में लगाने के लिए साधन प्राप्त कराये जायं। लेकिन अगर जीवन का ध्येय खाली सरकारी नौकरी ही है, तो मैं निवेदन

[श्री शिवनाथ काटजू]

करूंगा कि योग्यता और इन्टेग्रिटी सब को दूर कर दिया जाय। परन्तु देखना यह है कि यह कहांतक मुनासिब बात है। अगर कोई बीमार पड़े, तो यह नहीं देखा जाता कि अगर कोई अहीर है तो अहीर डाक्टर को ही लाया जाय बल्कि सबसे अच्छा डाक्टर को बुलाने की फिक्र की जाती है, ताकि वह अच्छा इलाज करे, लेकिन जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उसके लिए तो ऐसा समझा जाता है कि जैसे उसके लिए योग्यता का कोई प्रश्न ही नहीं है। जबतक सारी जातियों का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं होता, तबतक लोग समझते है कि हमारे अधिकार पूरे नहीं हुए। जातियों की तो हिन्दू समाज में कोई कमी है ही नहीं, अनेक जातियां हैं, और उनके अन्दर अनेक उपजातियां हैं। अगर यह सिद्धान्त रखा जायगा तो यह सरकारी महकमे सरकारी महकमें नहीं रहेंगे, मैं क्या कहूं, कि वह क्या हो जायेंगे उनकी शक्ल ही दूसरी होगी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अक्सर हमारे सदन में मेरा निजी अनुभव है कि इस तरह के प्रश्न उठाये जाते हैं।

जहां तक हरिजनों का सम्बन्ध है, अभी कुछ दिन हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े विस्तार और गम्भीरता के साथ बताया था कि सरकार ने हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों के लिए क्या क्या किया। आज अगर हमारे सामने यह कहा जाय कि हम शिक्षा के सम्बन्ध में, व्यवसाय के सम्बन्ध में, धन्धों के सम्बन्ध में किस प्रकार के साधन रखें, जिससे उन लोगों की गरीबी दूर हो, उनकी उन्नति हो, तो हमारा पूरा विश्वास है कि यह सदन उसको स्वीकार करेगा और उस बात पर विचार करेगा कि लेकिन अगर सरकारी महकमों में नौकरी का सवाल उठाया जाता है, तो यह कोई मुनासिब बात नहीं है।

हमारे सामने आज यह समस्या है कि स्कूल कालेज से जो विद्यार्थी पास होकर निकलते हैं, उनको हम सरकारी महकमों में नहीं खपा सकते हैं। अगर सरकार इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्री, कायस्थ देखने लगे तो कोई भी सरकार हो वह चल ही नहीं सकती। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इस तरह के संकल्प पर अभी श्री कमलासिंह ने जिस प्रकार से भाषण दिया। हमारे मित्र श्री नवल किशोर जी ने जो कुछ कहा मैं उससे पूरे तौर से सहमत हूं और मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह के प्रस्ताव जिन से देश का अहित हो वह न आयें, तो अच्छा है और अगर इन बातों को रोकथाम न की गयी, तो फिर यह गाड़ी ढलाव पर ही चलती चली जायगी। और मालूम नहीं किस रसातल में हम पहुंच जायेंगे और यह चीज यहां नहीं रुकेगी। अभी आपने देखा कि हमारे प्रान्त को तोड़ने की भी बातचीत शुरू हो गयी है और फिर और चीजें इसके अन्दर आयेंगी, प्रान्तीयता, जातीयता और ऐसे प्रश्न अगर उनको अच्छी तरह से रोका नहीं गया तो हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव बड़ा ही अनुचित है और इसका संशोधन जो माननीय कमलासिंह जी ने रखा वह तो सर्वथा ही अनुचित है और मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो संशोधन श्री कमला सिंह जी ने श्री बलदेवसिंह, श्री गणेशचन्द्र काछी, श्री मिहरबान सिंह तथा श्री वीरेन्द्रपति यादव के संकल्प में किया है, उन सब को ध्यान में रखते हुए तथा अपने मुल्क की जो सोशल साइकालोजी (सामाजिक मनोविज्ञान तथा ढांचा) हैं, उसको सामने रखकर विवेचन किया जाय तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होगा। मैं चाहता था कि इस सदन में जरा और सम्मानित सदस्यों के भाषण सुनूं मगर माननीय काटजू जी ने कुछ आश्चर्य प्रकट किया, माननीय कमलासिंह जी के संशोधन पर और उनको थोड़ा सा डाह भी हुआ कि वह राजनारायण जी की जगह पर नहीं हैं, वरना वह कमलासिंह जी को रोकते। श्रीमन्, हमसे तो वह दूर हैं, लेकिन माननीय गोविन्दवल्लभ पन्त जी से तो नजदीक जरूर हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह उनके पास जाते और इन चार सज्जनों के नाम से जो संकल्प प्रस्तुत है, उसको रुकवा देते उनके मनोभावों की पूर्ति हो जाती। यह आश्चर्य की बात है कि जब कोई सम्मानित सदस्य

बोलने के लिए खड़े होते हैं, तो किस परिस्थितिवश कौन सा संकल्प आता है, उसपर विवेचना नहीं करेंगे, बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों पर आक्षेप करने के लिए प्रस्तुत हो जाया करते हैं। मैं फिर माननीय काटजू साहब को ही संकेत करके इस सदन के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि प्रान्त के बिलगाव करने के लिए जो मूव (प्रस्ताव) हुआ है, उसको भी जरा गहराई के साथ देखें। मैं पूछता हूं कि माननीय गोविन्दवल्लभ पन्त के निकट होते हुए वे लोग उनसे दूर क्यों होते जा रहे हैं। यह निकटस्थ की दूरी, जो बड़ा भारी दार्शनिक शब्द है, है। आजका समाज का जो ढांचा है उसमें कुछ वर्ग और समुदाय होते चले जा रहे हैं इस बात को इस सदन के लोग जरा गहराई से विचार करें। मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय कमलासिंह जी के संशोधन से माननीय काटजू साहब को यह सदन के किसी सम्मानित सदस्य को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय कमलासिंह जी ने तो संविधान की जो धाराएं हैं, उनको बड़ी खूबी के साथ रख दिया और उसको जो ट्रांसलेशन्स थे, वे भी सुना दिये। मालूम होता है कि माननीय काटजू जी या उनके मत के लोग संविधान की धाराओं के निकलवाने के पक्ष में हैं और यदि ऐसा है, तो उन्हें वहां कोशिश करनी चाहिए थी कि बैकवर्ड क्लासेज के रिजर्वेशन (पिछड़ी जातियों के सुरक्षित स्थान) और ऐडिक्वेट रिप्रेजेन्टेशन (समुचित प्रतिनिधित्व) की बात न आती। परन्तु श्रीमन्, यह तो केवल माननीय काटजू जी ने खासकर विरोधी पार्टी को सम्बोधित करते हुए एक बात कहा इसलिए मुझे यह कहने की आवश्यकता हुई। मैं यह चाहता हूं कि इस सदन के सम्मानित सदस्य इस बात पर विचार करें कि बराबर समाजवाद का, बराबर राष्ट्रीयता का, बराबर अन्तर्राष्ट्रीयता का नाम लिया जाता है, क्या अपने देश में क्लास और कास्ट यह दोनों चीजें हैं या नहीं हैं? अगर फारेन राइटर्स (विदेशी लेखकों) के जरिये जो समाजवाद के सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने वाले लेखक हैं, देखा जाय तो उनकी पुस्तकों में कास्टलेस (वर्णविहीन तथा वर्गविहीन) और क्लासलेस सोसाइटी नहीं मिलेगी। फ़ारेन कन्ट्रीज के जो सोशलिस्ट थिंकर्स हैं They want to establish a classless society वहां वर्गविहीन समाज की रचना करना उनका ध्येय है। मगर हिन्दोस्तान में जितने समाजवाद के विद्वान हैं, उन्होंने बराबर कास्टलेस और क्लासलेस दोनों को साथ साथ जोड़ा है, क्योंकि हिन्दोस्तान डिवाइडेड है। हमारा देश जातियों में बंटा हुआ है। अगर इस सदन के कोई सम्मानित सदस्य साहस करते हैं यह कहने के लिए कि ऐसी बात नहीं है तो मैं उनसे कहूंगा कि वह अपने को समाजवादी श्रेणी में नहीं गिनेंगे। और अगर वह अपने को समाजवादी श्रेणी में गिनेंगे तो भी मैं इसे मानने के लिए कभी तैयार नहीं हूंगा।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में, अपने सूबे में समाज जात पात में बंटा हुआ है। समाज के अन्दर कुछ जातियां सुविधा सम्पन्न हैं जिनको सरकारी नौकरियों में भी, सामाजिक संस्थाओं की नौकरियों में भी और जहां कहीं भी नौकरियां हैं, उन सब में स्थान प्राप्त है। जिस तरह का सामाजिक ढांचा था उसमें उनके पास साधन उपलब्ध थे, उन्होंने अपनी शिक्षा-दीक्षा की और उस शिक्षा-दीक्षा के फलस्वरूप उनको सर्विसेज (नौकरियां) मिलीं। मैं अपने उन साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो आज केवल यही चाहते हैं कि उनकी सीट नौकरियों में रिजर्व करदी जांय कि जबतक एफिसियेंसी (समुचित योग्यता तथा क्षमता) का सवाल है, सरकारी मशीनरी को चलाने का सवाल है और दूसरी संस्थाओं को ठीक समुचित तरीके से चलाने का सवाल है, आज वर्तमान ढांचे को और एफिशियेंसी (क्षमता) को देखते हुए केवल आबादी के मुताबिक रिजर्व कर देने की बात कहना उचित नहीं मालूम होता। इसलिए उचित नहीं मालूम होता क्योंकि जबतक समाज का ढांचा नहीं बदलेगा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह विश्लेषण करें--आज अगर मान लिया जाय कि कोई क्वालिफिकेशन (योग्यता) है, उस क्वालिफिकेशन में सीट रिजर्व करदी जाय, तमाम जातियों की पापुलेशन के आधार पर तो बहुत सी आज ऐसी जातियां मिलेंगी जिनके अन्दर उस क्वालिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए लोग नहीं मिल पायेंगे। इसलिए समाज में जहां पर मर्ज है, वहां पर एक हथौड़ा मारने की आवश्यकता है। वह मर्ज है श्रीमन्, एकानोमिक इनईक्वैलिटी, आर्थिक विषमता। यदि

[श्री राजनारायण]

यह बनी रहेगी, तो केवल सरकारी नौकरियों के विधान में संशोधन, परिवर्तन, संवर्धन कर देने मात्र ही से काम चलने वाला नहीं है।

श्रीमन्, मैं इस सदन में पहले भी कह चुका हूं कि पिछड़ी जाति के शब्द से ही मुझे नफरत है। मैं नहीं जानता कि क्यों लोग अपने को पिछड़ी जाति का समझते हैं और न मैं चाहता हूं कि कोई भी सम्मानित सदस्य इस सदन कों अपने को पिछड़ी जाति का कहे। मैंने एक बार यहां कहा था कि अगर अपने को पृथक जन के नाम से पुकारें, तो कुछ बुरा नहीं है। क्योंकि यह उपनिषद का शब्द है। पृथक जन श्रीमन्, मैं इस लिए कहता हूं कि क्योंकि समाज में कुछ लोग सुविधा सम्पन्न हैं, जिनसे समाज का एक बहुमत अलग हो गया है, जिनके पास वह सुविधायें नहीं हैं। हमारी तरफ पिछड़ी जातियों में बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनके लोग बड़े बड़े बाबुओं और लालाओं को खरीद सकते हैं और यह कुर्मी जाति के लोग हैं। वह किस जाति के माने जायेंगे, पिछड़े हुए माने जायेंगे या अगड़े हुए माने जायेंगे ? इसलिए श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो मर्ज है उसका निदान किया जाय। हमारे माननीय डाक्टर सीताराम जी हैं। क्या कोई भी ब्राह्मण या कोई भी उच्च जाति का अपने को समझने वाला माननीय डाक्टर सीताराम से ज्यादा श्रद्धा आज के जमाने में पा सकता है ? मैं समझता हूं कि नहीं पा सकता है, क्योंकि वह पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं और बहुत से ब्राह्मण अपनी संस्थाओं का उद्घाटन माननीय डाक्टर सीताराम के कर कमलों द्वारा कराना अपने लिए श्रेयस्कर समझेंगे। इस लिए इन बातों को गहराई से समझना चाहिए और जब गहराई से समझेंगे तब काम बन पायेगा।

एक बात श्रीमन् मैं और कहना चाहता हूं। माननीय पन्त जी यहां पर बैठे हुए हैं। एक नहीं दस बार हमने उनसे निवेदन किया कि माननीय कमला सिंह जी या जिन सज्जन ने यह संकल्प यहां पर उपस्थित किया है, इस संकल्प को उपस्थित करने की परिस्थिति सरकार ने पैदा करायी है। आज ही श्रीमन्, यह चिट्ठी मुझे मिली है। यह बनावटी चिट्ठी नहीं है। कहिये तो मैं इसे आप की सेवा में भेज दूं और माननीय मुख्य मन्त्री जी और माननीय माल मन्त्री जी इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। १३५९ फसली के खाते में एक का नाम दर्ज था। कहीं कैफियत के खाने में भी किसी दूसरे का नाम नहीं लिखा था। वहां कुनबी और कोयरी जाति के लोग रहते हैं और कुछ अहीर रहते हैं। उनके ऊपर एक बलवा चला और उस बलवे में हमें भी रखा गया और हमारे एक साथी हैं, उन्हें भी रखा गया। यह चिट्ठी आयी है कि आप दो आदमी छोड़ दिये गये हैं और जितने किसान हैं उनको ३, ३ महीने की सजा और ६०-६० रुपया जुर्माना हो गया है। यह बनारस जिले के छितौनी गांव का मामला है। इस प्रकार के एक नहीं बहुत से उदाहरण हैं। माननीय पन्त जी चाहें तो अपने किसी निकट के रहने वाले आदमी को भेज करके मालूम कर लें। हर जिले से हमारे पास इसी तरह की शिकायतें आती रहती हैं। आज पुलिस डिपार्टमेंट में क्या है ? जहां का दारोगा ठाकुर है, वहां ठाकुरों से सम्बन्धित जितने झगड़े किसानों के होते हैं, वह सब की लीपा पोती कर देता है और लीपा पोती करके यह चाहता है कि किसी न किसी तरह से ऐसा गड़बड़ हो जाय कि जो उच्च जाति के लोग हैं, जिस जाति का रहने वाला वह खुद है, उनके पक्ष में कोर्ट को प्रभावित करके फैसला करावे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अधिष्ठाता महोदय . . .

श्री राजनारायण—क्या कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर है ?

अधिष्ठाता—ऐसा ही मालूम होता है।

श्री राजनारायण—मालूम होता है, ऐसा स्पेकुलेशन आप कैसे कर लेते हैं ?

अधिष्ठाता--वह कुछ पूछना चाहते हैं।

श्री राजनारायण--मैंने ईल्ड नहीं किया है। मैं बैठा नहीं हूं।

अधिष्ठाता--अच्छा आप बैठ जाइये, मैं पूछ लेता हूं। (श्री शिवनारायण से) क्या कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर है आप का ?

श्री शिवनारायण--जी हां। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पोस्ट कार्ड आपने यहां पर पढ़ दिया, अदालत की तरफ से जो चिट्ठी आप के पास आयी है, क्या वह अदालत का फैसला समाप्त हो गया है ?

अधिष्ठाता--उन्होंने उसे पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा होता तो मैं उनको रोक देता।

गोविन्द वल्लभ पन्त--एक बात मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि शायद अदालत के फैसले के बारे में यहां पर कहना नियमों के अनुसार उचित नहीं है। उन अफसरों पर आक्षेप करना नियमानुकूल नहीं है।

अधिष्ठाता--मैं माननीय राजनारायण जी से निवेदन करूंगा कि जैसा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि जो फैसले हुए हैं, उन पर और अधिकारियों के खिलाफ आक्षेप करना सचमुच नियम के विरुद्ध होता है। जहां तक हो सके उनको इसे एवाइड करना चाहिए।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इतना मेरा समय पांच छः मिनट का निकल गया।

अधिष्ठाता--मैं आपका समय बढ़ा दूंगा।

श्री राजनारायण--मैं इतना ही, श्रीमन्, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको कैसे भान हो गया कि मैं आक्षेप कर रहा हूं ? श्रीमन्, यह चिट्ठी किसी कोर्ट की नहीं है।

अधिष्ठाता--माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह नहीं कहा कि आपने कोई चिट्ठी पढ़ी, इसीलिए मैं ने शिवनारायण जी को टोका कि आपने पोस्टकार्ड नहीं पढ़ा है बल्कि आपने हवाला दिया कि ऐसा हुआ है जिसमें आप इन्वाल्व किये गये। मगर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जैसा कहा, किसी आफिसर के खिलाफ यहां पर आक्षेप करना उचित नहीं है क्योंकि वह यहां पर मौजूद नहीं है और वह डिफेंड नहीं कर सकता है।

श्री राजनारायण--तो श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह निवेदन कर रहा हूं कि मैंने जो यहां पर हवाला दिया वह फैसला हो चुका है २५ तारीख को। वह कोर्ट में पेन्डिंग नहीं है। और मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो भाव व्यक्त किया उस भाव की तो मैं कद्र करता हूं। मगर वह भाव अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी चाहेंगे कि इस सदन में व्यक्त न हो तो जितनी माननीय मुख्य मन्त्री जी दबाने की कोशिश करेंगे, उतने ही इसी प्रकार के संकल्प और इसी प्रकार के संशोधन द्वारा बार-बार भाव व्यक्त होते रहेंगे। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से, मुझे अवसर मिला है कि वह आज यहां पर प्रस्तुत हैं, मुझे आशा है कि वह इन सब बातों का समाधान करेंगे। आज से दो साल पहले हमने एक पत्र उनकी सेवा में प्रेषित किया था और उनसे निवेदन किया था कि इस समय आपके प्रान्त में जिस तरह से शासन व्यवस्था चल रही है और जो लोग निगलेक्ट किये जाते हैं, उनके लिये समुचित व्यवस्था पैदा करना चाहिये और सरकारी नौकरियों में उनको समुचित स्थान दिया जाना चाहिये। मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है और मैं श्री कमला सिंह जी की शिकायत के संबंध में कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में बहुत से ऐसे

[श्री राजनारायण]

ग्रेजुएट्स और एम० ए० मिलते हैं जो दूसरे अन्य लोगों से सुपीरियर क्वालीफिकेशन (विशेष योग्यता) रखते हैं। लेकिन उनको फिर भी स्थान नहीं मिलता है। एक नहीं इसके सैकड़ों सबूत पेश करने के लिये सेवक हाजिर है।

श्रीमन्, जब ऐसी बात होगी तो अच्छे शब्द कह कर और केवल अच्छे-अच्छे भावों को शाब्दिक ढंग पर व्यक्त करने का तो न तो काटजू साहब और न कोई साहब ही इन बातों को रोक सकते हैं समाज आज हमारा बटा हुआ है, टुकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी इस समय यहां पर नहीं हैं। श्रीमन्, आप को स्वतः याद होगा कि जब जनरल इलेक्शन होने वाले थे तो गृह मंत्री जी ने "भाय, भतीजा वाद" वाली नीति के संबंध में एक लेख लिखा था और वह प्रमुख पत्रों में प्रकाशित भी हुआ था उसी तरह कांग्रेस की सरकार "भाय, भतीजा और वाद" वाली नीति पर कायम है। मैं मुक्त कंठ से यह कहने के लिये तैयार हूं कि आज सरकार के हर विभाग में यही "भाय, भतीजा और वाद" वाली नीति चल रही है। इसी नीति के कारण जो लोग वंचित रहेंगे, जो हकदार हैं और जिन्होंने इच्छित क्वालीफिकेशन्स (आवश्यक योग्यता) भी प्राप्त कर ली हैं ऐसे लोग जब सरकारी स्थानों से ठुकराये जाते हैं और देखते हैं जिनके सामने वह परीक्षा में बैठे थे, वह उसी जाति के थे, जिस जाति के लोग उनसे डाह मानते हैं, तो फिर उनमें कौन सी भावना पैदा होगी?

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन को क्रियेट (परिस्थिति को पैदा) नहीं करना चाहिये और इस तरह की प्रांतीयता के बिलगाव की बात नहीं कहना चाहिये। कम से कम ट्रेजरी बैंचेज के लोगों को तो इसका ध्यान रखना चाहिये कम से कम मेरी जहां तक जानकारी है, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने बिलगाव की बात कही है। इसके अतिरिक्त अखबारों में प्रचारार्थ इस चीज को निकालना कम महत्व की बात नहीं है। मुझे मालूम हुआ है कि इसमें कैबिनेट के भी कुछ मंत्रिगण शामिल हैं। जब ऐसी बात है और इस तरह की बातें चल रही हैं तो पर्दा डालने से तो मामला हल होने वाला नहीं है। वह तो एक भट्टी है, जब वह भभकेगी तो पर्दे को भस्मीभूत करती हुई, हम सब लोगों को जला कर खाक कर देगी। इसलिये निवेदन है कि इस वस्तुस्थिति को हर नुक्ते नजर से ध्यान में रखा जाय और एक ऐसी व्यवस्था की जाय, ऐसी परिस्थिति पैदा की जाय जिससे किसी भी सम्प्रदाय के, किसी भी तबके के और किसी भी जाति के लोगों के दिल में डर न रहे कि उनके हकों पर कुठाराघात हो रहा है। अगर यह परिस्थिति कायम रहेगी तो इस तरह की बातें होती रहेंगी और इस तरह के प्रस्ताव भी आते रहेंगे।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर जो हमने अपना मत व्यक्त किया है वह किसी खास पार्टी के दृष्टिकोण से ही नहीं किया है। हमने तो सामाजिक विश्लेषण किया है। उसको हम समझते हैं कि आज समाज के अन्दर जो बौद्धिक तबके के लोग हैं, उनको इस संबंध में एक मत हो कर चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो जो परिस्थिति पैदा होगी उसके जिम्मेदार वही हैं न कि वह लोग जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जिनकी तमाम सुविधायें इस सरकार की नीति के कारण छीनी हुई है।

*श्री शिवराज सिंह यादव—श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, आज सेशन की बैठक के सुबह के काल में जिस प्रकार से इस प्रस्ताव को शंड आफ किया गया उससे हमें भारी खेद हुआ। उसके बाद, मुझे उन सदस्यों के भाषण सुनने के बाद ताज्जुब हो रहा है जो इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। जब हम इस विधान सभा के सदस्य चुन कर आये, सब से पहले हमने इस संविधान में श्रद्धा और निष्ठ करने की कसम खायी और यह प्रस्ताव, जैसा कि श्री वीरेन्द्र पति जी ने प्रस्तुत किया है और श्री कमला सिंह जी ने अमेंड किया है वह हूबहू बिल्कुल आर्टीकल १६ के सब-क्लाज ४ का रूप है। उसमें कहा गया है कि कोई भी सरकार अगर यह समझे कि इस प्रान्त में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बसने वाली बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज में नहीं है तो उसको चाहिये कि उन सर्विसेज रिजर्वेशन कर दे सीट्स का। यह इसमें दिया गया है और मैं इसको हूबहू पढ़ कर सुना देता हूं।

"Nothing in this article shall prevent.....

अधिष्ठाता—आप कहां से पढ़ रहे हैं?

श्री शिवराज सिंह यादव—यह ओरीजिनल कांस्टीट्यूशन है। कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया, पेज सेविन, आर्टिकिल १६, सब-क्लाज (४)।

(इस समय ४ बज कर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

[इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुये किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।]

तो यह अडीक्वेट रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। मेरे ख्याल से जो अडिक्वेसी का सवाल है वह उस प्रान्त के बसने वालों के कंधे के ऊपर है। यहां के जितने साथियों ने इसका विरोध किया, उन्होंने बैकवर्ड क्लासेज का लफ्ज आने पर बड़ा विरोध किया। संविधान के अन्दर इसी धारा में नहीं, बल्कि अन्त में भी बैकवर्ड का लफ्ज आया है और उसके अन्दर प्रेसीडेंट इंडियन यूनियन के लिये भी यह अधिकार दिया गया है कि यह एक स्पेशल अफसर अप्वाइंट करे, जो शेडयूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेज के ऊपर रिपोर्ट दे। चुनांचे हमारी प्रदेशीय सरकार ने तो इस ओर एक उदासीनता बरती, लेकिन प्रेसीडेंट ने इस काम के लिये एक स्पेशल आफिसर नियुक्त किया और उन्होंने हमारी प्रदेशीय सरकार से बैकवर्ड क्लासेज की एक सूची मांगी। तो चाहे यहां के स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेन्ट की कमजोरी के कारण से या और किसी कारण से जो सूची गयी है वह सेंसस के आधार पर गयी है। मैं समझता हूं कि प्रदेशीय सरकार का यह मत है कि अब तक जो हमारे समाज का ढांचा रहा है वह इस तरह का है कि जो जातियां उन्होंने दी हैं वे पिछड़ी हुई हैं। उसके आधार पर अगर सन् ३१ की यहां की आबादी को देखें तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ५१ प्रतिशत लोग बैकवर्ड क्लासेज से आते हैं। यह प्रस्ताव ५१ प्रतिशत लोगों से संबंधित है, इसलिये इसका बहुत बड़ा महत्व है।

डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिये बहुत से खतरे हैं। वह सब से बड़ा खतरा जो डेमोक्रेसी के विद्वानों ने कहा है वह वर्गों में आर्थिक और उनके सामाजिक स्तर में अन्तर का होना है। जिस तरह से एक गर्म मुल्क में ठंडे मुल्क की हवायें तेजी से दौड़ती हैं, इसी तरह से पिछड़े हुये वर्ग से अपने उत्थान के लिये तहरीकें चला करती हैं। अगर एक डेमोक्रेटिक रेजीम है, अगर उसमें जो सिटीजंस हैं उनमें सामाजिक अन्तर रहते हैं और उनको समान नहीं किया जाता तो वहां की डेमोक्रेसी कमजोर रहती है। इसी उद्देश्य को देखते हुये कास्टीट्यूएंट असेम्बली ने जब संविधान बनाया तो जहां फंडामेंटल राइट्स की बात आई तो वहां उन्होंने ईक्वलिटी आफ अपोर्चुनिटीज इन मैटर्स आफ एम्पलायमेंट (नौकरी के मामलों में अवसरों की समानता) इसको रखना आवश्यक समझा, कि जहां समान अधिकार दिया जाय वहां यह भी दिया जाय कि उसके लिये सब को समान अवसर का अधिकार प्राप्त हो। जिनको समान अवसर नहीं है उनके लिये कुछ सुविधायें दी जायं और इसी आधार पर शेड्यूल्ड कास्ट के लिये कुछ रिजर्वेशन रखा गया।

[श्री शिवराज सिंह यादव]

अब प्रश्न यह उठता है कि कांस्टीट्यूशन के अन्दर बैकवर्ड क्लास के लिये रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं रखा गया जब शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये रखा गया है ? शेड्यूल्ड कास्ट के लोग सारे हिन्दुस्तान के अन्दर एक यूनिफार्म तरीक़े से आबाद हैं, हर स्टेट में पाये जाते हैं, लेकिन बैकवर्ड क्लास की आबादी को देखें तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वह किसी स्टेट में हैं किसी में नहीं हैं, इसीलिये कांस्टीचुएंट असेम्बली ने जब यह विधान बनाया तो यह धारा रख दी कि जिस स्टेट के अन्दर बैकवर्ड क्लास के लोग मौजूद हों वहां की सरकार अगर देखे और उचित समझे तो वह उनके लिये रिजर्वेशन कर दे। यह इस धारा के रखने की मंशा है। इसलिये जिन साहबान ने यह कहा है कि यह बैकवर्ड क्लास एक नयी चीज रख दी है, ऐसी बात नहीं है। यह आर्टिकिल १६ (४) का हुबहू अनुवाद है। इतना कह कर के मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---मैं इस प्रस्ताव की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है वह तो हमारे संविधान की आर्टिकिल १६ (४) के अनुसार आ ही जाता है, लेकिन जहां हमारे दूसरे सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं समझता हूं कि ये विचार उन्हीं बातों के द्योतक हैं जिनको लेकर के आज ही नहीं हमेशा से पिछड़ी और दूसरी पददलित जातियों के साथ अन्याय होता रहा है और उनके योग्य होते हुये भी दबाने की हमेशा चेष्टा की जाती है। तो ऐसी अवस्था में उन विचारों से मैं सहमति प्रकट करूं कि मुश्किल बात है। ऐसी हालत में यह कहा गया कि हमारा सारा देश पिछड़ा हुआ है। यह ठीक है कि आधुनिक दुनिया के और सब देशों के मुकाबिले में हिन्दुस्तान पिछड़ा हुआ कहा जाता है, लेकिन अगर यही बात पंडित जवाहर लाल नेहरू से पूछी जाय तो वह कभी भी इस बात को कबूल करने के लिये तैयार नहीं होंगे। ऐसी मुझे आशा है। जब हिन्दुस्तान के पिछड़े होने की बात कही जाती है तब वह अपने यहां के अन्दरूनी मामले को नहीं देखते और यह जो छोटे बड़े, ऊंच-नीच के भाव हैं उनको दूर करने की चेष्टा नहीं करते। हम यहां पर अपने विचार व्यक्त करें और उन विचारों को जो उनके अनुकूल न हों उनकी भरसक भर्त्सना कर डालें, यह अनुचित है। हमने यह देखा कि जब तक यहां पर यह जातिवाद है, वर्गवाद है, यह खत्म नहीं होता तब तक अधिकार की बात भी, सत्ता की बात भी, अपने मरण जीवन की बात भी सभी लोग करेंगे। यह जरूरी है कि हर आदमी यहां पर उन्नति करे और जब तक कि हम एक वेलफेयर स्टेट की नींव रखने की और उसको पूरा कर डालने की बात करते हैं तो ऐसी अवस्था में तो यह कह देना कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसके लिये ऐसी बातें उठाना न्याय संगत नहीं है, अनुचित ही है। माननीय जगजीवन राम जो जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं और केंद्रीय सरकार के मंत्री भी हैं, उन्होंने पिछले दिनों अखिल भारतीय परिगणित जातीय-विधि-निर्माता तथा कार्य कर्ता कन्वेंशन में जो शब्द व्यक्त किये थे उन्हें मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा था कि---

"सरकारी नौकरी अधिकार एवं सत्ता के सिवाय समाज में किसी अंश तक प्रतिष्ठा भी प्रदान करती है और परिगणित जातियों को प्रतिष्ठा और सम्मान देने का एक मार्ग है कि उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाय। इसके सिवाय वे गरीबों की समस्याओं पर सहानुभूति और विवेक से काम लेंगे। शोषित और दलित वर्ग से संबंधित लोगों की समस्याओं पर सामाजिक न्याय की दृष्टि से विचार करना आवश्यक है। एक व्यक्ति जो स्वयं शोषित वर्ग का है, श्रमिक वर्ग का है, उसको उन वर्गों और उनकी कठिनाइयों का ज्ञान होता है और उनके प्रति सच्ची सहानुभूति होती है।"

वह आगे कहते हैं---"वेलफेयर स्टेट की स्थापना के निश्चित लक्ष्य की पूर्ति के लिये, जिसमें राज्य के सब कामों का आधार सामाजिक न्याय होगा, वह आवश्यक है कि जिनको सामाजिक न्याय का कार्य सौंपा जाय उनमें मजदूर वर्ग के प्रति सच्ची सहानुभूति हो, और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनमें सामाजिक परिवर्तन के लिये मिशनरी उत्साह हो, जिससे कि सब प्रकार के शोषण और विद्रोहों का अन्त हो और सामाजिक न्याय को निश्चित रूप से प्रतिष्ठित किया जा सके।"

तो ऐसी अवस्था में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सच्चे मानी में वेलफेयर स्टेट कायम करना चाहते हैं तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है और यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो यह स्वाभाविक है कि कुछ वर्गों के साथ हमेशा अन्याय होता रहेगा। जैसा हम रोजाना देखते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व है ही नहीं। मैंने यह देखा है कि उनके कालेजेज भी हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हैं। लेकिन जहां तक हरिजनों का या शेड्यूल्ड कास्ट का संबंध है उनके कालेज या और दूसरी तरह की संस्थाएं नहीं हैं। यह तो मैं जानता हूं कि पिछड़ा वर्ग हरिजनों से आर्थिक और सामाजिक मामलों में उन्नतिशील है। हरिजन वर्ग उनसे काफी नीचे दबा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों में भी आर्थिक मामलों में और शिक्षा में भी कुछ जातियां बहुत नीची हैं। उनको शिक्षा के मामले में बराबर सुविधा नहीं दी जाती है। मैंने यह देखा कि जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है छात्रवृत्ति उनको दी जाती है। इसी प्रकार कुछ छात्रवृत्ति केंद्रीय सरकार भी देती है। पिछले साल ६० लाख रुपया पिछड़ी जातियों, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दिया गया था। वह सारे देश में बांटा गया। जितनी संख्या जिस प्रान्त में उनकी थी उसके आधार पर। लेकिन मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ १२२ हजार बैकवर्ड जातियों को दिया गया, क्योंकि यहां की संख्या ४१ १/२ लाख से अधिक नहीं बतायी गई एजूकेशन मिनिस्ट्री को। ऐसी हालत में हमारे आंकड़ों की बात या फैक्ट्स की बात है। अगर इस तरह से आप हम लोगों को पैसा न दें, तो अगर केंद्रीय सरकार से भी उनकी आबादी के अनुपात से उनको अधिक छात्रवृत्ति मिल जाती और १८ सौ में साढ़े छ सौ स्कालरशिप बैकवर्ड क्लास को मिल जाते जिससे बहुत बैक वर्ड जाति के विद्यार्थी पढ़ते, तो इस तरीके से जो साफ नीति है उसको अख्तयार किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आंकड़ों के सम्बन्ध में बहुत सारी ऐसी ग़लतफहमियां पैदा हो जाती हैं। जो शेड्यूल्ड क्लास का कोटा होता है, उसी में से बैकवर्ड क्लास को रख दिया जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा भी जो चुनाव होते हैं उनमें भी इस तरह से उन लोगों को शेड्यूल्ड क्लास की सीट पर रख दिया जाता है। गलतफहमी है या क्या है? लेकिन वह वर्ग विशेष की बात है। बैकवर्ड जातियों को आगे बढ़ाने का जहां तक सवाल है उनकी समझ में ही नहीं आता, बल्कि शायद वह समझते हैं कि वह एक वर्ग विशेष का राज्य स्थापित कर डालेंगे। ऐसी हालत में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट्स के अधिकारों को सुरक्षित रखना है, जिससे उनके अधिकारों पर कुठाराघात न हो सके। इस लिये सवाल यह है कि उनका खयाल किया जाय और एक अच्छी तादाद में सरकारी नौकरियों में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाय।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री बलदेव सिंह यादव साहब ने रक्खा है मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुझे इसका विरोध करना पड़ रहा है। प्रस्ताव में कोई बात उचित रूप से नहीं कही गई। प्रस्ताव में कहा गया है "संविधान और सरकार की नीति पिछड़े वर्ग के पक्ष में होते हुये भी इस वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में अभी तक न होने के तुल्य है।" जहां तक वर्ग के प्रतिनिधित्व का संबंध है इसमें कहीं यह बात नहीं बतलाई गई है कि हमारे प्रान्त के अन्दर कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं और उनका अनुपात क्या नौकरियों में है और कितना अनुपात होना चाहिये था। यह बात प्रस्ताव में साफ कर दी जाती है और यह रूपरेखा हमारे सामने आ जाती है तो फिर हम उस पर अच्छी तरह से बहस कर सकते कि वास्तव में देश की आज की स्थिति में पिछड़े वर्ग के लोग हैं भी या नहीं। जिस उद्देश्य को लेकर प्रस्ताव लाया गया है उसकी बुनियाद ही नीचे से निकली हुई है। इस वास्ते मैं उस पर ज्यादा बहस करना उचित नहीं समझता। लेकिन जहां तक भावनाओं का संबंध है मैं उस प्रस्ताव की भावना को लेकर उसका विरोध करता

[श्री शिवकुमार शर्मा]

हूं। उसका कारण यह है कि प्रस्ताव को रखते वक्त शायद मेरे मित्रों ने राष्ट्र के वर्तमान स्वरूप को नहीं देखा। काश्त के वर्तमान स्वरूप को देखते तो वे देखते कि हमारा तमाम राष्ट्र पिछड़ा वर्ग है। इसके अन्दर कौन ऐसे लोग हैं जिनको वे कह सकते हैं कि ये प्रगतिशील वर्ग के हैं और ये पिछड़े हुये वर्ग के हैं। काश वह इस बात के बीच में लाइन खींचते उन्नति, प्रगति और पिछड़ेपन के बीच में, तो हम यह समझ पाते कि ये उन्नति वर्ग के लोग हैं और ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तब हमें राष्ट्र के स्वरूप को अध्ययन करने में सुविधा होती। संभव है कि प्रस्तावकर्ता मित्र यह ख्याल करते हों कि ब्राह्मण वर्ग बहुत ऊंचा वर्ग है। क्षत्री बहुत आगे बढ़े हुये हैं और इसी प्रकार से वैश्य बहुत आगे बढ़े हुये हैं, लेकिन काश उन्होंने राष्ट्र के वर्तमान स्वरूप को नहीं देखा कि ब्राह्मण थाली मांजते फिरते हैं। जो कायस्थ हैं वे जूता साफ करते फिरते हैं और इसी प्रकार क्षत्री लोग दरबानों की नौकरियों के लिये दर-दर ठोकर खाते फिरते हैं। यह कोई अपवादस्वरूप बात मैं नहीं कहता लेकिन स्थिति ऐसी है। और इसको कोई भी शख्स नजरन्दाज नहीं कर सकता। आप यह भी प्रगति के मानी लगा सकते हैं कि जिसके पास रुपया पैसा ज्यादा हो वही प्रगतिशील और पिछड़ा वर्ग उसे कहते हों जिसके पास चांदी के कुछ सिक्के कम हों। यह बात समझ में आ सकती है। लेकिन क्रांति के वर्तमान युग में जिसमें हम गुजर रहे हैं शायद उन्होंने आंखों से देखा हो कि अट्टालिकाओं और महलों में रहने वाले जिनके दरवाजे मोटरें खड़ी रहती थीं आज वे अपने मकानों की सफेदी तक नहीं करवा सकते और मेरा ख्याल है कि आधी शताब्दी नहीं गुजरेगी कि वे इस पिछड़े वर्ग में से हो जायंगे और वे भी इसी तरह से चिल्लायेंगे जिस तरह से कि आज पिछड़े वर्ग वाले चिल्ला रहे हैं। जिस क्रांति की बात कांग्रेस चिल्ला रही थी आज हम उसी चीज को देख रहे हैं कि बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं और महलों में रहने वाले गिरते जा रहे हैं और पिछड़ी जाति के कहलाने वाले ऊपर उठते जा रहे हैं। यह बात दूसरी है कि वह यह देखते हों कि कुछ केपिटलिस्ट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स तिजोरियों में आज भी रुपया रखते हों लेकिन अगर वह जरा गम्भीरता से सोचें तो उनको मालूम होगा कि जितना रुपया वह कमाते हैं उसमें एक रुपये में १४ आने व इनकमटैक्स और सरचार्ज के रूप में दे देते हैं जिनको कि सरकार बैकवर्ड क्लासेस की प्रगति और उनको ऊंचा उठाने के लिये उनसे ले लेती है। और वह सारी पिछड़ी हुई जातियों के लिये हिन्दुस्तान में लगाया जा रहा है। हमारे मित्रों को इस राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इसको देखना चाहिये लेकिन वह अपने सामने इस दृष्टिकोण को नहीं रख रहे हैं और इस दृष्टिकोण को नहीं अपना रहे हैं।

आप एक बात और देखेंगे कि बहुत से मित्र जो पिछड़े वर्ग की बात करते हैं उनमें बहुत से एम० एल० ए० हैं, बहुत से डाक्टर हैं और पिछड़े समाज के बहुत से लोग ऊंची नौकरियों में हैं, पिछड़े समाज के लोग यहां पर मंत्रिमंडल में शामिल हैं, पिछड़े वर्ग के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में भी शामिल ह लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग का चुनाव नौकरियों के लिये अलग होना चाहिये और उनको काफी स्थान मिलने चाहिये। आप इस पर गौर करें कि यह नारा आपका कहां तक ठीक है? और यह नारा हमको कहां तक आगे ले जाता है और हम आज किस समय से गुजर रहे हैं? क्या आप इस बात के देखने से इन्कार करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पिछड़े समाज के लोग वहां पर मंत्रिमंडल में नहीं हैं। वह वहां पर मंत्रिमंडल में मौजूद हैं? तो फिर इस प्रकार का नारा लगाकर क्या प्रपोर्शन की बात रखना मेरे ख्याल से खतरे से खेलना नहीं है? क्या हक़ीकत को देखकर हक़ीकत का नजरन्दाज करना नहीं है? मैं यह देखता हूं कि संसार में जो लोग साहस के साथ आगे बढ़े हैं प्रगति उनके साथ रही है। "उठाले हाथ में बढ़कर पैमाना उसका है" दुनिया के अन्दर प्रगति उन्हीं लोगों ने हासिल की है जिन्होंने आगे बढ़कर खतरे को काबू में किया है। जो लोग प्रगति को मांगते फिरते हैं उनको प्रगति मिला ही नहीं करती है। जो क्रांति का सामना करके आगे बढ़ते हैं उनको ही प्रगति मिलती है चाहे वह ब्राह्मण हों और चाहे वह वैश्य हों? कोई भी लोग हों और किसी भी जाति के हों। जब तक वह संघर्ष

करते रहेंगे तब तक उनको प्रगति प्राप्त होगी और वे प्रगति के क्षेत्र में आगे रहेंगे। इस प्रकार भीख मांगने से जिस प्रकार के हमारे पिछड़े वर्ग के कुछ भाई कुछ प्रस्तावों के जरिये इस प्रकार से भीख मांगने की कोशिश करते हैं इस प्रकार से प्रगति नहीं प्राप्त हुआ करती है। अगर इस प्रकार से कुछ सीटें आपको मिल भी जांय तो भी आप हमेशा पीछे ही रहेंगे। जब तक आप इस प्रकार से मांगते रहेंगे तब तक आप पिछड़े ही रहेंगे।

हमारा संविधान स्पष्ट कहता है और उसमें ३ मौलिक सिद्धांत बतला दिये गये हैं और वह सिद्धांत आपके सामने रखे हुये हैं। आप उनके ऊपर चलकर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। समान अधिकार पाकर सब जातियां राष्ट्र के अन्दर आगे बढ़ सकती हैं। इनमें एक तो समानता है। समान अधिकार पाकर सबको अवसर मिलता है कि वह किसी प्रकार से पीछे न रहे। यह अधिकार हरएक के लिए दिया हुआ है। दूसरा भ्रातृत्व का व्यवहार है जो किसी के लिए भी किसी प्रकार पक्षपात का आश्रय नहीं देता है। और फिर लिबर्टी है। हरएक को आगे बढ़ने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। अगर वह आगे बढ़ना चाहता है तो वह आगे बढ़ सकता है। यह तीन प्रकार की गारन्टी हमारे संविधान ने इस देश में हरएक रहने वाले को दी है। आपको जब यह अधिकार प्राप्त है तो फिर यह अधिकार आपका सुरक्षित है फिर आप जो यह मांगते जा रहे हैं कि कुछ प्रोपोर्शन से सीट आपको दी जांय ? मैं यह समझता हूं कि हमारी पार्टी का, हमारे साथियों का और जो विधान सभा के सदस्य हैं उन सब की भावना के यह प्रतिकूल है। यह इस प्रकार की मांग संविधान की भावना और हमारी पालिसी और नीति और स्प्रिट के प्रतिकूल है। मेरा यह ख्याल है कि इस प्रकार की मांग करना हमारे देश राष्ट्र के लिये घातक है और यह आपकी नीति बटवारे की नीति है और विच्छेद की नीति है। आज जो हरिजनों के लिये सीट रिजर्व हुयी है उस नीति को मानकर ही हमने उनकी सीट को रिजर्व किया है, किन्तु मूलतः मैं इस सिद्धांत को गलत मानता हूं कि हरिजनों के लिये सीट रिजर्व की जाय। क्या हरिजनों की अगर कुछ यह उन्नति हुयी है वह ऊंचे हिन्दुओं की कुरबानी के आधार पर नहीं हुयी है या एक दूसरे के सहयोग से नहीं हुयी है ? जो भी आज हरिजनों का उत्थान हुआ है वह एक आपस के सहयोग और प्रेम के आधार पर हुआ है। किसी पर भी इस बात का अच्छा असर नहीं पड़ सकता कि यदि हरिजनों के लिये सीट रिजर्व हों तभी उनको आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। मैं इस चीज से इन्कार करता हूं। मैं अपने मित्र से कहूंगा कि यदि वह अपने को और अपने वर्ग को प्रगति की तरफ ले जाना चाहते हैं तो इस विच्छेद की नीति को और इस सेपरेशन की नीति को छोड़ दें तब ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हममें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस वास्तविकता से इन्कार करता हो।

आज ब्राह्मणों की क्या दशा है। वह भी आज एक-एक रोटी के लिये मुहताज हैं। ब्राह्मण भी आज होटलों में रोटी बनाने का काम करते फिरते रहते हैं। आज उनके पास मकान नहीं है और खाने के लिये रोटी नहीं है। वह मजदूरी भी जाकर करते हैं और गांवों में मजदूरी के लिये फिरते रहते हैं। मैं यह समझता हूं कि वह ब्राह्मण जो यहां पर हरिजन एम०एल०ए० हैं उनसे बहुत गिरा हुआ है। वह ब्राह्मण निहायत पिछड़ा हुआ है, लेकिन आप ऐसे लोगों के लिये क्यों नहीं कहते ? मैं पूछना चाहता हूं कि एक एम०एल०ए०जो अपने को हरिजन कहता है और एक ब्राह्मण जो सिर पर पाखाने की टोकरी ढोता है, उनमें पिछड़ा हुआ कौन है ? अगर वह ब्राह्मण पिछड़ा हुआ है तो आप उसका नारा क्यों नहीं लगाते। क्या इस प्रकार के नारों से देश की राष्ट्रीयता कायम रह सकती है ? क्षत्रिय वर्ग ने जो अत्याचार किये उसका बदला उनको मिल गया लेकिन आज उनकी जो हालत है वह क्या किसी से छिपी हुयी है ? वे दरबानों का काम करते फिरते हैं। अब आप उनको पिछड़े हुये कहेंगे या उन एम०एल०ए० को जो यहां आराम से रहते हैं ? जो नौकर हैं जो अधिकारों का भोग भोग रहे हैं, उनको कभी भी पिछड़ा हुआ नहीं कहा जा सकता। पिछड़े वर्ग के लोग डाक्टर हैं जिनकी ५-७ सौ या एक हजार रुपया आमदनी है, जो बुद्धिवादी

[श्री शिवकुमार शर्मा]

हैं, जो इस प्रकार से रुपया कमाते हैं उनको पिछड़ा हुआ कहा जायगा या जो क्षत्रिय दरबानी करता है या जो ब्राह्मण थाली लोटा मांजता-फिरता है, पानी भरता है, वह पिछड़ा हुआ है ? हमें अपनी राष्ट्रीयता के नाते सोचना चाहिये और इस प्रकार की बातों को सदैव के लिये बन्द कर देना चाहिये । कांग्रेस की पार्टी एक उद्देश्य को लेकर खड़ी हुयी थी, एक उद्देश्य को लेकर निकली थी । लेकिन इस प्रकार की भटकी-भटकी बातें सुनकर मेरी समझ में नहीं आता कि लोग कहां जा रहे हैं ।

दूसरी बात यह है कि इन तमाम चीजों को लेकर लोग विधान की बातें करते हैं, ठीक है । विधान के आर्टिकल १६ में वास्तव में यह दिया हुआ है और इसीलिए दिया हुआ है कि देश के कर्णधारों ने यह बात मान ली थी कि हमारे देश का एक वर्ग पिछड़ा हुआ है, लेकिन वह इसलिए पिछड़ा हुआ नहीं है कि उसका शरीर अपंगु है, उसका शरीर टूटा हुआ है । परन्तु उसकी बैंक्रप्ट्सी इस दर्जे की हो गयी है कि उसको हाथ पकड़ कर उठाना होगा नहीं तो उसका सदियों तक उद्धार नहीं हो सकता और इसलिए उन्होंने, जितने भी पिछड़े हुए हैं, उनको सहारा देकर ऊपर उठाने की बात कही । बटवारे की बात कभी नहीं की । यदि आज राष्ट्र के लोग अपने-अपने क्षेत्र में उचित स्थान ग्रहण करके राष्ट्र को सहारा नहीं देते हैं तो वे देश के प्रति अपने कर्त्तव्य को करने से च्युत होते हैं, अपने नेतृत्व के कर्त्तव्य से च्युत होते हैं, अपने सामाजिक और राष्ट्रीय कर्त्तव्य से च्युत होते हैं । आवश्यक है कि हमारे समाज में जो भी वर्ग गिरा हुआ है, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से गिरा हुआ है, उसको ऊपर उठने में सहायता करें । आप देखेंगे कि कर्णधारों ने जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, इस विषैले रोग को पहचान लिया था । वे यह जानते थे कि राज्य में ऐसे लोग मौजूद हैं लेकिन उन्होंने कभी भी प्रपोर्शन का नारा नहीं लगाया और न लगाना ही चाहिये । हममें तो एक बात होनी चाहिये जैसा कि वेद में कहा है —

"संगच्छध्वं, संवदध्वं, संवोमनांसिजानताम् ।"

इस प्रकार से हम सब को मिल कर आगे बढ़ना चाहिये, मिल कर काम करना चाहिये । न कि यह कि इस जाति के लोग पिछड़े हुए हैं, या उस जाति के लोग पिछड़े हुए हैं । मैं नहीं समझ सका कि ऐसा नारा लगाने वाले बुद्धिजीवी लोग पिछड़े हुए हैं, या कि वह ब्राह्मण पिछड़ा हुआ है जो अपने सिर पर पाखाना उठाता है, बरतन मांजता है । क्या वह ब्राह्मण पिछड़े हुए वर्ग की डेफनीशन में नहीं आ सकता ? हमारे सामने तो एक ही दृष्टिकोण होना चाहिये कि हम सब मिलकर कदम उठावें, सब को मिलकर रहना चाहिये और जो कुछ कहें उस पर अमल करना चाहिये । तभी हम अपने देश का सच्चा नेतृत्व कर सकते हैं ।

श्री वंशीदास धनगर (जिला मैनपुरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो मूल प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये और उसमें कुछ संशोधन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मेरा संशोधन इस प्रकार से है कि जो मूल प्रस्ताव है.....।

श्री अध्यक्ष—माननीय कमला सिंह जी ने जो संशोधन दिया है उसमें और आप के बीच में अन्तर क्या है ? यह आप बतायें । इस तरह से मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री वंशीदास धनगर—मेरा अन्तर केवल इतना है कि उनका कहना है कि समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—श्री कमला सिंह के संशोधन में 'समुचित' शब्द नहीं है । उनका संशोधन यह है कि "जन गणना के अनुसार सीट सुरक्षित कर दी जांय ।"

श्री वंशीदास धनगर—अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब यह है कि जातिगत हिसाब से इस सरकार ने सन् ३१ के बाद कोई जनगणना नहीं की है और इसी लिए मुझे यहां पर

यह चीज दिखलानी है कि सन् ३१ की ही ऐसी आबादी है कि जिसमें पिछड़ी जाति में से हर एक जाति की आबादी निर्धारित की गयी है।

श्री अध्यक्ष—तो आप श्री कमला सिंह के संशोधन में इतने ही अंश को संक्षेप में पेश करें।

श्री वंशीदास धनगर—मेरा कहना यह है कि श्रीमन्, सन् १९३१ की जनगणना में यह दिखलाया गया है कि पिछड़ी जातियों की तादाद इतनी है, ऊंची जातियों की तादाद इतनी है, अछूत जातियों की तादाद इतनी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उसी हिसाब से उसमें पिछड़ी जातियों की तादाद ५१ फीसदी निर्धारित की गयी है और उसमें अछूत जातियों की तादाद २० फीसदी निर्धारित की गयी है.....

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि क्या कोई सम्मानित सदस्य इस सदन में "अछूत" शब्द का प्रयोग किसी वर्ग के लिए कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने ऐसा किसी के अपमान के लिये नहीं कहा है। उनका मतलब परिगणित जातियों से है। आगे माननीय सदस्य "परिगणित जाति" ही प्रयोग करें।

श्री वंशीदास धनगर—मैं परिगणित या हरिजन भी इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन जब मैं सन् ३१ का हवाला दे रहा हूं तो उस समय "अछूत" ही कहा गया था और पिछड़ी जाति और ऊंची जाति भी कहा गया है। इसलिए मैं उस समय के विषयानुकूल कह रहा था। इसमें कोई विरोध की बात नहीं है।

श्री ब्रह्मनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि "अछूत" शब्द कहना संविधान का अपमान करना है। इसलिये इस पर व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—व्यवस्था तो हो गयी कि अगर वह "अछूत" शब्द इस लिये इस्तेमाल करते हैं कि सन् ३१ में जो गणना हुयी है उसका हवाला उन्हें देना है तो प्रयोग कर सकते हैं, हवाला दे सकते हैं, लेकिन आज किसी को अछूत नहीं कह सकते।

श्री वंशीदास धनगर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस तरह से जो मेरा व्यर्थ समय बरबाद हो रहा है उसको अवश्य ध्यान में रखा जाय। सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय देवदत्त जी, नवलकिशोर जी, शिवनाथ काटजू जी और शिवकुमार शर्मा जी के जो भाषण इस विषय में हुए उनमें मैं एक ही भावना का अध्ययन करता हूं कि पिछड़ी जातियों में पिछले समय में ब्राह्मण और क्षत्रिय बनने की भावना रही है ऐसे सामाजिक स्तर से उन जातियों की कोई भी चीज किसी प्रकार से भी विचारणीय नहीं है, केवल आर्थिक दृष्टि से इस बात पर विचार करना चाहिये और उस दृष्टिकोण से विचार करते हुए उन्होंने यह दलील दी है कि पिछड़ी जातियां ब्राह्मणों में भी हैं, क्षत्रियों में भी हैं। इसके सम्बन्ध में मैं केवल एक बात कहना [redacted] हूं कि भाई इस भौतिकवादी संसार में सबसे बड़ी चीज हो ही रही है। एक रोजी का प्रश्न और दूसरा इज्जत का प्रश्न। चूंकि हिन्दुस्तान में वर्णवाद था, जातिवाद था, इसलिये जितनी इज्जत मिलती थी और जितने रोटी के साधन थे वे सब ब्राह्मणों के लिए सब तरह से सुरक्षित थे और ब्राह्मणों को ही सुरक्षित नहीं हुए उसमें से और लोगो को हिस्सा भी मिला, जैसे कोई डाकू लूट के माल में शामिल होने के लिए जो डाकुओं का सरदार होता है वह कुछ और लोगों को बटवा देता था, उसका हिस्सा क्षत्रियों को भी बंटा हुआ था। इसलिए इस भावना से रोटी की प्राप्ति के लिए और इज्जत के कामों के लिये इसी हिसाब से जो स्तर थे समाज में वह स्वीकृत होता था और इसीलिए इन जातियों में यह प्राकृतिक भावना थी कि हम जनेऊ पहनें और लुक

श्री बंशीदास धनगर]

छिप कर किसी तरह से हम सब कुछ अपना बनाने की कोशिश करें। आज कहा यह जाता है कि कुछ जातियों ने अपने को बदल लिया है, लेकिन थोड़ी देर के लिये अगर किसी आदमी ने ऐसा किया है तो क्या होता है? एक आदमी जो गड़रिया है समाज में आज दुनियां उसको जवनती है चूंकि वह भेड़ों को पालता है, इसलिए चाहे वह पाल क्षत्रिय भी कह ले, लेकिन वह गड़रिया है। पालने का उसका पेशा है इसलिए समाज की डर से ब्राह्मणों और क्षत्रियों से बचने के लिये कहीं समाज में उसकी बेइज्जती न हो जाय और रोजी का प्रश्न भी झगड़े में न पड़ जाय उससे बचने के लिये किसी ने पाल किसी ने यादव किसी ने कुछ कर लिया है। लेकिन इन तमाम चीजों से जो आर्थिक प्रश्न है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस हिसाब से यह दलील लाना कि उनका प्रश्न इतना विचारणीय नहीं है और उनके मुकाबिले में और लोगों को जो कि समाज में जिस वक्त इन चीजों की स्वीकृति थी और आज भी स्वीकृत उठे हुये थे, उनको देखा जाय। हमारे संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि जातिवाद को खत्म करो। संविधान में जहां पर है वहां पर यही है कि छूतछात को खत्म करो। संविधान के जितने बनाने वाले लोग थे वे तो असली मूल चीज को छोड़ गये। असली झगड़े की जड़ है जातिवाद। उसको खत्म करने की बात नहीं उठायी गयी। छूत छात तो बौद्ध धर्म ने खत्म कर दिया था, लेकिन फिर बौद्ध धर्म के पांच सौ वर्ष बाद उसके प्रचार के बाद भी जातियां हुयीं, फिर वही छूतछात शुरू हुयी तो सब फिर १० वर्ष या ५० वर्ष के बाद फिर वही ब्राह्मण वाद जागेगा, वही क्षत्रियवाद जागेगा, वही वैश्यवाद उठेगा और फिर जाति-वाद और फिर गोत्र वाद और फिर भाई भतीजेवाद और दुनिया भर का लवाजमा आयेगा।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन सब झगड़ों की नानी असल तो जातिवाद है। वह खत्म की जानी चाहिये थी कि अब हिन्दुस्तान में कोई जाति नहीं रही। अगर ब्राह्मण कहता है तो उसको जेल में रख दिया जायगा, या भंगी अगर अपने को भंगी कहता है तो वह जेल में रख दिया जायगा, संविधान में यह बात होनी चाहिये थी। तो सारा प्रश्न अपने आप हल हो जाता चाहे कोई समाज हो, कोई ब्राह्मण हो लेकिन ये सब चीजें यहां तक तो ठीक है, विधान सभा में गवर्नर साहब की दावतों तक में तो सब बातें ठीक। ये सब बातें लखनऊ के लिये ठीक हैं, लेकिन गांवों के लिये जब वहां कोई माननीय एम०एल०ए० जाते हैं तो वह चौके में बैठते हैं। यहां तो ठीक है कि वह मेहतरो का परसा खाते हैं, लेकिन जब देहात में जाते हैं तब वहां क्या करते हैं, मौलिक प्रश्न तो यह है। इसलिये माननीय नवलकिशोर जी के यह शब्द कि सारा हिन्दुस्तान ही पिछड़ा है, सारे देश में यह विवेक करना कि कौन पिछड़ा है और कौन पिछड़ा नहीं है, यह हमारे हिन्दुस्तानी माननीय नवल किशोर जी के लिये बड़ा मुश्किल है। चाहे अंग्रेज जान गये हों, चाहे संसार में जितने मुल्क हैं वे सब जानते हों मगर हिन्दुस्तानी इस बात को छपाने की कोशिश करते हैं। इसके अन्तर्गत जो भावना छिपी हुयी है वह मेरी समझ में नहीं आती कि क्यों जितने बड़े बड़े विद्वान् हैं, पढ़े लिखे हैं वह अपनी सारी अक्ल इसको छुपाने में खर्च कर देना चाहते हैं और खास कर उत्तर प्रदेशीय विधान सभा के ये ४,५ सदस्य? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कि इस तरह की बातें कहना कि हमारा सारा हिन्दुस्तान पिछड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसकी क्या दलीलें हैं। एक भूखे का पेट [redacted] कम से कम पाव भर में भरेगा। मनोविज्ञान के आधार पर किसी चीज को कुछ दिनोंतक टाला जासकता है। आज ४ हजार वर्षों से टाल रहे हैं देश गुलाम हुआ, सारी बातें और तब भी गुलाम होते हुये इन लोगों की गुलामी से गुलामों को हुई अपनी गुलामी से मुक्त नहीं होने दिया। आज इस स्वराज्य में और इस कांग्रेसवादी स्वराज्य में यह मौलिक समस्या है। इसका साल्यूशन क्या है? इसके लिये हमारे माननीय सदस्य जवाब दें। आज प्रश्न यह है कि जब सारा हिन्दुस्तान गुलाम हुआ तो उसमें कुछ बड़े गुलाम हुये और कुछ छोटे गुलाम हुए। कुछ तो हुये कलेक्टर साहब, क्योंकि वह भी तो अंग्रेजों के जमाने में गुलाम थे और कुछ हुये बेचारे चपरासी और कुछ बेचारे चपरासी भी नहीं हो पाये। तो आज स्वराज्य की ये समस्यायें हैं कि कुछ चपरासी भी नहीं हो पाते। हमारी सरकार परेशान

हैं, हुक्म भेजते-भेजते कलेक्टरों के पास, जिलाधीशों के पास कि भाई अब बैकवर्ड क्लास का भी ख्याल करो। अमेंडमेंट में दिया हुआ है कि समुचित ख्याल करो। समुचित ख्याल के क्या मानी हैं? एक क़ानून दां के लिये समुचित के क्या मानी? हां, मानी हो सकते हैं जैसे कि हमारे हरिजन भाई हैं उन्होंने कहा कि दस फीसदी संविधान में और १८ फीसदी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। तो यहां पर तो कोई माने होते हैं लेकिन समुचित ख्याल करो, ऐसी बातें यहां सरकार से भी लिख दी जाती हैं। नतीजा यह है कि कलेक्टर साहब ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ सारे सूबों में ५१ जिलों में हैं। अब सवाल यह है कि उनके भाई इतने पढ़े हुए हैं, उनके बिरादरी वाले इतने पढ़े हुए हैं, उनके खानदान वाले इतने पढ़े हुए हैं, उनके चाचा ताऊ इतने पढ़े हुए हैं और उनके लौंद पोद इतने पढ़े हुए हैं कि उनको उनसे ही फुरसत नहीं मिलती। समुचित ख्याल कौन करे? आप कहते हैं कि इनको समुचित नौकरियां दी जायं, समुचित के क्या माने? वैसे तो कुछ माने नैतिक के हिसाब से, लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से समुचित के क्या माने?

भाई वैसे मैं इस संशोधन का ज्यादा आदी नहीं, मैं तो यादव जी से और माननीय कमला जी से और सब से कहता हूं कि इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आता। पढ़े लिखों की समझ में आवे मगर हमारे जैसे आदमी की समझ में कुछ नहीं आता। आप कहते हैं कि हमारे यहां ५१ फी सदी पिछड़ी जाति के और १९ फी सदी अछूत लोग हैं जिसमें मुसलमान और इतने सब तमाम सब के सब मिलाकर कहीं ८६, ८७ फीसदी पहुंचता है। जो कि तफलीफ के मारे मरे जाते हैं और यह सब कहते हैं कि विधान सभा के लोगों के पास या मिनिस्ट्रों के पास ऐसी कोई तरकीब है कि वह कुछ हमें बटवारे में दे देंगे। मैं कहता हूं कि आप किसी से मांगते क्यों हैं? इस मांगने का मतलब क्या है? जिस के गले में हड्डी लग गयी है, वह उस हड्डी को निकाल करके फेंक नहीं देगा बल्कि वह उसके सारे रस को चूस लेगा बाद में कुछ भी हो। दुनिया भर के दार्शनिक विचार फैलाये गये कि आप सब एक हों। मैं यह कहता हूं कि कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और यह मिस्निटर जब दौरों में जाते हैं तो बंगलों में क्यों ठहरते हैं, भंगियों के मकानों में क्यों नहीं ठहरते हैं और इनके खाने पीने का इन्तजाम भंगियों के यहां से क्यों नहीं होता है? अगर ऐसा हो तो तमाम लोग देखें और फिजा बदले। मैं कहता हूं कि मुसलमानों से खाने का इन्तजाम कराओ, ताकि देहातों की हवा बदले। क्या इस-तरह से ८४ हरिजनों को एम० एल० ए० बना देने से मुल्क के हरिजन भाइयों की समस्या हल हो जायगी? जो बेचारे पार्टी डिसिपलिन के मारे यहां पर हरिजनों के लिए एक शब्द भी न कह सकें। वे बेचारे तो पार्टी डिसिपलिन में बंधे हुए हैं। यह अच्छी रही कांग्रेस पार्टी कि वह एक सच्ची चीज जानते हैं, लेकिन पार्टी डिसिपलिन की वजह से कह नहीं सकते।

श्री शिवनारायण—हम कहते हैं, इनका आक्षेप गलत है।

श्री वंशीदास धनगर—अब मैं एक मौलिक बात कहना चाहता हूं लेकिन मैं यह नहीं जानता कि मुझे कुछ समय मिल सकेगा या नहीं। (इन्टरप्शन्स)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ कहते नहीं और मैं एक का हुक्म मानूं या सब लोगों का हुक्म मानूं।

श्री अध्यक्ष—आप जवाब न दें, बल्कि अपना भाषण जारी रखें।

श्री वंशीदास धनगर—हमारे प्रस्तावक महोदय ने भी एक चीज कही, उसकी मौलिकता पर दो एक शब्द मुझे कहने हैं। जहां तक सरकार की नीति के स्पष्ट होने का सवाल है वह स्पष्ट से स्पष्ट है, लेकिन यहां स्पष्टता का प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि सरकार में जितने लोग हैं वे वही हैं कि अन्धा बांटे रेवड़ी और फिर-फिर अपने को देय। यह ठीक है कि योग्य आदमी लिये जायं लेकिन जब योग्यता का सवाल आता है तो मुझ जैसे नाकिस आदमी को छः नौकरियों से निकाला जाता है। तो प्रश्न यह है कि वहां ४० हजार अध्यापक एक जाति के हैं।

श्री शिवनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आध घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आज क्वेश्चन के लिए आध घंटे का समय वैसे ही बढ़ाया-गया है और यह आध घंटा अगर और बढ़ा दिया जाता है तो छः बजे तक समय हो जायगा। इस लिए मैं माननीय शिवनारायण जी से यह कहूंगा कि यह समय न बढ़वायें। इसके अतिरिक्त अगर यह विषय आज रह जाता है तो फिर दूसरे दिन आयेगा। आज आध घंटे का समय बढ़ाने से हम बोल ही नहीं पायेंगे।

श्री अध्यक्ष---(श्री गोविन्द वल्लभ पन्त से) आपकी क्या राय है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---बढ़ा दिया जाय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि इस कार्यक्रम के लिए आध घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव यहां उपस्थित हुआ है उसके सिलसिले में बहुत से भाषण दिये गये। मैं कुछ थोड़ी सी मुख्तसिर बातें ही कहना चाहता हूं और जो गैर मुताल्लिक बातें कही गयीं हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना अनावश्यक समझता हूं, चाहे वे बड़े जोर से कही गयी हों, चाहे वे हल्के ढंग से कही गयी हों। प्रस्तावक ने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें यह कहा है कि सरकार की जो नीति है वह बैकवर्ड क्लासेज को सरकारी नौकरियों में जगह देने की है। मैं उनके इस सिद्धान्त को जो उन्होंने कहा है, दुहराता हूं। सरकार की ही यह नीति नहीं है, बल्कि हमारी कांग्रेस की भी नीति है कि जो पिछड़े लोग हैं उनको सहायता दी जाय, उनकी आर्थिक अवस्था सुधारी जाय, उनका आत्म सम्मान भी बढ़ाया जाय और उनका हर तरह से ऐसा स्थान हो जिससे वे अपने को गौरवपूर्ण नागरिक समझ सकें। यह देश के लिए और समाज के लिए आवश्यक बात है।

जो हमारी नीति रही है उसे तो पहले ही हमने इस सदन में दुहराया और बाहर भी कहा है और इस नीति के अनुसार हमने हिदायतें भी भेजीं और इनका यहां पर जिक्र भी किया गया है। ये हिदायतें हमने सन् १९५० ई० में भेजीं, फिर १९५३ में भेजीं, और हाल में जब यहां बजट पर वादविवाद हुआ था, उसके बाद फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा था कि इस किस्म की हिदायतों को फिर भेजा जाय। वह शायद अभी तक गयी नहीं हैं, मगर हमारी नीति यह रही है और हम चाहते हैं कि इसी नीति के अनुसार काम हो।

दो तीन बातों को हमें समझना है। एक तो यह कि सरकारी काम जो है वह सारी जनता के हित और अहित के कार्य हो सकते हैं। इस लिए अगर योग्य व्यक्ति है तो सबका हित है और जो अधिक संख्या में हैं उनका अधिक हित है और अगर व्यक्ति अयोग्य होता है तो सबका अहित होता है और जो अधिक संख्या में होते हैं उनका अहित ज्यादा होता है। इस लिए यह बराबर सब मानते हैं कि उनमें योग्यता होनी चाहिए। एफिशिएंसी का जो स्टैन्डर्ड है, उसको सामने रख कर बात करनी चाहिए। मगर एफिशिएंसी इस योग्य होनी चाहिए कि काम कर सकें, परन्तु जो दूसरा आदमी है, वह कुछ बेहतर भी हो, मगर वह काम कर सके और समाज में ऐसी स्थिति उनकी हो कि उनकी संख्या बहुत कम है और उनमें शिक्षा की बहुत कमी है और उनकी आर्थिक अवस्था भी कम है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। इस लिए बैकवर्ड क्लासेज को सर्विसेज में लेने के लिए एफिशिएंसी की रक्षा करते हुए जो कुछ भी हो सके वह करना चाहिए। यह हमने पहले भी हिदायत दी है और यह कहा है कि सरकारी नौकरियों में अब लोगों को रखने में इस बात का लिहाज रखा जाय। लेकिन यह तो कोई अच्छी बात भी नहीं

कि और लोग कोई न लिये जायं, और तभी लिये जायं, जब वह बैकवर्ड कहे जायं। लेकिन जो अमल में बैकवर्ड हैं, उनको यह उत्साह मिलना चाहिए और उनके लिए सरकारी नौकरी की बात सिर्फ एक तनख्वाह की नहीं होती, बल्कि लोगों में एक आत्म सम्मान की भी बात हो सकती है। इसलिए जब सरकारी नौकरियों में लोग होते हैं, तो उनको आत्म सम्मान ऊंचा सा मालूम होता है। इसलिए इसकी आवश्यकता है और यह वांछनीय है। उसके लिए इस बात की जरूरत है कि एफिशियन्सी हो। इसकी भी जरूरत है और हमने उसको भी सामने रखा है कि जो कोई भी सरकारी नौकर हों, चाहे वह समाज के किसी अंग का ही, चाहे किसी क्लास का हो, किसी कास्ट का हो, उन सबको इम्पार्शली बिना लाभ और तरफदारी के अपना काम करना है। तो यह चीज तो ऐसी मौलिक हैं जिनके बारे में कोई मतभेद हो नहीं सकता। लिहाजा इन चीजों को हमें सदैव सामने रखकर काम करना है और इसके बारे में कहीं पर कोई हमारे बीच में ग्लानि या मतभेद नहीं होना चाहिए और न रहा ही है।

अब जहां तक इसकी बात है कि इसके अनुसार कार्य नहीं हुआ, उसको मैं यह समझता हूं कि अगर कोई ऐसी अवस्था होती है, तो उसका जो कुछ भी उपाय हो सके, करना चाहिए और उसके लिए जिनको इसकी शिकायत हो, वह अगर कहे, तो उसके ऊपर विचार हो सकता है। यह तो इंडिवीजुअल केसेज की बात होती है। जहां प्रिंसिपिल की बात है वह तो सबको मंजूर है ही। अगर कोई यह कहे कि वह शिक्षित भी अच्छा था, और तरीके पर उस काम के लिए योग्य था, मगर जो कम शिक्षित था उसको लिया गया, तरफदारी की गयी तो वह चीज देखने की है और उसके ऊपर विचार हो सकता है। इसलिए उसपर कोई यहां मतभेद हो नहीं सकता। हमें अपने देश को एक डेमाक्रेटिक तरीके पर चलाना है। मगर डेमाक्रैसी में अलावा और बातों के इस बात की भी जरूरत है कि हमारे समाज के जितने अंग हैं उनको भी पूरा भरोसा हो और वह भी उसके साथ ही यह समझें कि हमारे लिए भी पूरा अवसर है, जैसा कि औरों के लिए है। इसको भी हमको अपने सामने रखना है। इस विचार से इस तरह की नीति हमने अपने सामने रखी है, चाहे उस नीति से हमें अधिक योग्य के मुकाबले मे कम योग्य को भी लेना पड़े।

जहां तक इसके सिद्धान्त की बात है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। जैसा मैंने कहा, इसके लिए भी इस बारे में और हिदायतें भेजी जायं और भेजी जायंगी और मैं चाहता हूं कि यह ठीक तरह पर काम हो।

चन्द बात इसमें और गहरी हैं जिनके लिये इस वक्त कुछ कहने की ज्यादा जरूरत है। वह खास इसलिए कि आज कल एक बैकवर्ड क्लासेज कमीशन मुकर्रर है और वह इस बारे में सारी पूछ गछ कर रहा है और पूछ गछ करने के बाद वह अपनी राय देगा और उसके अनुसार काम होगा। मसलन दरअसल यह कहना कि कास्ट के बेसिस पर तो किसी ने कहा नहीं कि बैकवर्ड कास्ट। यह तो बैकवर्ड क्लास है जोकि एजूकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड है। इसको कहने के लिये क्या क्राइटेरियन है। मसलन आपको मालूम होगा कि कमीशन ने जो टर्म्स निकाली है उसमें यह है कि—

"Backward classes Commission shall determine the criteria to be adopted in considering whether any section of the people in the territory of India should be treated as socially and educationally backward classes and in accordance with such criteria prepare a list of such classes setting out also their approximate numbers and their territorial distribution."

और उसके बाद फिर इसमें और बातें हैं। तो इसकी तो जांच हो रही है और वह इसको देखेंगे। यहां पहले से एक बैकवर्ड क्लासेज की लिस्ट एजूकेशन डिपार्टमेंट में एजूकेशन के लिए थी। उसके बाद जब यह सवाल हमारे सामने आया तो हमने उस लिस्ट को कुछ बदलना चाहा।

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

मगर इसलिए कि यह कमीशन बैठा हुआ है हमने फिर उसी लिस्ट को जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की थी रहने दिया। उसमें मैं समझता हूं, जहां तक कि मुझे याद है, ३६ के करीब तो जातियां हैं जो कि हिन्दुओं में हैं और २० के करीब हैं ऐसी जो कि मुसलमानों में हैं। तो वह तो एक ऐसी चीज है जो कि इसके अन्दर उसमें आज बदलाव करना होगा और मैं आशा करता हूं कि सम्भव हो सके, कम से कम मैं इसे पसन्द करता हूं कि कोई इस ढंग का तरीका निकले जिसमें कास्ट की बेसिस पर न हो जिससे कि हम लोगों के बीच में ख्वामख्वाह एक बदमजगी जो पैदा होती है, वह न हो और जिन लोगों की मदद जो होनी है वह भी हो जाय। आया ऐसी कोई चीज मुमकिन निकल सकती है या नहीं यह तो कमीशन के देखने की बात होगी, मगर एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो हिदायतें हैं उनका खास लिहाज होना चाहिए, यह प्रिंसिपुल ऐक्सेप्टेड (सिद्धान्त स्वीकृत) है। इसका क्राइटीरिया क्या हो इसको कमीशन निकालेगा। यह जो रिलैक्जेशन वगैरह की बातें कहीं गई और आर्टिकिल १६ क्लाज ४ पढ़ा गया तो उसमें आप देखेंगे कि आर्टिकिल १६ इक्वैलिटी के प्रिंसिपुल को इनंश्येट करता है और उसमें क्लाज फोर एक अपवाद स्वरूप है जो यह कहता है कि इससे डीपार्चर हो सकता है। मगर फिर आप आगे देखेंगे तो जो उसका आपरेटिव पार्ट हमारे विधान का, वह आता है आर्टिकिल ३३५ में। वहां यह साफ कहा जाता है कि है शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्स के लिए सर्विसेज के लिए खास तौर से बात की जायगी यानी रिजर्वेशन होगी। यह चीज शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लिए करने की जरूरत न होती अगर सिक्सटीन (फोर) के मुताल्लिक यह होता कि हम शिड्यूल कास्ट के लिये और शिड्यूल ट्राइब्स के लिये रिजर्वेशन कर सकते हैं। मगर यह नहीं हो सकता था। इसके लिए उसका आपरेटिव पार्ट जो है वह आर्टिकल ३३५ वह गहै जिसकी कि मैंने आपसे जिक्र किया। इसलिये यह दिक्कत पैदा हुई कि रिजर्वेशन नहीं हो सकता। इसके लिये आर्टिकल में यह भी होता कि और जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके लिए हो इस आपरेटिव पार्ट में कांस्टीट्यूशन के ऐसा क्लाज होता तो वह चीज यहां हो सकती थीभ। इसीलिए आप देखेंगे कि सेंटर में यह या हमारे स्टेट में कहीं भी सिवाय इस शिड्यूल कास्ट के और किसी के लिए भी रिजर्वेशन सर्विसेज का नहीं है और वह इसी वजह से एक दिक्कत पैदा हुई। मगर अब यह जो कमीशन बना है इस कमीशन की राय में अगर कोई चीज ऐसी हुई कि ऐसा होना चाहिए तो फिर कांस्टीट्यूशन में भी जो दिक्कतें हों, वह दूर हो सकती हैं। लेकिन जैसा कांस्टीट्यूशन इस वक्त है उसमें सिर्फ आर्टिकिल सिक्सटीन (फोर) को देखना और उसका जो आपरेटिव पार्ट है ३३५ उसको न देखना यह सही राय पर नहीं ले जाता। दूसरी बात आप देखेंगे कि आर्टिकिल ३४० है जिसके मुताबिक "The president may appoint a commission consisting of such persons and so or. . . ." जिसके मुताबिक यह यह कमीशन अप्वाइंट हुआ है और फिर यह कमीशन बतलायेगा जैसा कि उसमें दिया हुआ है कि--

". . . . . to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labour and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or any State to remove such difficulties and to improve their condition. . . . . and so on." तो यह कमीशन को अप्वाइन्ट करना पहला स्टेप है। कमीशन अप्वाइन्ट होने पर और चीजों के करने की गुंजाइश निकल सकती है और फिर कमीशन उसे करेगा। आर्टिकिल ३३८ आप देखेंगे तो उसके क्लाज ३ में दिया है कि--

"In this article, references to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be construed as including references to such other backward classes

as the President may, on receipt of the report of a Commission appointed under clause (I) of article 340 by order specifiy....."

यानी कमीशन की रिपोर्ट आने पर प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगा कि कौन क्लासेज, सोशली, एडुकेशनली, बैकवर्ड माने जाते हैं और उनको वह नोटिफाई कर दें। तो शैडचूल्ड कास्ट्स का नोटिफिकेशन है। मगर बैकवर्ड क्लास के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इसी लिए यह कमीशन बना है। इस कमीशन के होने पर फार दि फर्स्ट टाइम यह बात रेशनली तय होगी कि कौन क्लासेज सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड माने जाते हैं और यह भी तय होगा कि बाद को क्या कार्यवाही होगी। इसलिए यहां पर जो बहस हुई, उस वक्त शायद कमीशन को याद नहीं रही। कमीशन के होते आज कोई खास जरूरत थी नहीं कि इतना गरमागरमी की बातें यहां कही जातीं। वह तो जब कमीशन की रिपोर्ट निकलेगी तो उसके बाद अगर जरूरत समझी गयी, तो बहस हो जायगी। जहां तक मेरा ताल्लुक है मैंने अपनी नीति कभी छिपायी नहीं। वह हाउस के सामने सदैव रही है और मैं समझता हूं कि हम सब को सिर्फ देश के नागरिक नम्बर्स में नहीं होना है, हमारे दिलों को एक होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझ कर आगे बढ़ सकें, और उसके लिए डेमोक्रैसी के जो सख्त कायदे हैं, उनसे कुछ झुकना पड़े, तो झुकना चाहिए। क्योंकि एक होना और एक दूसरे से मुहब्बत रखना ज्यादा जरूरी है बमुकाबिले किसी रिजिड फार्मूला को फालो करने के इसलिए जहां तक मैं समझता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जो इस रेजोल्यूशन का वर्डिंग है, वह मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती। मैं चाहता कि इस रेजोल्यूशन को वह किसी दूसरे ढंग से करते। मगर मैं यह भी महसूस करता हूं कि अगर यादव जी से मैं कहूं कि वह इसको वापस ले लें तो वह वापस ले लेंगे। लेकिन उस से भी गलत-फहमी होगी। इस लिए मैं यह समझता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है वह आपके सामने है, उसके बारे में कुछ गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इस रेजोल्यूशन के खास अल्फाज का कोई ताल्लुक नहीं है, जहां तक उसूल का ताल्लुक है मैंने जो कुछ इन्टरप्रिटेशन किया है, उसको सामने रखते हुए इस रेजोल्यूशन को हाउस मंजूर कर ले।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्य मन्त्री और कई माननीय सदस्यों के भाषण सुनने के बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं जो प्रस्ताव चार सज्जनों ने रखा है मैं उसमें एक संशोधन पेश करना चाहता हूं।

संकल्प के दूसरे वाक्य में "अतः . . . करायी जावे" को निकालकर उसके स्थान पर निम्नलिखित वाक्य रख दिया जाय—

"अतः पिछड़े वर्ग (back ward classes) की जन संख्या के अनुसार उसके समुचित प्रतिनिधित्व के हेतु सरकार राज्य के समस्त चुनाव अधिकारियों को शीघ्र आवश्यक आदेश जारी करे।"

श्री अध्यक्ष—यह कहां बढ़ाना चाहते हैं आप ?

श्री जोरावर वर्मा—यह प्रस्ताव है—"इस सदन का यह निश्चित मत है कि संविधान व सरकार की नीति वर्ग के पक्ष में होते हुए भी इस वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में अभी तक न होने के तुल्य है।" अब यह जो दूसरा वाक्य है, "अतः पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के समुचित प्रतिनिधित्व के हेतु सरकारी नीति वास्तविक रूप में कार्यान्वित करायी जावे।" मेरा प्रस्ताव है कि यह जो दूसरा वाक्य है, इसको हटा दिया जाय और उसके स्थान पर यह वाक्य रखा जाय—"अतः पिछड़े वर्ग . . ."

श्री अध्यक्ष—"चुनाव अधिकारियों" से आप का क्या मतलब है? उसे स्पष्ट कीजिये।

श्री जोरावर वर्मा—सर्विसेज के सेलेक्शन में। अध्यक्ष महोदय, मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि हमारे कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों ने इस बात को कहा है कि हम भी पीछे हैं और हमें भी बड़ी परेशानियां हैं और अब स्वराज्य हो गया है। हमारी इन कठिनाइयों को दूर होना चाहिये और वे कठिनाइयां उस समय दूर हुई समझी जायंगी जब उनकी जनसंख्या की अनुपात से सरकारी नौकरियों में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाय। अभी पिछली दफा बजट के अवसर पर एक और प्रस्ताव के संबंध में कई माननीय सदस्यों ने, विशेषकर पिछड़े वर्ग के माननीय सदस्यों ने इस भावना को प्रगट किया कि सरकार जो कुछ हरिजनों के लिये कर रही है वही उसे बैकवर्ड क्लासेज के लिये भी करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, अभी तक वास्तव में हरिजनों की जो स्थिति रही है इस सदन का हर माननीय सदस्य उसे जानता है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में हरिजनों की बड़ी दयनीय दशा है, लेकिन ये बैकवर्ड क्लासेज जो बीच में हैं यही एक समाज है जो सवर्ण समाज और हरिजनों के बीच में है जो एक बफर स्टेट का काम करता है। वास्तव में इन लोगों ने ही हरिजनों के साथ में खराब बर्ताव किया है और उतना खराब सवर्ण जाति वालों नें नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह कहूंगा कि सवर्ण समाज के जो सदस्य हैं उन्होंने हरिजनों के साथ में उतना अन्याय नहीं किया जितना कि बैकवर्ड क्लासेज ने। यही बैकवर्ड क्लासेज के लोग सवर्ण जाति के लोगों के चौकीदार रह कर हरिजनों के गले काटते रहे। इसलिये मुझे जहां इस प्रस्ताव के लाने से प्रसन्नता है वहां दुख भी है। अगर इस प्रस्ताव का यह उद्देश्य है कि स्वतंत्रता के अन्दर अपनी संख्या के अनुसार सर्विसेज पाकर मानव समाज के स्तर पर वे आना चाहते हैं तब तो मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन अगर इसका उद्देश्य यह है कि हरिजनों को जो सुविधायें दी जा रही हैं इस प्रश्न को लेकर उनकी सुविधायें खतरे में डाल दी जायं, वहां मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सवर्ण समाज के हमारे कई माननीय सदस्यों ने योग्यता का नारा लगाया। वास्तव में जो बैकवर्ड क्लासेज की मांगें हैं और सर्विसेज में जो प्रतिनिधित्व है उसको छिपाने की कोशिश की है वह सूर्य के ऊपर धूल डालना है। जहां तक योग्यता का सम्बन्ध है अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि गत वर्ष एक टाइपिस्ट की जगह थी। उसमें कुछ हरिनज और सवर्ण लोग बैठे थे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ मालूम हुआ कि एक हरिजन जिसके सवर्ण समाज के कैंडिडेट से दूने नम्बर थे उसको न ले कर सवर्ण समाज के कैंडिडेट को ही लिया गया। योग्यता के नियम का कोई पालन नहीं होता। योग्यता की बात भी मान लें तो जैसा हरएक समाज करता है हम सवर्ण जातियों को उनका पिता तुल्य या भाई तुल्य माने। तो पिता का कर्त्तव्य है कि जो उसके बच्चे में सबसे अधिक कमजोर होता है उसका अधिक लालन पालन करता है और उसकी ज्यादा मदद करता है। लिहाजा इस योग्यता का नारा न लगा कर बैकवर्ड क्लासेज और शेडयूल्ड कास्टस को सुधारने की कोशिश की जाय तो मैं समझता हूं कि अधिक अच्छा होगा। कई माननीय सदस्यों ने राष्ट्र के खतरे का प्रश्न भी उठाया। मैं आपकी आज्ञा से यह कह देना चाहता हूं कि राष्ट्र का जो नारा लगाने वाले हैं उन्होंने राष्ट्र के साथ क्या-क्या किया यह सभी जानते हैं। इतिहास इसकी गवाही है। उनमें कुछ जयचन्द और न जाने क्या-क्या निकले। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बैकवर्ड क्लासेज का एक भी आदमी ऐसा नहीं निकलेगा जिसने राष्ट्र के खिलाफ काम किया हो। उन्होंने परेशानियां और तकलीफों को सहने के बाद भी देश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। अध्यक्ष महोदय, शिव कुमार शर्मा जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो मेरी समझ में नहीं आया। आपने उस प्रस्ताव की महत्ता की समझा है या नहीं। एक तो उन्होंने यह कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं और ब्राह्मणों की तरह से आगे बढ़ना हो तो संघर्ष करना चाहिये। हम तो संघर्ष नहीं कर रहे हैं। हम तो क्रांति नहीं कर रहे हैं। हमको सताया जाता है और हमको दबाया जाता है लेकिन हमको

रोने भी नहीं दिया जाता है तो फिर क्या माननीय सदस्य हमको संघर्ष करने की इजाजत दे सकते हैं ?

इस प्रकार का प्रस्ताव लाकर हमारे समाज की जो परिस्थिति है उसको सरकार के सामने रख देना चाहते हैं। इस प्रकार का प्रश्न जब यहां पर बजट पर बहस हो रही थी तो जो वास्तव में हमारे प्रदेश की जनता की मांग है उसको सामने रखा था। जब पुलिस के विषय पर सब बोले तो सबने ही पुलिस के खिलाफ बयान दिया था और एक भी सदस्य ने उसके पक्ष में बात नहीं कही। जहां तक शिक्षा की बात है कल उस पर बहस होती रही और सभी भाइयों ने इस बात को बताया कि राज्य को जो करना चाहिये वह नहीं किया। जहां तक वह कहते रहे और अपनी बात को मुनासिब बताते रहे। लेकिन हम लोग जो हजारों वर्ष से दबे हुए हैं अगर थोड़ा बहुत रोने का प्रयत्न करते हैं और अपनी समस्या को हाउस के सामने रखने का प्रयत्न करते हैं तो उसको योग्यता के नाम पर राष्ट्रीयता के नाम पर हम लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है।

जहां तक उन्होंने यह बात कही कि हमको अलग-अलग की बात नहीं करनी चाहिये और मिलकर रहना चाहिये, मिलकर काम करना चाहिये तो जहां तक शासन करने की बात है और जहां तक कुर्सी की बात है उनका तो जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह शासन करते रहें। मगर माननीय सदस्य जिन्होंने इस भाव को प्रकट किया, क्या उन्होंने कभी हरिजनों के साथ मेहनतकश लोगों के साथ काम करने का प्रयत्न किया है ? क्या उन्होंने कभी भी अपने जीवन में किसी मजदूर के साथ, किसी चमार के साथ काम में हाथ बटाया है ? क्या उन्होंने इसी काम को राष्ट्रीय काम समझा है ? क्या उन्होंने यह समझा है कि वही लोग काम करते हैं जो अन्य लोग नहीं कर सकते हैं ? वास्तव में उनको प्रैक्टिकल रूप देने की बात करनी चाहिये तभी हम ठीक समझेंगे कि वास्तव में जो वे कहते ठीक कहते हैं। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो महात्मा गांधी ने अपने विचार प्रकट किये थे और कहा था कि हरिजन को अगर राष्ट्रपति बनाया जाय तो मैं बहुत प्रसन्न हूंगा, लेकिन स्वतंत्र हुए भारत को इतने दिन हो गये मगर राष्ट्रपति तो क्या, गवर्नर तो क्या कोई आदमी पिछड़ी जाति का आज कलेक्टर भी नहीं है। उधर यह कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा करती है कि हम महात्मा गांधी के प्रिंसिपिल्स पर चल रहे हैं और हम उनके अनुयायी हैं। लेकिन जहां पर ऐसी कोई बात हो तो हरिजनों के बारे में जो बैकवर्ड जाति के बारे में लागू होती हो तो उसकी तरफ से वे मुंह फेर लेते हैं और यदि हम लोग कुछ कहते हैं तो हमको राष्ट्रीयता के नाम पर दबाने की कोशिश की जाती है।

यह जो प्रश्न है वह प्रांत के हरएक व्यक्ति से संबंध रखता है। हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया लेकिन हमको क्या मिला ? हमारा देश आजाद हो गया लेकिन वास्तव में हमारी उन्नति के लिये क्या किया गया ? कई सदस्यों ने कहा कि हरिजन उत्थान के लिये लाखों रुपया व्यय किया जाता है। तो क्या हुआ अगर अरबों रुपये में से कुछ लाख रुपया हमारे ऊपर व्यय कर दिया जाय। सन् १९५२ ई० में शिड्यूल कास्ट कमिश्नर ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट पेश करते हुये कहा था कि हरिजनों का उत्थान तभी हो सकता है जब कि हरएक प्रांत का जो रेवेन्यू है उसके जनसंख्या के अनुसार उनकी उन्नति के लिये बजट में रखा जाय।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हरिजनों की उन्नति के लिये आशा कई बार प्रकट की है किन्तु मुझे दुख है कि हम अपने शिक्षा मंत्री का भाषण तीन साल से सुनते चले आ रहे हैं लेकिन उनके मुंह से एक भी बात बैकवर्ड भाइयों के लिये नहीं निकली। उन्होंने सन् १९५२ में कहा था कि (एकक्षण रुकने के बाद) मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १/२ घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—पंचायत राज ऐक्ट के संबंध में हमें प्रस्ताव करना है।

श्री अध्यक्ष—वह तो ऐजेंडे में है, उसे मैं स्वयं ले लूंगा।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये सदस्यों का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। यहां यह प्रस्ताव पास हुआ था कि पंचायत राज विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय उसके संबंध में विधान परिषद् के सभापति जी ने एक सूचना दी है। उनका पत्र इस प्रकार है—

विधान परिषद् की नियमावली के नियम ११८(३) के अन्तर्गत मुझे आपको यह सूचना देनी है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २ अप्रैल, १९५४ की बैठक में स्वायत्त शासन मंत्री का निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है :—

"उत्तर प्रदेश विधान परिषद् उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रस्ताव से सहमत है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।"

२—विधान परिषद् ने अपनी उसी दिन की बैठक में उपर्युक्त संयुक्त प्रवर समिति पर काम करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों को भी निर्वाचित किया है :—

१—श्री राम नन्दन सिंह,
२—श्री कुंवर गुरु नारायण,
३—डाक्टर ईश्वरी प्रसाद,
४—श्री रामलगन सिंह,
५—श्री प्रतापचन्द्र आजाद,
६—श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार,
७—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी,
८—श्री इन्द्र सिंह नयाल।

यह सूचना प्राप्त होने के बाद मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस सदन की ओर से जो सदस्य निर्वाचित होने हैं उनका प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित करें।

स्वशासन मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर संयुक्त प्रवर समिति में विधान सभा की ओर से निम्नलिखित सदस्य निर्वाचित किये जायं—

१—श्री कृपा शंकर,
२—श्री गेंदासिंह,
३—श्री राम नारायण त्रिपाठी,
४—श्री बालेन्दु शाह,
५—श्री परमानन्द सिन्हा,
६—श्री महन्त जगन्नाथ बख्श दास,
७—श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना,
८—श्री हरिसिंह,
९—श्री ब्रजविहारी मिश्र,
१०—केशव पांडे,
११—श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी,
१२—श्री जोरावर वर्मा,
१३—श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी,
१४—श्री अब्दुल लतीफ,
१५—श्री राम प्रसाद देशमुख,
१६—श्री वीरेन्द्र वर्मा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर संयुक्त प्रवर समिति में विधान सभा की ओर से निम्नलिखित सदस्य निर्वाचित किये जायं--

१--श्री कृपा शंकर,
२--श्री गेंदासिंह,
३--श्री राम नारायण त्रिपाठी,
४--श्री बालेन्दु शाह,
५--श्री परमानन्द सिन्हा,
६--श्री महन्त जगन्नाथ बख्श दास,
७--श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना,
८--श्री हरिसिंह,
९--श्री व्रज विहारी मिश्र,
१०--श्री केशव पाण्डेय,
११--श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी,
१२--श्री जोरावर वर्मा,
१३--श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी,
१४--श्री अब्दुल लतीफ,
१५--श्री राम प्रसाद देशमुख,
१६--श्री वीरेंद्र वर्मा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--अब मेरा कर्तव्य है कि इस संयुक्त प्रवर समिति के लिये मैं सभापति निश्चित करूं क्योंकि स्वशासन मंत्री मोहन लाल जी गौतम अपने पद के अनुसार इसके सदस्य हैं इसलिये मैं उनको ही इस प्रवर समिति का सभापति नियुक्त करता हूं ।

देवरिया जिले में बाढ़ से हुई क्षति से सम्बद्ध २९ मार्च, १९५४ को श्री बद्री नारायण मिश्र द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या १६ के विषय पर विवाद

श्री अध्यक्ष--अब देवरिया जिले की सलीमपुर तहसील के दक्षिणी क्षेत्र में बाढ़ से हुई क्षति से संबंधित २९-३-५४ को श्री बद्री नारायण मिश्र द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६ के विषय पर नियम ४२ के अन्तर्गत विवाद होगा ।

श्री गेंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का इतना कीमती वक्त इतनी छोटी सी बात के लिये नहीं लेना चाहता था लेकिन यह ऐसा प्रश्न है जिसका मैं समझता हूं कि हजारों आदमियों के जीवन से सम्बन्ध है इसलिये मैंने सोचा कि इस के लिये आधा घण्टा सदन का लिया जाय । मैं राजस्व मंत्री जी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं और सदन के सामने अपने विचार भी संक्षेप में रखना चाहता हूं । पिछले वर्ष बाढ़ के सिलसिले में केवल नदियों की बाढ़ ही से क्षति नहीं बल्कि वर्षा जो असाधारण रूप से हुई उस से भी बहुत हानि हुई । मैंने बाढ़ कमेटी की रिपोर्ट में देखा है कि उस में लिखा है कि पिछले दस वर्षों में कभी भी ६० इंच से अधिक पानी नहीं बरसा लेकिन पिछले वर्ष ८५ और ९० इंच के करीब बारिश हुई । इस के आंकड़े भी माननीय मंत्री जी के पास हैं और उन्हें मालूम है कि केवल नदियों की बाढ़ से ही हानि नहीं हुई वरन् अतिवर्षा से भी क्षति हुई और और ऊंची जमीन समझकर लोग बो देते थे वहां भी पानी फिर गया । परन्तु

[श्री गेंदासिंह]

अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है उस में केवल ४८७ गांवों को नुकसान हुआ बताया गया जबकि इस जिले में ३६ या ३७ सौ गांव के करीब हैं ।

माननीय राजस्व मंत्री जानते हैं कि देवरिया जिला किन दूसरे जिलों से घिरा हुआ है। उसके चारों तरफ बलिया, गोरखपुर और आजमगढ़ के ग्राम हैं लेकिन जब उन से पूछा जाता है कि वहां कितना नुक्सान हुआ तो वह उस को बताने में आनाकानी करते हैं लेकिन आज सदन को समझाने के लिये शायद वह मेरे कहने से बतला दें तो बड़ी कृपा होगी कि उससे घिरे हुए जिले आजमगढ़, गोरखपुर और बलिया में कितना नुक्सान हुआ । मैं नहीं कहता कि बलिया आजमगढ़ की तरफ उनको खास हमदर्दी है । उनका ध्यान बार-बार कहने पर भी बिहार की तरफ नहीं जाता कि जहां की सरकार ने कितना ज्यादा सिवाने के लोगों के लिये किया है और गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी मांग रही है । अगर वह भी उसी तरह से ध्यान देते तो वहां के लोगों को इतनी परेशानी न होती । मैंने उनसे कहा कि कम से कम एक बार चलकर वहां का सही अन्दाजा अपनी आंख से लगा लें लेकिन वह वहां तक नहीं पहुंच सके । मैंने उन से सवाल भी किया था कि क्या देवरिया के सदस्यों ने कोई शिकायत उनके सामने रखी है कि जिलाधिकारियों की रिपोर्ट गलत है । उन्होंने जवाब में कह दिया कि कुछ याद नहीं है । श्री राम जी सहाय जो वहां के सदस्य हैं उन्होंने पत्रों में भी वक्तव्य दिये । श्री बद्री नारायण मिश्र उनके यहां गये । मैं भी स्वयं गया और उनके सामने तमाम देवरिया की हालत रखी । उधर माननीय रामजी सहाय और श्री बद्रीनारायण मिश्र बैठे हैं । वह भी इस समय अपनी राय माननीय राजस्व मंत्री के सामने रखें तो अच्छा है । मैंने बाढ़ कमेटी में भी माननीय राजस्व मंत्री जी से कहा था और उनको खबर दी थी कि आपके जिलाधिकारी भूल कर रहे हैं और आपको पूरी इत्तला नहीं मिल रही है रिपोर्ट के पेज ५ पर आप देखें तो मैंने कहा था कि--

"He felt that the government had no correct idea of the losses of the houses and crop."

[उन्होंने अनुभव किया कि सरकार को घरों तथा फसल की हानियों का सही अंदाज नहीं है ।]

मैंने एक बार नहीं अनेक बार मंत्री जी को बताया कि जिला अधिकारी आप की और सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं । कई बार उनके घर पर जाकर कहा कि देवरिया की हालत देख आइये लेकिन कोई नतीजा नहीं हुआ । जिन इलाकों से हम लोग आये हैं वहां के लोगों से हमदरदी न हो वह बात तो समझ में आती है लेकिन जहां से कांग्रेस के लोग आये हैं अगर वहां के लोगों को भी तकलीफ है तो उन को भी नहीं सुनवाई होती है तो यह बात हमारी समझ में नहीं आती । मैं यह समझता हूं कि यह सब ज्यादती है । अध्यक्ष महोदय, यह कहने के लिये मैं उनसे क्षमा चाहूंगा कि अगर जिले के अधिकारियों को उनका यह संकेत हो कि वह सही रिपोर्ट दे तो वह सही रिपोर्ट देते । लेकिन मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि उनका संकेत इसका रहा हो । जब मैंने उनसे देवरिया जाने के लिये कहा, और मैंने कहा कि अगर वह देवरिया नहीं जायेंगे तो वहां के सरकारी अधिकारी गलत रिपोर्ट दे देंगे तो वहां के लोगों को उसका कुपरिणाम भुगतना पड़ेगा और उसका कुपरिणाम हुआ । हजारों मवेशी मर गये । वे कई मरतबे इस सदन में कह चुके हैं कि कोई मवेशी नहीं मरे जब कि मैं दावे के साथ कहता हूं और चैलेन्ज करता हूं कि आज वे इन्क्वायरी कराने के लिये तैयार हो जायं उन्हें ज्ञात हो जायगा कि कितने हजार मवेशी मरे और ६ महीने के भीतर कितने हजार लावारिश पशु छोड़े गये, कई आदमी भी मरे । यह एक नमूना है ऐसा उदाहरण है कि इन पांच ६ महीनों के अन्दर सैकड़ों मजदूर पांच-पांच और ६-६ आने पर काम करते रहे हैं तो यह अकाल की स्थिति है या नहीं ? तो शायद अगर आइडिया सरकार को होता तो मैं समझता हूं कि यह मुसीबत बहुत कम हो जाती लेकिन शायद खबर न होने के कारण मुसीबत हमारी बढ़ी है । आज टेस्ट वर्क बन्द किया गया

है बावजूद इसके कि मैंने कोई दरवाजा छोड़ा नहीं और माननीय मुख्य मंत्री जी तक का दरवाजा खटखटाया लेकिन यह सब करने के बाद भी चुप तमाशा देख रहा हूं कि कुछ नहीं हो रहा है। आज इत्तिफाक से माननीय मुख्य मंत्री जी भी मौजूद हैं मैं उनकी निगाह देवरिया की तरफ ले जाना चाहता हूं कि उनके सरकारी अधिकारी इस तरह की गलती न करें जिसका खमियाजा वहां की जनता को उठाना पड़े। अगर ऐसी बात न हुई तो देवरिया की जनता आज ही मुसीबत में नहीं है बल्कि आगे भी पड़ेगी। रबी की फसल मारी गयी है जैसी कि खबर मिली है। मैं फिर से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि देवरिया की हालत को जानने के लिये फिर इस बात की कोशिश की जाय कि सरकारी अधिकारी सरकार को गलतफहमी में न रखें।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल तो सिर्फ यह था सलीमपुर तहसील के दक्षिणी भाग में बाढ़ से हुई क्षति से संबंधित २९-३-५४ को श्री बद्रीनारायण मिश्र द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६ के विषय पर नियम ४२ के अन्तर्गत विवाद। प्रश्न १६ यह था--"क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला देवरिया के सलेमपुर के दक्षिणी क्षेत्र में बाढ़ से कितने गांव बह गये और कितनी क्षति खेती को पहुंची ?" जवाब यह था जिला देवरिया की तहसील सलेमपुर के दक्षिणी क्षेत्र में बाढ़ से कोई गांव नहीं बहा। बाढ़ से इस क्षेत्र के ७८ गांवों में १२,८७४ एकड़ की फसल को रुपये में ८ से १६ आने तक की क्षति पहुंची। अब माननीय गेंदा सिंह जी ने पूरे जिले के विवाद को आरम्भ किया उस बहाने से और देवरिया के साथ गोरखपुर, आजमगढ़ वगैरह का जिक्र भी उन्होंने किया और वह हमसे जानना चाहते हैं कि कितने गांव सब जिलों में बह गये और कितना नुकसान हुआ। यह सब बातें जानना चाहते हैं तो यह नामुमकिन है। सवाल है सिर्फ सलेमपुर के दक्षिणी भाग में कितनी हानि हुई। जो जवाब दिया गया है आया उसमें कोई गलती हुई यह माननीय गेंदा सिंह जी ने नहीं कहा। ७८ गांव बह गये उनको नुकसान हुआ तो उन्होंने इसके लिये नहीं कहा कि दो सौ, ढाई सौ को नुकसान पहुंचा या कितने को पहुंचा यह भी उन्होंने नहीं कहा। उनका चार्ज यह है कि गलत रिपोर्ट आती है और यह भी उन्होंने रेवेन्यू स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में कहा।

श्री गेंदासिंह--मैं इत्तिला के लिये कह दूं कि सलेमपुर भी देवरिया जिले में ही है और सलेमपुर के संबंध में भी जो रिपोर्ट आयी है वह गलत है मैंने कहा है।

श्री चरणसिंह--रिपोर्ट क्या गलत आयी, यह नहीं कहा। क्या गलत जवाब दिया गया है यह भी उन्होंने संकेत नहीं किया है। उन्होंने आम बात कही है। उनका कहना है कि अफसरान ने गलत रिपोर्ट दी है या नहीं दी है और गवर्नमेंट से सही बातें छिपायी हैं यों सैकड़ों हजारों अफसरान हैं। मसले काफी बड़े-बड़े हैं और खास तौर पर काफी लोगों को नुक्सान होता है तकलीफ होती है तो हो सकता है कि उनसे छोटी-मोटी गलतियां हो जायं उसे तो मैं रूल आउट नहीं करता, लेकिन आम तौर पर देवरिया के मुताल्लिक वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने गवर्नमेंट को अंधकार में रखा या गलत रिपोर्ट दी, ऐसा मैं नहीं मानता। उन्होंने ३१ जुलाई को पहली रिपोर्ट दी। समय की कमी के कारण मैं उसे यहां नहीं रखता, लेकिन अगर माननीय गेंदासिंह जी देखना चाहें तो पूरा खत उनको दे सकता हूं। बहुत तफसील में उन्होंने रिपोर्ट भेजी है। उसके बाद ८ अगस्त को फिर उन्होंने एक तफसील से रिपोर्ट भेजी। और उसके बाद फिर यह जो सवाल हुआ है उसका जवाब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने २० अगस्त को भेजा। इस तरह से तीन बार उन्होंने तफसील से रिपोर्ट दी है। मैं नहीं समझता उन्होंने छिपाने की कोशिश की है।

अब दूसरी बात उन्होंने यह कही कि गवर्नमेंट अगर चाहती तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सही रिपोर्ट देते। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके सिलसिले में प्रोटैस्ट करना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि सही रिपोर्ट आवे

[श्री चरणसिंह]

अगर ऐसा माननीय गेंदा सिंह जी कहते हैं तो फिर बहस के लिये कोई जगह नहीं रह जाती है, क्योंकि बहस तो तब होती है जब कि वह अपनी और हमारी नीयत में कोई शक न करें। जब बुनियादी बात कोई आदमी नहीं मानता तो फिर बहस आगे चलती नहीं। वह यह समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट यह चाहती है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देवरिया गलत रिपोर्ट दें तो फिर उसका जवाब मेरे पास कुछ नहीं है और मैं उनकी इस गुड सैन्स को अपील करता हूं। वह विचार करें कि जो बात उन्होंने कही है वह कहां तक जायज है।

तीसरी बात उन्होंने यह कही कि उन्होंने मुझसे देवरिया जाने के लिये कहा। शायद कहा एक आध दफा कहा बल्कि दो तीन दफा कहा होगा लेकिन मैं देवरिया इसलिए नहीं गया कि जाना नहीं चाहता था। और फिर मान लो कि मैं नहीं गया तो माननीय मुख्य मंत्री जो गये। इतना व्यस्त होते हुए भी वह बलिया गये, आजमगढ़ गये और एक आध जिलों में गये। लेकिन बाढ़ तो बहुत से जिलों में आई जैसे गोरखपुर, गाजीपुर, देवरिया, सुल्तानपुर बाराबंकी, इलाहाबाद, जौनपुर, कानपुर इन सब जगहों पर बाढ़ आई। लखनऊ में भी बाढ़ आई और यहां श्री अला जहीर और श्री चन्द्रभानु गुप्त बहुत दिनों तक उसमें लगे रहे। आखिर माननीय सदस्य क्या साबित करना चाहते हैं। मजबूरी होती है और हर जगह तो पहुंच नहीं हो सकती है। लिहाजा यह कोई दलील नहीं है।

चौथी बात यह कहते हैं कि टेस्ट वर्क्स रोक दिये गये, उस रोज जब स्कैरसिटी डिपार्टमेंट के बजट के ऊपर बहस हो रही थी तो मैंने अर्ज किया था और वह बात हमें सब के गौर करने की है कि टेस्ट वर्क जब कोई फसल फेल हो जाये तो उस वक्त एक्सेप्शनल सूरत में लोगों को रोजगार देने के लिये खोला जाता है। जिससे कुछ काम भी हो जाये लेकिन असली मंशा यह है कि लोगों की तकलीफ मिटे तो यहां टेस्ट वर्क खोला गया जुलाई से। फिर बारिश हो गई, उसके बाद फिर खोला गया। फिर रबी की शोइंग आ गई। इसलिये वह १२ मार्च को बन्द कर दिया गया। यह बात सही है कि उस वक्त हजारों की तादाद में लोग आ रहे थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मुझसे कहा कि अब हारवेस्टिंग का सीजन आ गया है इसलिये जो लोग बेरोजगार होंगे उनको फसल की कटाई में काफी मजदूरी मिल जायेगी और उन्होंने इस बात पर बहुत आग्रह किया। यह बात मुझे भी जंची कि वैसे तो लोग आते ही रहेंगे, लेकिन अगर हम टेस्ट वर्क बन्द कर देंगे तो भी लोगों को रोजगार जरूर मिल जायेगा। गवर्नमेंट ने लैंड रिफार्म कमिश्नर को वहां मौके पर जाने के लिये कहा वह गये और उनकी रिपोर्ट भी आ गई है और वह माननीय मुख्य मंत्री जी से बात कर रहे हैं। अगर माननीय सदस्य कष्ट करें तो माननीय मुख्य मंत्री जी उनको इस सिलसिले में और भी जानकारी करा सकते हैं। मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि जहां तक लोगों की तकलीफ मिटाने की बात है उसके लिये देवरिया जिले के लिये कितना किया गया है वह बतला दिया गया है। ३६ हजार रुपया ग्रेचुईट्स रिलीफ का दिया गया यह जो बाढ़ आई जुलाई सन् ५३ में। १० हजार रुपया मकानों को जो नुकसान पहुंच गया था उनकी मरम्मत के लिये दिया गया। एक लाख ५० हजार रुपया टेस्ट वर्क्स के लिये दिया गया। २ लाख ७५ हजार सीड तकावी के लिये दिया गया। ३ लाख रुपया फ्लड्स के सिलसिले में तकावी के लिये दिया गया। ५० हजार रुपया नार्मल तकावी के लिये दिया गया। १७ हजार रुपया हाउसिंग तकावी के लिये दिया गया। इसके अलावा केवल खरीफ की मालगुजारी में २ लाख ३१ हजार ८१० रुपये का रेमीशन दिया गया। इस तरह से यह लाखों की रकम आती है। माननीय गेंदा सिंह जी कहते हैं कि रबी की फसल में बड़ा नुकसान हो गया है। अब तक जो हमारे पास रिपोर्ट

आई है। उसमें कहीं कहीं ओला पड़ने का जिक्र है लेकिन उसमें देवरिया जिले का नाम नहीं है। मेरा इम्प्रेशन यह है कि देवरिया की फसल अच्छी है। लेकिन गेंदासिंह जी आगे के लिये पेशबन्दी कर रहे हैं कि रबी की फसल भी खराब हो गयी है। यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की मंशा वही है जो गेंदासिंह जी की है, उसमें दो रायें नहीं हैं। लेकिन देखना यह है कि किस एक्सटेंट तक तकलीफ है और किस एक्सटेंट तक इस सम्बन्ध में कार्य किया गया है। इसके अलावा यह भी देखना है कि आया यह स्केयरसिटी का मामला है या ऐसे लांग टर्म मेजर की जरूरत है जिसमें इंडस्ट्रीज और आबपाशी के जरिये बढ़ाये जायं जिसकी कोशिश हो रही है। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री रामजीसहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो इस सदन में यह विवाद प्रस्तुत है यह सचमुच महत्वपूर्ण है। देवरिया के बारे में यह सवाल न आये तो अच्छा है लेकिन यह सवाल थोड़ा भी यहां पर होता है तो बरदाश्त से बाहर हो जाता है। इसलिये यह सवाल आ जाता है। इस सम्बन्ध में मैंने अपने आदरणीय मुख्य मंत्री जी को पत्र भी भेजा था और उनके पर्सनल असिस्टेंट ने हमसे कहा कि उस पर आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

श्री अध्यक्ष—सलेमपुर के दक्षिणी भाग का यह सवाल है। उसी से आप अपने को सीमित रखियेगा। एक दफा अगर थोड़ी सी गलती हो गयी तो सबको रिपीट नहीं करना चाहिये।

श्री रामजी सहाय—उस जिले के दक्षिणी भाग में एक ऐसा पाकेट है जहां कोई टेस्ट वर्क नहीं हुआ है और इसलिये शायद नहीं हुआ है कि वहां के अधिकारी वहां पहुंच नहीं सकते थे, कोई मोटर की सड़क नहीं थी। फाडर का हमारे माननीय मंत्री जी ने कोई संकेत नहीं किया। वहां की दशा ऐसी हो गई कि हजारों मवेशी सर्वदा के लिये चल बसे। जब हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी उधर गये थे तो शायद उनसे भी लोगों ने अपनी बात को कहा हो कि कहीं कहीं मवेशियों की जगह पर आदमी हल में लगे थे। इतने मवशी वहां पर मर कि यह भी अवस्था वहां पर पैदा हो गयी। आज जो चीज है उसके बारे में हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से कहा। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रेफरेंस दिया। लेकिन श्रीमन्, हम लोग अपने क्षेत्रों से आते हैं और वहां की बातों को भी कहना हमको आवश्यक होता है और हम आशा यह लगाते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी हमारी बात भी सुन लेंगे, केवल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर निर्भर न रहेंगे। माननीय मंत्री जी ने जिस अंश में वहां के लिये प्रयास किया उसके संबंध में मैंने इस भवन में निवेदन किया था कि जो भी साधन उपलब्ध थे उनसे वहां अच्छा कार्य हुआ। परन्तु वह कार्य उस समय हुआ, उसके बाद की जो हालत है वह मेरी दृष्टि से सन्तोषप्रद नहीं रही। इस सम्बन्ध में जब मैंने देखा कि कोई चीज नहीं हो रही है तो मैंने विवश होकर एक वक्तव्य भी दिया और उसकी एक प्रतिलिपि माननीय राजस्व मंत्री के पास प्रेषित कर दी और एक माननीय सिंचाई मंत्री के पास भेज दी। तो सवाल यह है कि आपने यह कह दिया कि रबी की फसल अच्छी है, मैं कहता हूं कि किसने कह दिया कि अच्छी है, वह कौन सी एजेन्सी है जिसने ऐसा कह दिया। हम भी तो एक एजेन्सी हैं या नहीं। माननीय सीताराम जी जो सरकार में हैं वे खुद वहां कछार के हिस्सों में गये थे। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने प्रान्तीय स्तर से किसी को भेज दें तो आपको मालूम हो जायग कि उस क्षेत्र में रबी की फसल की क्या हालत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर दो महीनों से एक आना भी फसल नहीं हुई है। यह उसी क्षेत्र की बात है।

[श्री रामजी सहाय]

दूसरी भूमि के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं । क्योंकि मैं वहां के सम्बन्ध में जानता नहीं हूं। हम १६ मील से लेकर ३०-३० मील तक सीताराम जी के साथ घूमे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रबी की फसल जो मैं वर्णन कर रहा हूं उसकी भी हालत संतोषप्रद नहीं है। मैं विनय करूंगा और मैं इस बात को मानता हूं कि भिक्षा बुरी चीज है। लेकिन हालत ऐसी है जिसके कारण निवेदन करना अनिवार्य और आवश्यक हो जाता है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र से संबंध रखने वाला प्रश्न है और मैंने ही इसको पूछा है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि वहां एक भी गांव नहीं बहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल्कुल सत्य है कि वहां पर तीन गांव महाल मंजरिया, मियांपुर और चुरिया के पास एक टोला है वह बह गये हैं। आज भी वहां जाकर देख लीजिये कि वहां लोगों को हजारों रुपया देकर बसाया था।

जहां तक दक्षिणी क्षेत्र का सवाल है, एक भी पैसा टेस्ट वर्क के ऊपर खर्च नहीं किया गया है। जैसा कि अभी माननीय रामजी सहाय जी ने बतलाया है कि वहां पर अधिकारी इसलिये नहीं गये कि वहां मोटर नहीं जा सकती है और वहां पर अधिकारी जाते भी नहीं हैं। यह प्रथम बार है कि माननीय सिंचाई मंत्री वहां पर गये थे और वहां की दशा को उन्होंने देखा है। वह क्षेत्र ऐसा है जहां कोई साधन नहीं है। मैंने आज भी कहा है कि वहां पर अराजकता फैली हुई है। चोर डाकुओं के कारण लोग परेशान हैं। एक तरफ तो गरीबी है और दूसरी तरफ चोर डाकुओं के उपद्रव फैले हुये हैं। अगर शिकायत की जाती है तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कोई शिकायत नहीं है। मैंने खुद उनसे अगस्त के महीने में इस बात की शिकायत की थी कि वहां पर चारे का अभाव है। इसके अलावा मैंने देवरिया के मजिस्ट्रेट से भी कहा और अगस्त के महीने से चारा पहुंचते पहुंचते अब जाकर १५ मार्च को पहुंचा है। यह तो हमारे मंत्री जी का काम है और उस पर वह कहते हैं कि एक भी गांव नहीं बहा है, बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। हम लोग शिकायत करते हैं तो क्या हम लोग झूठे बन कर सदन में आये हैं। हमारी जरा भी कद्र नहीं की जाती है। जब कोई बात कहते हैं तो कहा जाता है कि यह लोग ऐसे ही कहते हैं। पटवारी लिख दे वह सत्य है, एम० एल० ए० या एम० एल० सी० कहे वह ठीक नहीं है। एक ट्रिब्यूनल वहां भेज दिया जाय और देख लिया जाय कि वहां क्या वस्तुस्थिति है। मुझे यही निवेदन करना है। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालें।

श्री गेंदासिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ हुई कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि मैं उनकी नीयत पर हमला कर रहा हूं। मैंने तो नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी नीयत पर हमला कर दिया, क्योंकि उन्होंने यह कहा कि मैं पेशबन्दी कर रहा हूं। मैं पेशबन्दी नहीं कर रहा हूं। जैसा कि वे समझते हैं । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देवरिया को हम इस दृष्टि से नहीं देखते कि खामख्वाह इस बात को पैदा कर दिया जाय कि रोज रोज देवरिया देवरिया चिल्लायें और कहें कि हम नंगे हैं। हमारे पास खाना नहीं है, हम तो यह कहना चाहते हैं कि हमारे घर में अच्छा खाना है, अच्छे कपड़े हैं। कौन चाहता है कि जो यह कहे कि हम बड़े दरिद्र हैं लेकिन मजबूरी है और हम अपना कर्तव्य पालन करते हैं। हम सरकार का भी कर्तव्य समझते हैं। इसलिये हम सरकार के सामने कहते हैं। अगर सरकार अपना कर्तव्य पालन न करे तो हमारा क्या कर्तव्य होता है इसको मैं माननीय मुख्य मंत्री जी

से जानना चाहता हूं, क्योंकि उनके स्कूल में मैं बहुत दिनों तक पढ़ा हूं और अब भी पढ़ने के लिये तैयार हूं। उनको सेवा में हमें शिकायत भेजनी पड़ती है। मैं नहीं चाहता हूं कि जब काम चौकीदार से हो जाय तो भी थानेदार के पास जाया जाय। मैंने मंत्री जी को चौकीदार नहीं बनाया है, लेकिन अगर माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने चौकीदार कह भी दूं तो बुरा नहीं मानना चाहिये। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरब पश्चिम के झगड़े में यहां बहस नहीं होनी चाहिये। हम पूरब पश्चिम का झगड़ा नहीं चाहते। हम कतई यह बात चाहते हैं कि हमारे यहां की हालत को जांच लिया जाय और चाहे उसके लिए महीलाल जी को भेज दिया जाय और वह जो आकर कह दें, वह मैं मानने के लिए तैयार हूं। कोई देवरिया की हालत को देख आवे और जो वह कह दे वह मुझे स्वीकार है और आगे के लिये मैं सोचता हूं, जो बोती है उसको बिसारने के लिये तैयार हूं। लेकिन आगे इस प्रकार की मुसीबत न आवे, इस पर विचार होना जरूरी है। इसके अलावा जरा बिहार का जो रिलीफ वर्क हो रहा है, हमारे छपरा में वहां एक बार मेहरबानी करके माननीय राजस्व मंत्री देख आवें। वहां बद्रीनारायण जी भी रहें और हम किसी न किसी प्रकार उनको ले ही जायेंगे। वह वहां जाकर देखें कि वहां क्या हो रहा है। उसके बाद हमको बदनाम करें कि यह पेशबन्दी है या जो जी में आवे कहें।

श्री चरणसिंह--- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मैंने पूरब-पश्चिम का लफ्ज कहा? नहीं कहा। तो खुद कह कर मुझको इस झगड़े में न डालें। यह तरकीब क्या हुई? कहने का ढंग क्या हुआ? मैंने तो कहा नहीं पूरब पश्चिम। मेरे मन में हरगिज यह बात नहीं है। बिल्कुल उसकी छाया तक भी नहीं है। जहां तक किसानों की तकलीफ का ताल्लुक है, मेरे पास समय नहीं है, मैं उन जिले वाले लोगों से, जिनकी हालत अपेक्षतः अच्छी है उनसे क्या कहता हूं पूरब के किसानों के मुताल्लिक वह वही जानते हैं जिनको सुनने का मौका पड़ा होगा। लिहाजा यह कहना कि मैंने कहा था...

श्री गेंदासिंह---पेशबन्दी की बाबत कहा था।

श्री चरणसिंह---पेशबन्दी की बात तो यह है कि आपका यह मेरे लिये कहना कि मैं नहीं चाहता कि गलत रिपोर्ट न आये। क्या यह पेशबन्दी की बात नहीं थी? पेशबन्दी यही है कि आप यह चाहते हैं कि टेस्ट वर्क जारी रहे, ग्रेचुइटी बराबर जारी रहे, उसके लिये कह रहे हैं कि फसल खराब है। माननीय रामजी सहाय ने कहा कि उस क्षेत्र में फसल खराब है जो बाढ़ से ग्रस्त है। श्री गेंदा सिंह जी ने कहा देवरिया जिले की खराब है। मुझे कोई इत्तला नहीं है कि ओला पड़ा। मेरा इम्प्रेशन यह है कि फसल अच्छी है और यही मैंने कहा। क्या इसमें बात गलत है? नहीं गलत है। तो अगर मैं यह कहूं कि यह पेशबन्दी इस खयाल से की जा रही है तो यह नीयत पर हमला नहीं है। नीयत पर हमला यह हुआ कि जानबूझ कर हम चाहते हैं कि गलत रिपोर्ट आये।

अब रही फ़ाडर की बात। माननीय रामजी सहाय ने कहा, बल्कि गेंदासिंह जी ने जिक्र किया था, मैं भूल गया था। फाडर की बात यह है कि गल्ले को मुहय्या करना आसान है और चारे का मुहैया करना मुश्किल है। गल्ला किसी से खरीदा जा सकता है, जमा भी रहता है, उस पर कंट्रोल भी किया जा सकता है, लेकिन वह बात का डर के सिलसिले में नहीं हो सकती। सन् ४९ और ५१ में गवर्नमेंट की कोशिश करने के बावजूद भी लाखों जानवर मर गये फाडर न होने के कारण। तो ऐसी

[श्री चरणसिंह]

चीज नहीं है कि आपने कह दी और रामजी सहाय ने कह दी और इन्तजाम हो गया। अगस्त में लोग फाडर के लिये बहुत कहा करते थे, लेकिन असल बात यह है कि जो बाहर से घास भेजी जाती है जानवर उसको खाते नहीं, क्योंकि वह बकबकी लगती है, खराब लगती है। सूखी घास भेजते हैं, उसको नहीं खाते। जहां तक भूसा की बात है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने पिछले साल और इस साल भी इशारा किया तो हमने ट्रांस्पोर्ट के जरिये भेजा। लेकिन उसे कास्ट प्राइस पर भी किसी ने नहीं खरीदा। तो फिर एक रुपया मन कम कर दिया, फिर दो रुपया कम कर दिया तब भी नहीं खरीदा। मुफ्त दिया। हजारों का नुकसान हुआ इस साल मैंने कहा था कि वही एक्सपीरियंस होगा और वही हुआ। जो जानना चाहें वह मालूम कर सकते हैं। कोई खरीदता ही नहीं है। "हे" को जानवर खाते नहीं। लेकिन मुझे मालूम है कि माननीय गेंदासिंह जी ने और बद्री नारायण जी ने कहा, दिसम्बर में कहा और मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से फौरन मालूम कराया, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूं वैगंस दिलाने की। लेकिन जब तीनों आदमियों ने कहा कि कुछ नहीं हो रहा है तो मैं समझा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आप्टिमिस्टिक व्यू नहीं ले रहे हैं और मैंने कहा कि कहीं से घास पहुंचाई जाय। उन बेचारों ने इतनी कोशिश की, लेकिन कुम्भ के मेले की वजह से ट्रांस्पोर्ट नहीं मिल सका और यह मैंने अपने माननीय सदस्यों को समझा भी दिया। अब मुझे बतलाया जाय कि गवर्नमेंट क्या करती दिसम्बर में, जनवरी में, फरवरी में एक वैगन भी मिलने की गुंजाइश नहीं थी। हमने बहुत हाथ पैर मारे; बहुत इसरार किया लेकिन नहीं मिल सके। तो ठीक है, कुछ जानवर मर गये होंगे, मुझे इससे इन्कार नहीं है लेकिन देखना हमको यह है कि नीयत हम लोगों की काम करने की है या नहीं है। मैं समझता हूं कि नीयत यह है कि जितने साधन हमारे पास हैं उनको देखते हुए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा भी जो कुछ माननीय सदस्य बतावें उसके करने के लिये तैयार हैं।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ६ मिनट पर सोमवार, १९ अप्रैल, १९५४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२ अप्रैल, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ३२४ पर)

No. 1493/XI-B—565-49

FROM

SHRI M. B. L. DAR, I.A.S.,
SECRETARY TO GOVERNMENT, UNITED PROVINCES

To

All Commissioners of Divisions, including the Deputy Commissioner incharge, Kumaun Division.

Dated Lucknow, September 3, 1949.

MUNICIPAL (B) DEPARTMENT

Subject:—**Assessment of house and water taxes by Municipal Boards in respect of a house or part thereof occupied by the owner.**

SIR,

I am directed to say that it has been represented to Government that for the purposes of assessment of house and water taxes by Municipal Boards in respect of a building or part thereof occupied by the owner the annual value should not be determined on the rental value, as such valuation is based almost entirely on guess, but on the basis of the income of the owner.

2. The Governor has given the matter his carefull attention and has decided that in such cases the Boards should fix the annual value of a house or part thereof occupied by the owner himself at a rate lower than the annual rental value by 25% but not on the basis of income of the owner. In particular cases, if the owner is poor he can make representation to the Board concerned on the ground of his incapacity to pay and the Board should then decide each case on merits and remit the taxes partially or wholly. When a Board finds any difficulty in taking decision in any particular case it may refer it to Government for advice.

3. The Municipal Boards in your Division may be advised accordingly.

Yours faithfully,
M. B. L. DAR,
Secretary.

No. 1493(1)/XI-B—565-49 of date

Copy forwarded for information to:

(1) All District Magistrates in the United Provinces.
(2) All Chairmen of Municipal Boards in U. P. including the Administrators of superseded Boards, and
(3) The Examiner, Local Fund Accounts, U. P.

By order,
M. B. L. DAR,
Secretary to Government,
United Provinces.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३३ पर)

Extract from G. O. No. A-5086/XV—2002-53, dated july 1, 1953 from the Deputy Secretary to Government, U. P. Lucknow, Education (A) Department, to the Director of Education, U. P., Lucknow.

I am directed to say that the Governor has been pleased to appoint the following Committee to assist the Board of Editors appointed by the Government of India for the collection of material for writing a History of Freedom Movement in India and also to prepare a separate History of Uttar Pradesh on the same subject :

(1) Acharya Narendra Dev, Vice-Chancellor, Banaras Hindu University, Banaras .. .. .. Chairman.

(2) Sri Kamla Pati Tripathi, Minister for Information and Irrigation, U. P., Lucknow .. .. .. Member.

(3) Acharya Birbal Singh, M. P., Principal Kashi Vidyapith, Banaras .. .. Member.

(4) Prof. Ram Sharan, M. P., 26, Queensway, New Delhi Member.

(5) Prof. Mohammad Habib, Bar-at-Law, Aligarh University, Aligarh .. .. Member.

(6) Dr. Banarasi Prasad Saxena, M. A. PH. D., Allahabad University, Allahabad .. .. .. Member.

(7) Prof. Mukut Behari Lal, M. L. C., Banaras Hindu University, Banaras .. .. Member-Secretary.

(Sd.) S. R. SINGH,
Deputy Secretary.

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३४ पर)

जिला किसान सभा,
आजमगढ़ ।

सेवा में,

श्री बृजपाल सिंह सेठ,
जिलाधीश, आजमगढ़ ।

श्रीमान्,

आजमगढ़ जिला किसान सभा के कितनी ही बार प्रदर्शिनी प्रतिनिधि मंडलों और प्रस्तावों द्वारा आपसे मांग की ह कि जिले के किसान जनता के सामने जो बेदखली की समस्या उत्पन्न है उसका समुचित समाधान किया जाय। परन्तु खेद है कि श्रीमान् ने और प्रान्तीय सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिये कोई समुचित प्रबन्ध नहीं किया। जिले में कितने ही स्थान जैसे पकड़ी, नदवासराय, पतिला, पिड़वा, रतनपुरा, छतउर आदि ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर किसानों की ऐक्ट ३१ की दरख्वास्तों को पक्षपातपूर्ण ढंग से खारिज कर दिया गया है। पतिला और सेमरी में तो जो कुछ दरख्वास्तें सही भी साबित हुईं और उन पर मैजिस्ट्रेटों ने किसानों के पक्ष में फैसला भी दे दिया वहां भी जमींदार लाठियों के जोर से किसानों को खेतों पर जाने से रोकते हैं। सरकार की इस दिशा में अकर्मण्यता से जिले में किसान व्यापक पैमाने पर अपनी जमीनों को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं।

अतः ऐसी अवस्था में हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाता कि यदि हमारी इन मांगों पर श्रीमान् ने २४-८-५३ की शाम तक सन्तोषजनक उत्तर न दिया तो हम उस दिन के बाद १५-८-५३ से अपना शान्तिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे।

हमारा यह सत्याग्रह पूर्ण शान्तिपूर्ण होगा।

ता० १५-८-५३ को हम शहर में एक प्रदर्शन निकालेंगे और जिला कचेहरी में श्रीमान् के कोर्ट के सामने हमारे दो साथी अनशन और धरना देना आरम्भ करेंगे।

साथ ही उसी दिन नदवा सराय से हम अपना सत्याग्रह आरम्भ करेंगे। इस सम्बन्ध में भी श्रीमान् और श्रीमान् को सरकार की एक गलतफहमी दूर करना चाहते ह कि यह आन्दोलन जिला किसान सभा द्वारा छेड़ा गया है, कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा नहीं। कम्यूनिस्ट पार्टी इसका समर्थन करती है।

हमारी आपसे तथा आपकी सरकार से ये मांगें हैं :—

१—खेतों की बेदखली और इन्द्राज के झगड़ों की समस्या को हल करने के लिये जल्द से जल्द एक सर्वदलीय और तमाम किसानों में काम करने वाले संगठनों की कान्फरेंस बुलाई जाय।

२—जब तक यह कान्फरेंस नहीं बुलाई जाती उस समय तक सभी खेतों के इन्द्राजों की अदालतें नौ जांच और दुरुस्ती किया जाय और ऐसी जांच के समय किसान संगठनों और पार्टियों के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने का अवसर दिया जाय और उनसे भी सलाह लिया जाय।

३—ऐक्ट ३१ में दरख्वास्त देने की अवधि को ६ माह के लिये और बढ़ाया जाय।

४—ऐक्ट ३१ की खारिज शुदा दरख्वास्तों को फिर से एक विशेष जांच द्वारा फैसला किया जाय।

५—जिले के खेतिहर मजदूरों की जीने लायक मजदूरी तय करने के लिये शीघ्र ही सरकार पक्ष, मालिक पक्ष और मजदूरों के प्रतिनिधियों, किसान संगठनों, जैसे किसान सभा और किसान पंचायत आदि के प्रतिनिधियों की एक कान्फरेंस बुलाई जाय। हलवाही में मिले खेतों पर उनका अधिकार माना जाय।

६—नदी और ताल के असामियों से एक लगान के अलावा जल-कर, नाव-कर, मछुवा कर आदि कोई कर न लिया जाय।

७—खरीफ की लगान पूरी माफ की जावे।

८—बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किसान संगठनों और राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के सहयोग से पर्याप्त मात्रा में मुफ्त राशन दिया और बटवाया जाय।

९—पूरे जिले में सस्ते गल्ले और ए० पी० की दूकानों की व्यापक व्यवस्था हो।

१०—बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों की फीस में पूरी माफी दी जाय।

११—जिले से पी० ए० सी० को हटाया जाय तथा जमीन पर कब्जे के झगड़ों के कारण किसानों और किसान कार्यकर्ताओं पर से मुकदमे हटाये जायं।

१२—जिले की जनता के सामने भयंकर अन्नाभाव का खतरा पैदा हो गया है इसलिये फौरन ही टेस्ट वर्क आरम्भ किया जाय जिसमें बांध बनवाने और सिंचाई के मुस्तकिल साधनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाय।

१३—इन्द्राज वुरुस्ती के लिये पड़ने वाली दरख्वास्तों पर कोई फीस न ली जाय।

श्रीमान् आशा है और पूर्ण विश्वास है कि श्रीमान् इस न्याय-संगत मांगों और सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और यदि श्रीमान् और सरकार ने इस दिशा की ओर वास्तविक रूप से सक्रिय कदम उठाया तो हम श्रीमान् को आश्वासन देते हैं कि हमको श्रीमान् सहयोग के लिये तत्पर पायेंगे।

कृपया श्रीमान् उत्तर देने की कृपा करेंगे।

हम हैं आपके,
जिला किसान सभा,
आजमगढ़।

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ व ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४२ पर)

दिसम्बर, १९५३ व जनवरी १९५४ में जिला बुलन्दशहर में घटित डकैतियों तथा उसमें हुई आर्थिक हानि का विवरण

क्रम-संख्या	माह	थाना		आर्थिक हानि रु०	आ०
१	दिसम्बर, १९५३	खुर्जा	..	१,५००	०
२	दिसम्बर, १९५३	कोतवाली	..	५,९०७	९
३	जनवरी, १९५४	सियाना	..	४,९००	०
४	जनवरी, १९५४	पहासऊ	..	२,६२८	१५

सत्यमेव जयते